आईएसएसएन – 2457-015X

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

बैंकिंग पर व्यावसायिक जर्नल

वर्ष 37 अंक 01
अप्रैल - सितंबर 2025

सदस्य

Member

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

विषय-सूची

संपादक मंडल		1
संरक्षक का संदेश		2
संपादकीय		3
भाषण		
➢ आरबीआई : स्थिरता, विश्वास, विकास	संजय मल्होत्रा	5
आलेख		
➢ भारतीय रिज़र्व बैंक के गौरवपूर्ण नौ दशक	डॉ आशुतोष रारावीकर	7
➢ भारत के विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा में आर्थिक क्षेत्र की भूमिका	शिवानी अग्रवाल	11
➢ बैंकिंग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के प्रयोग की संभावनाएं एवं चुनौतियां	श्रीनिवास कृष्णन	15
➢ विकसित भारत @ 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका	डॉ निधि शर्मा	18
➢ स्वर्ण की वैश्विक यात्रा : उत्पादन, परिशोधन और बाज़ार	अक्षय वाखलू	23
➢ डिजिटल रूपी @ डिजिटल इंडिया : भाषायी समावेशन	राजेश कुमार	26
➢ वित्तीय संस्थानों में मज़बूत जोखिम संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा	वरुण यादव	31
➢ अवसरंचना क्षेत्र का वित्तपोषण	नौशाबा हसन	36
➢ त्रिपक्षीय रेपो बाज़ार : संक्षेप में	अभिषेक दाते	42
स्थायी स्तंभ		
➢ रेग्युलेटर की नज़र से	ब्रिज राज	47
➢ घूमता आईना		
(राष्ट्रीय खंड)	डॉ. करुणेश तिवारी	50
(अंतरराष्ट्रीय खंड)	डॉ. गौतम प्रकाश	53

श्री अरविंद कुमार चतुर्वेदी, महाप्रबंधक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, सी-9, आठवीं मंज़िल, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा एक्मे पैक्स और प्रिंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई से मुद्रित।
इंटरनेट : https://www.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध।
ई-मेल : rajbhashaco@rbi.org.in फोन : 022-26572801

संरक्षक

एन सारा राजेन्द्र कुमार
मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक

संपादक मंडल

अध्यक्ष

ब्रिज राज
मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक

प्रबंध संपादक

अरविंद कुमार चतुर्वेदी
महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक

कार्यकारी संपादक

अंजली अभ्यंकर
उप महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक

सदस्य – संपादक मंडल

मनोज कुमार पोद्दार
महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक

आशीष सौरभ
उप महाप्रबंधक एवं संकाय
भारतीय रिज़र्व बैंक

अभिषेक कुमार
उप महाप्रबंधक एवं संकाय
भारतीय रिज़र्व बैंक

दिवाकर झा
सहायक महाप्रबंधक एवं निदेशक
स्टेट बैंक ज्ञानार्जन एवं विकास संस्थान

राजीव जमुआर
सहायक महाप्रबंधक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

संपादकीय कार्यालय

भारतीय रिज़र्व बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय,
बांद्रा-कुर्ला संकुल, मुंबई-400051
कॉर्पोरेट ईमेल:- rajbhashaco@rbi.org.in

वरिष्ठ संपादक

बिजु एम वी
सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक

उप संपादक

डॉ. पद्माकर द्विवेदी
सहायक प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिए गए विचार संबंधित लेखकों के हैं। यह आवश्यक नहीं है कि भारतीय रिज़र्व बैंक उन विचारों से सहमत हो। इसमें प्रकाशित सामग्री को उद्धृत करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक को कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया गया हो।

संरक्षक का संदेश ...

प्रिय पाठको

बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन के इस अंक के माध्यम से आप सभी से संवाद करते हुए मुझे अत्यंत खुशी है। देश का केंद्रीय बैंक और एक विनियामक संस्थान होने के नाते हमारा प्रयास रहता है कि बैंकिंग एवं वित्त से जुड़े सम-सामयिक विषयों पर हम अपने पाठकों को हिंदी में मौलिक व गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्रदान करें। साथ ही, यह भी कोशिश रहती है कि बैंकिंग से जुड़े स्टाफ सदस्यों को एक ऐसा मंच प्रदान किया जाए जहां वे आर्थिक विषयों पर अपने रचनात्मक आलेख और विचार हिन्दी में साझा कर सकें।

बैंकिंग एक सेवा क्षेत्र है। इसका संबंध सामान्य से लेकर विशिष्ट तक है। हाल में यह क्षेत्र निरंतर कई तरह के सुधारों और बदलावों से गुजरा है और यह परिवर्तन अब भी जारी है। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, सूचना प्रौद्योगिकी, फिनटेक, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ग्रीन फायनेंस जैसे क्षेत्रों में काफ़ी तेजी से परिवर्तन हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। इन सम-सामयिक और महत्वपूर्ण विषयों पर 'बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन' पत्रिका के माध्यम से हमें निरंतर उच्च स्तरीय विषय-सामग्री पढ़ने-समझने के लिए मिलती है। इस रूप में यह पत्रिका बैंकिंग और वित्त जगत में हो रही प्रगति और परिवर्तन के बारे में अपने पाठकों को अद्यतन रखने में सहायक सिद्ध हुई है। भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग परिदृश्य में एक ज्ञान आधारित संस्था के रूप में ख्यातिलब्ध है। अत: यह अपरिहार्य है कि ज्ञान का यह दीप निरंतर प्रकाशमान रहे। जैसा कि ऋग्वेद में वर्णित है:

''आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वत:।''

(Let noble thoughts come to us from every side)

अर्थात, उपयोगी और कल्याणकारी विचार चाहे जहां से, जिस भी दिशा से आएँ हमें उसका वरण करना चाहिये। हमारा यह प्रयास है कि यह पत्रिका ऐसे ही कल्याणकारी ज्ञान और विचारों की संवाहक बने।

पत्रिका के इस अंक में भी आर्थिक व बैंकिंग विषयों पर विभिन्न आलेखों का समावेश किया गया है। आशा है ये आलेख हमें एक नयी अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे। एक संस्था के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक राजभाषा हिन्दी के उन्नयन और इसकी उपस्थिति के विस्तार के लिए सदैव प्रयत्नशील रहा है। मुझे खुशी है कि हिंदी में प्रकाशित हमारी यह पत्रिका अपने इस समानांतर उद्देश्य को भी पूरा करती है। इस रूप में यह पत्रिका सृजनात्मक संवाद का एक माध्यम भी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि रिज़र्व बैंक और अन्य बैंकों व संस्थाओं के विभिन्न कार्यालयों, विभागों एवं प्रशिक्षण केन्द्रों में कार्यरत स्टाफ सदस्यों के ज्ञानवर्धन में यह पत्रिका सहायक सिद्ध होगी।

पत्रिका का नवीनतम अंक आपके सामने है। मैं पाठकों को शुभकामनाएं देती हूँ और साथ ही पत्रिका के प्रकाशन से जुड़ी टीम और उनके प्रयासों की भी सराहना करती हूँ।

प्रकाश पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं सहित ....

एन सारा राजेन्द्र कुमार
मुख्य महाप्रबंधक एवं संरक्षक

संपादकीय

प्रिय पाठको

चिंतन...

'वाबी-साबी'

ऑफिस से चर्चगेट का रास्ता। कभी-कभार की तरह उस दिन भी मैं रास्ते में एक बार रुका, अपनी पुरानी घड़ी में बैटरी डलवाई और आगे बढ़ा। कुछ कदम चलने के बाद एक कलम (पेन) में रिफिल (कार्ट्रिज) डलवाने के लिए रुका। पहली दुकान पर नहीं मिला तो दूसरी से तीसरी दुकान पर.....। इस पर साथ में चल रहे मित्र मुस्कुराकर बुदुबदाए *"अच्छा! वाबी-साबी!"* जब मैंने अनुरोध किया कि इस उक्ति पर कुछ प्रकाश डालें तो उन्होंने कहा, "ऐसे नहीं .... पहले बन मस्का और चाय .....

इस दौरान बातें 'चिंतन-अनुचिंतन' के वर्तमान अंक की ओर मुड़ीं। शुरुआत हुई *"वित्तीय संस्थानों में मज़बूत जोखिम संस्कृति को बढ़ावा* देने . . . " पर श्री वरुण यादव के आलेख से। जोखिम संस्कृति के निर्माण में अपेक्षित तत्वों का विवरण देने के क्रम में बैंक विफलताओं के कुछ उदाहरण देते हुए कहते हैं कि किसी भी वाहन की कीमत या उसमें उपलब्ध उन्नत सुविधाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण उस वाहन के चालक की निपुणता है। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक और सिलिकॉन वैली बैंक में अबीमाकृत राशि की अधिकता और लंबी अवधि की प्रतिभूतियों में निवेश संकट का कारण बन गए। पारदर्शिता, विश्वास, अभिशासन आदि तत्व एक मजबूत जोखिम संस्कृति का निर्माण करते हैं, जिससे जोखिमों की सक्रिय रूप से पहचान, मूल्यांकन और न्यूनीकरण किया जा सकता है, एवं बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता और विनियामक अनुपालन को मजबूती मिल सकती है।

'अवसंरचना क्षेत्र का वित्तपोषण' पर सुश्री नौशाबा हसन ने अपने आलेख में बताया है कि ऊर्जा और बिजली क्षेत्र में किए जा रहे सुधार आने वाले भविष्य में भारत की प्रगति को तेजी से पटरी पर लाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। सरकार द्वारा नई और मौजूदा अवसंरचना के निर्माण के विकास के लिए पी.पी.पी, एन.आई.पी, एन.एम.पी और राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्तपोषण बैंक (NaBFID) जैसे विभिन्न कदम उठाए गए हैं। आलेख में अवसंरचना वित्तपोषण में बैंकों की भूमिका तथा विविध संस्थानों व माध्यमों पर भी चर्चा है।

डॉ निधि शर्मा ने *2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में रिज़र्व बैंक की भूमिका* के बारे में बताया है। सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि, बेरोजगारी में कमी, कृषि और एमएसएमई क्षेत्र में संवृद्धि, राजकोषीय घाटे में कमी, विदेशी निवेश में वृद्धि, शिक्षा और कौशल विकास में उन्नति आदि के बल पर ही विकसित भारत का सपना साकार हो सकता है। एक अन्य आलेख में श्री राजेश कुमार सेंट्रल *बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी)* की भारत में शुरुआत, विस्तार, इसको जारी करने के उद्देश्य के साथ-साथ इसके उपयोग की प्रक्रिया भी समझाते हैं। आलेख का एक रोचक पक्ष भाषायी समावेश और सीबीडीसी जैसे माध्यम के विस्तार में भाषा की भूमिका है।

श्री अभिषेक दाते ने त्रिपक्षीय रेपो बाजार का विवरण देते हुए क्लीयरिंग कॉरपोरेशन आफ इंडिया की भूमिका के बारे में बताया है। त्रिपक्षीय रेपो बाजार में सरकारी सिक्योरिटी कारोबार TREPS डीलिंग सिस्टम पर होता है जो नाम उजागर किए बिना ऑर्डर मिलान करने वाला प्लेटफॉर्म है जिसे सीसीआईएल की सहायक कंपनी द्वारा संचालित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि त्रिपक्षीय रेपो में स्वचालित सिस्टम के कारण बड़े पैमाने की ट्रेडिंग भी कम लागत पर बड़ी ही दक्षता से परिचालित होती है।

किसी भी संस्था के लिए 90 वर्षों की यात्रा न सिर्फ लंबी बल्कि कई ऐतिहासिक पड़ावों से भरपूर होती है। और यह संस्था यदि रिज़र्व बैंक हो तो इसके महत्त्व की कल्पना की जा सकती है। आरबीआई के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के डॉ आशुतोष राराविकर ने विकास, स्थिरता और विश्वास से परिपूर्ण *भारतीय रिज़र्व बैंक के गौरवपूर्ण नौ दशकों* के अहम पड़ावों की चर्चा की है।

आज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में एआई के उपयोग से मिलने वाले लाभों के साथ-साथ सूचना प्रबंधन व मशीनों पर निर्भरता व रोजगार की चुनौतियाँ बढ़ रही हैं। ये बातें अपने आलेख *'बैंकिंग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के प्रयोग की संभावनाएं एवं चुनौतियाँ'* में बता रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के सेवानिवृत्त प्रबन्धक श्री श्रीनिवास कृष्णन। उन्होंने बैंकिंग उत्पादों के निर्माण व उनके विपणन, शाखा के गवर्नन्स तथा वित्तीय धोखाधड़ी रोकने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग और झूठे व कृत्रिम आँकड़ों से कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मिल रही चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए विषय के विविध पक्षों को समेटने का प्रयास किया है।

J.P. Morgan का एक सुपरिचित कथन है "Gold is money, Everything else is credit." आर्थिक, सामाजिक, रणनीतिक और यहाँ तक कि हमारे भावनात्मक जगत में भी अहम *'स्वर्ण की वैश्विक यात्रा'* पर लिखा है आरबीआई के बाह्य निवेश और परिचालन विभाग के श्री अक्षय वाखलू ने। हम भारतवासी दुनिया के सबसे बड़े स्वर्ण उपभोक्ताओं में से हैं। यह दिलचस्प है कि हमारा उत्पादन औसतन 2 टन वार्षिक से भी कम है एवं हम आयात पर बहुत अधिक निर्भर हैं तथा आमतौर पर सालाना 700-900 टन स्वर्ण भारत में आयात किया जाता है, जिससे भारत दुनिया के सबसे बड़े स्वर्ण आयातकों में से एक बन जाता है।

पत्रिका के स्थायी स्तंभ इसे प्रभावी और मज़बूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रेग्युलेटर की हैसियत से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी आपको मुख्य महाप्रबंधक और इस पत्रिका के संपादक मंडल के अध्यक्ष श्री ब्रिज राज द्वारा लिखित *'रेग्युलेटर की नज़र से'* स्तंभ से प्राप्त होगी। देश-विदेश में आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख एवं महत्वपूर्ण गतिविधियों को श्री गौतम प्रकाश और श्री करुणेश तिवारी, अपने *'घूमता आईना'* के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं।

अनुचिंतन...

'हारा हाची बु'

हो सकता है इस अंक में आए प्रत्येक आलेख का उल्लेख मुझसे नहीं हो पाए। बहरहाल इतने सारे आलेखों पर चर्चा के लिए जब मैं अपने मित्र के लिए एक और बन-मस्का ऑर्डर करने जा रहा था तो मित्र ने 'हारा हाची बु' कहते हुए मुझे रोका। मैंने कहा भाई अब तक मैं 'वाबी-साबी' से ही सहमा हुआ था अब 'हारा हाची बु'.. ? क्या 'बन-मस्का' अच्छा नहीं लगा? तो उन्होंने बताया कि 'हारा हाची बु' यह कहता है कि पेट को पूरा 100% मत भरिये, 80% बहुत है। उसके बाद संयम! और यह नियम केवल भोजन के मामले में ही नहीं बल्कि जीवन में भी लागू होता है। वहीं जापानी संयमित उपभोग की अवधारणाओं को समेटे हुए 'वाबी-साबी' कहता है कि बेहिसाब उपभोग, विलास और दिखावे के पीछे न भागकर हम जो है, उसकी कद्र करें, पुरानी चीजों का उपयोग भी सावधानी व अच्छी तरह से करें तथा जो है उसमें जीवन की सरलता और सुंदरता को समझें भले ही वह अपूर्ण हो, छोटा हो और पुराना हो।

यहाँ दो शब्द उन लोगों से जो *'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन'* में अपना आलेख भेजते हैं। हम आपके योगदान के प्रति अत्यंत आभारी हैं। बैंकिंग से जुड़े होने के साथ-साथ कुछ लोग अपने संगठनों में संकाय सदस्य भी हैं। आप उन लोगों में हैं जिनके पास बैंकिंग व अर्थशास्त्र के ज्ञान के साथ-साथ भाषा व अभिव्यक्ति क्षमता भी है। अर्थ, वित्त, बैंकिंग आदि विषयों पर हिंदी में मौलिक चिंतन व लेखन की कमी को पूरा करने के लिए यह पत्रिका ही नहीं हमारा समाज भी आप जैसे अनुभव व संसाधन-संपन्न लोगों की ओर बड़ी आशा से देखता है। हो सकता है आलेखों में भाषायी उत्कृष्टता के लिए आपके पास अवकाश न हो परंतु प्रकाशन हेतु प्रेषण के पूर्व इतना तो ध्यान रखा जा सकता है कि एक सामान्य पाठक को भी ऐसा न लगे कि सामग्री, डेटा व भाषा की कुछ भी परवाह किए बिना भेजने वाले ने कहीं से कुछ भी उठाया और रख दिया। 'हारा हाची बु' का मुहावरा उधार लें तो पाठक को आप कम से कम 80% तृप्त करने का प्रयास तो करें। यकीन मानिए निष्ठा से किए गए प्रयास के प्रति हम भी 'वाबी-साबी' का दृष्टिकोण रखेंगे।

आभार व आशा सहित।

अरविंद कुमार चतुर्वेदी
महाप्रबंधक और प्रबंध संपादक

आरबीआई: स्थिरता, विश्वास, विकास

- श्री संजय मल्होत्रा, *गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक*

एक मज़बूत और आघातों से उबरने में सक्षम वित्तीय प्रणाली वह आधारशिला होती है जिस पर किसी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि की इमारत खड़ी होती है। भारतीय रिज़र्व बैंक हमारी वित्तीय प्रणाली का संरक्षक है। इसने अपनी यात्रा के 90 वर्ष पूरे कर लिए। 90वें वर्ष के लिए हमारा थीम 'स्थिरता, विश्वास और विकास' था।

यह उन सभी तत्वों को समाहित करता है जिसके लिए आरबीआई प्रतिबद्ध है। यह उचित होगा कि हम अतीत का आत्म-विश्लेषण करें और देखें कि मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने; वित्तीय प्रणाली में विश्वास बढ़ाने; आर्थिक विकास को समर्थन देने और अपने लोगों के हितों में सुधार के अपने दायित्व को हम कैसे बेहतर ढंग से निभा सकते हैं।

कीमतों में स्थिरता

स्थिरता का तात्पर्य कीमतों की स्थिरता से है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि मुद्रास्फीति पैसे के मूल्य को कम करती है। यह लोगों को नुकसान पहुँचाती है; यह गरीबों को और भी अधिक नुकसान पहुँचाती है। हालाँकि, सभी मुद्रास्फीति बुरी नहीं होतीं। विशेषज्ञों का मानना है कि मुद्रास्फीति का एक मध्यम स्तर आर्थिक विकास के लिए बढ़िया है। यदि मुद्रास्फीति बहुत कम है, तो अर्थव्यवस्था को ठहराव से जुड़े जोखिमों का सामना करना पड़ता है। यदि यह बहुत अधिक है, तो कीमतें अप्रत्याशित हो जाती हैं, जिससे उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए योजना बनाना और निवेश करना मुश्किल हो जाता है। हमने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति के लिए 2% के दायरे के साथ 4% का लक्ष्य चुना है।

सीपीआई मुद्रास्फीति अधिकांशतः लक्ष्य के अनुरूप ही रही है। लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्य की समीक्षा की जानी है। हम न केवल ढाँचे में सुधार के लिए, बल्कि समुचित मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के माध्यम से मुद्रास्फीति और विकास हेतु 'गोल्डीलॉक्स स्थितियाँ' प्राप्त करने के लिए भी सरकार के साथ सहयोग करेंगे।

वित्तीय स्थिरता

स्थिरता से तात्पर्य वित्तीय स्थिरता से है, जो विकास और अन्य विकासात्मक उद्देश्यों को पूरा करने में कीमतों में स्थिरता का पूरक है। हमारे पास एक स्थिर वित्तीय प्रणाली रही है - एक ऐसी प्रणाली जिसने दबाव के दौर में भी वास्तविक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से सहारा दिया है। वित्तीय संस्थानों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। वित्तीय मध्यस्थता का कार्य प्रभावी ढंग से करने के लिए बैंक एवं एनबीएफ़सी सुदृढ़तर और अच्छी तरह से पूँजीयुक्त हैं।

बाह्य स्थिरता

स्थिरता में स्थिर विदेशी विनिमय दरें आती हैं, जो कि न केवल आयातकों, निर्यातकों और निवेशकों के लिए, बल्कि सामान्य लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत के विदेशी मुद्रा बाज़ार में अपेक्षित गहराई और चलनिधि है जिससे दबावों का सामना किया जा सकता है, जैसा कि पिछले कुछ महीनों में देखा भी गया।

विदेशी मुद्रा भंडार के अच्छे स्तर और प्रबंधनीय चालू खाता अधिशेष भी हमें आश्वस्त करते हैं। रिज़र्व बैंक इसी तरह सहयोगी बना रहेगा, जिससे कि किसी विशेष स्तर या बैंड के विनिमय दर को लक्ष्य बनाए बिना, अत्यधिक अस्थिरता को संभाला जा सके।

विश्वास

विश्वास केंद्रीय बैंक के लिए कई कारणों से महत्वपूर्ण है। मुद्रा अपने उद्देश्य को तभी प्राप्त करेगी जब लोगों को विश्वास होगा कि इसका उपयोग सुरक्षित है। आम लोग उसी विश्वास के सहारे

अपनी मेहनत की कमाई को बैंकों में जमा करते हैं। मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को सुस्थिर करने के लिए मौद्रिक नीति में विश्वास अपेक्षित है। विश्वास वित्तीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। यह वित्तीय बाज़ारों एवं भुगतान और निपटान प्रणालियों की सत्यनिष्ठा का अभिन्न हिस्सा है। हम इस विश्वास को और मजबूत बनाएंगे जो आम लोगों ने हममें दिखाया है। आम लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए अच्छी गुणवत्ता की ग्राहक सेवा और अनुभव सुनिश्चित करना अहम है। हम सेवाओं में सुधार और शिकायतों के निवारण के लिए वित्तीय संस्थानों के साथ भागीदारी करेंगे।

विश्वास जगाने के लिए केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। हालांकि, स्वतंत्रता पारदर्शिता की मांग करती है। चाहे आम जनता हो, विनियमित संस्थाएं हों, अन्य वित्तीय विनियामक हों या सरकार, किसी से भी परामर्श में यह स्वतंत्रता बाधा नहीं डालती। बल्कि यह और भी अधिक आवश्यक हो जाता है। स्वतंत्रता उच्च जवाबदेही की भी अपेक्षा रखती है। हम इस संबंध में पूर्णतया सचेत हैं तथा विभिन्न उपायों के माध्यम से पारदर्शिता में और सुधार करने, परामर्श, समन्वय एवं सहयोग में वृद्धि एवं जवाबदेही बढ़ाने के लिए हम प्रयास करते रहेंगे।

विकास

प्रधानमंत्री ने 2047 तक एक विकसित भारत की कल्पना की है। इसके लिए समावेशी और त्वरित आर्थिक विकास की आवश्यकता है। भारत के विकास को पंख देने के लिए यथार्थपरक एवं दूरदर्शी दोनों तरह की नीतियों की जरूरत है। स्थिरता सुनिश्चित करने के साथ-साथ नवोन्मेषी नीतिगत उपायों को लागू करना भारतीय रिज़र्व बैंक की उपलब्धि रही है। महामारी से निपटने के लिए इसके द्वारा उठाए गए कदम इसका एक उदाहरण है।

हम आर्थिक विकास को अवलंब देने के अपने प्रयासों में अग्रसक्रिय, चुस्त और लचीले बने रहेंगे। वित्तीय समावेशन को बेहतर करने में एक ओर जहाँ हमने एक अच्छी दूरी तय की है, वहीं हम वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर, विशेष रूप से समाज के निचले तबके तक पहुँच बढ़ाने के लिए काम करेंगे। हम बैंकों और एनबीएफसी को अपनी ऋण क्षमता बढ़ाने के लिए डेटा और उन्नत तकनीक का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसमें वित्तीय स्थिरता से समझौता किए बिना, अर्थव्यवस्था में ऋण आपूर्ति में तेजी लाने और निवेश एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की क्षमता निहित है।

इसके अलावा, जैसे-जैसे हम विकसित अर्थव्यवस्था बनने की अपनी यात्रा में आगे बढ़ेंगे और वैश्विक अर्थव्यवस्था में और अधिक एकीकृत होंगे, हमारी भुगतान प्रणाली और मुद्रा को दुनिया भर में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। हमने इस संबंध में पहले ही कुछ कदम उठाए हैं। हम रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण करने और भारत की भुगतान प्रणाली को वैश्वीकृत करने के लिए पहल करना जारी रखेंगे।

तकनीक

तकनीक में तेज़ी से हुई प्रगति ने आरबीआई को स्थिरता, विश्वास और विकास के अपने दायित्व को पूरा करने में मदद की है। विभिन्न बैंकिंग सेवाओं का डिजिटलीकरण, यूपीआई और अकाउंट एग्रीगेटर इसके कुछ उदाहरण हैं। यह आवश्यक है कि हम वित्तीय समावेशन को और गहरा और व्यापक बनाने के लिए तकनीक का उपयोग करें और नवोन्मेष का समर्थन करें; मौद्रिक नीति, बैंकिंग और केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा सहित मुद्रा प्रबंधन को बेहतर बनाएं; भुगतान प्रणाली का सार्वभौमिकरण करें; एकीकृत ऋण (लेंडिंग) इंटरफ़ेस के माध्यम सहित ऋण का विस्तार करें; और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाएं।

इस अवसर पर, मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम पेशेवर दृष्टिकोण के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे तथा लोक सेवा की सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, परिश्रम, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेही, निर्णायकता और पारदर्शिता के मूल्यों को बनाए रखेंगे। हम अपने देश और उसके नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और स्थिर वित्तीय प्रणाली को पोषित करते रहेंगे। एक अग्रणी केंद्रीय बैंक बनने के लिए रिज़र्व बैंक ने जो आकांक्षात्मक लक्ष्य निर्धारित किए हैं, वे निस्संदेह चुनौतीपूर्ण हैं, तथापि फलदायी और अवश्यंभावी हैं।

जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, "भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में क्या करते हैं।" आरबीआई राष्ट्र की सेवा में स्वयं को पुनः समर्पित करता है।

(टाइम्स ऑफ इंडिया में 01 अप्रैल 2025 को एक कॉलम के रूप में प्रकाशित)

भारतीय रिज़र्व बैंक के गौरवपूर्ण नौ दशक

- डॉ. आशुतोष रारावीकर

प्रस्तावना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 अप्रैल, 2025 को अपनी यात्रा के नब्बे वर्ष पूर्ण किये। पिछले नौ दशकों के दौरान बैंक ने देश की आर्थिक और वित्तीय प्रणाली की एक शीर्ष संस्था के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह लेख बैंक की यात्रा, महत्वपूर्ण पड़ाव और योगदान पर प्रकाश डालता है। खंड II में वित्तीय संस्थाओं और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से अर्थव्यवस्था की नींव रखने का अवलोकन किया गया है। खंड III में बैंक द्वारा अनेक सुधारों के माध्यम से आधुनिक प्रणाली के लिए आधार के निर्माण का ब्योरा दिया गया है। खंड IV में महामारी सहित अनेक संकटों की शृंखला में बैंक द्वारा देश की अर्थव्यवस्था के संचालन का विश्लेषण किया गया है। खंड V में उपसंहार है।

II. संस्थागत और बुनियादी ढांचे का निर्माण

वर्ष 1913 में जे. एम. कीन्स ने भारत के लिए एक केंद्रीय बैंक के निर्माण का सुझाव दिया था। वर्ष 1926 में भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन (अध्यक्ष: हिल्टन यंग) ने भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की। भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अधीन की गई। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में बाजार संचालित प्रणाली की विफलताओं को सुधारने के लिए सभी वित्तीय क्षेत्रों में रिज़र्व बैंक के बढ़ते हुए विनियमन और निदेशन का युग प्रारंभ हुआ। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने उनके कामकाज और नीति-निर्देशन के तरीके को बदल दिया। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण भागों सहित विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में तथा आबादी के अब तक शामिल न किए गए वर्गों में बैंकिंग का विस्तार हुआ। कम ऋण-जमा अनुपात वाले व कम आबादी वाले क्षेत्रों में ऋण वितरण को बढ़ाने के लिए लीड बैंक योजना शुरू की गई। 1970 के दशक का पूर्वार्ध तेल की कीमतों में भारी वृद्धि, बांग्लादेश युद्ध और विनिमय दरों की ब्रेटन वुड्स प्रणाली के पतन जैसे संकटों से उत्पन्न अनिश्चितताओं से भरा था। विदेशी मुद्रा की कमी को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने आईएमएफ के साथ मिल कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा वैश्विक मौद्रिक प्रणाली में सुधारों पर विचार-विमर्श में योगदान दिया। कुल मिलाकर, 1960 के उत्तरार्ध और 1970 के दशक में संस्थाओं और बुनियादी ढांचे की पुनः स्थापना की गई।

डॉ. आशुतोष रारावीकर
निदेशक, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक

III. प्रणालीगत विविध सुधार

1970 और 1980 के दशक में, राजकोषीय प्रभुत्व और घाटे के स्वचालित मुद्रीकरण ने मौद्रिक नीति को बाधित किया था। घाटे के वित्तपोषण और वैश्विक संकट से उत्पन्न मुद्रास्फीति के कारण रिज़र्व बैंक ने 1985 में फीडबैक के साथ मौद्रिक लक्ष्यीकरण की रूपरेखा को अपनाया। 1980 के दशक में विभिन्न संकटों और समस्याओं को उभरते हुए देखा गया। व्यापक घरेलू आर्थिक असंतुलन और बाहरी क्षेत्र की गिरावट के परिणामस्वरूप 1991 में भुगतान संतुलन (बीओपी) संकट उत्पन्न हुआ। इसने देश में आर्थिक प्रबंधन में व्यापक परिवर्तन को आवश्यक बना दिया, जिसमें प्रतिबंधों के स्थान पर वित्तीय और संरचनात्मक सुधारों के साथ उदारीकरण को अपनाया गया। रिज़र्व बैंक ने सरकार के साथ मिल कर इन सुधारों के क्रियान्वयन का समन्वय किया और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए सरकार के साथ निरंतर चर्चा की।

1992 में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली (एलईआरएमएस) की शुरूआत करके विनिमय दरों को उदार बनाया गया। रिज़र्व बैंक और भारत सरकार के बीच समझौते के माध्यम से घाटे के स्वत: मुद्रीकरण की प्रणाली को वर्ष 1997 से चरणबद्ध रूप से समाप्त कर दिया गया। मुद्रा बाज़ार तथा सरकारी प्रतिभूति बाज़ार के विकास के लिए उपाय किए गए। नरसिंहम समिति-I[1] की

[1] वित्तीय प्रणाली पर समिति (अध्यक्ष : एम.नरसिंहम), भारत सरकार (1991).

सिफारिशों के अनुसार विवेकपूर्ण मानदंडों की शुरूआत और ऋण वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ ही बैंकिंग प्रणाली में सुधार किया गया।

वर्ष 1997 में एशियाई मुद्रा और वित्तीय संकट का आगमन और संक्रामकता वैश्विक मंदी का कारण बनी। रिज़र्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता का निर्माण करने और उसे बनाए रखने के लिए अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया। वित्तीय बाजार, संरचनात्मक और संस्थागत सुधार किए गए। वर्ष 1998 में बहु-संकेतक विधि को अपनाया गया, जिसमें सूचना सेट के रूप में विभिन्न संकेतकों का उपयोग किया गया। वर्ष 2000 में रेपो दर को नीति दर के रूप में अपनाकर मौद्रिक नीति के मुख्य साधन के रूप में चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) लागू की गई। पूंजी प्रवाह के कारण उत्पन्न अतिरिक्त चलनिधि को निष्फल करने के लिए एक नई मौद्रिक स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) शुरू की गई, जिसके प्रभाव से मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम किया जा सकेगा। तदर्थ राजकोषीय बिलों को बंद करने से मौद्रिक नीति में लचीलापन आया तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफ़आरबीएम) अधिनियम, 2003 द्वारा राजकोषीय अनुशासन लाया गया। ब्याज दरों के विनियमन के माध्यम से मौद्रिक नीति को अप्रत्यक्ष साधनों की ओर शिफ्ट किया गया।

स्वच्छ नोट नीति के द्वारा मुद्रा प्रबंध प्रणाली को मजबूत किया गया। कागज आधारित प्रणाली से इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में बदलाव ने रिज़र्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षी और विनियामक निरीक्षण के साथ आधुनिक खुदरा और थोक भुगतान प्रणाली के बुनियादी ढांचे का मार्ग प्रशस्त किया गया। भुगतान प्रणालियों के लिए बुनियादी ढांचा विकसित किया गया, जिसमें डिलिवरी बनाम भुगतान (डीवीपी), रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम (आरटीजीएस), इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) और नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम (एनडीएस) शामिल हैं। कानूनी सुधारों में सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 को लागू करना, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन करना, एसएलआर के लिए न्यूनतम दर को हटाना और आरबीआई अधिनियम, 1934 में संशोधन करना, सीआरआर की अधिकतम और न्यूनतम सीमा को हटाना और उसके द्वारा रिज़र्व बैंक को सीआरआर शेष पर ब्याज का भुगतान करने से रोकना शामिल है, जिससे मौद्रिक नीति में प्रभावशीलता और लचीलापन आया। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (फेरा) के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के अंतर्गत नया ढांचा लागू किया गया, जो एक उदारीकृत व्यवस्था में परिवर्तन को चिह्नित करता है, जहां विदेशी मुद्रा एक रणनीतिक परिसंपत्ति बन गई है।

इस प्रकार, रिज़र्व बैंक द्वारा आधुनिक प्रणाली का आधार और निर्माण किया गया। इस अवधि के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए सुधारों की नींव पर वर्तमान अत्याधुनिक प्रणाली की इमारत खड़ी है। रिज़र्व बैंक ने अपनी स्थापना से लेकर पूर्व-वैश्विक वित्तीय संकट के चरण (1935-2008) तक के इतिहास को अब तक 'भारतीय रिज़र्व बैंक' शृंखला के अंतर्गत पाँच खंडों में प्रलेखित और प्रकाशित किया है।

IV. संकट-शृंखला में व्यापक प्रबंधन

वर्ष 2008 से वैश्विक उथल-पुथल की एक शृंखला प्रारंभ हुई, जिसकी शुरुआत वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) से हुई। परिणामस्वरूप आर्थिक प्रबंध में एक बड़ा परिवर्तन आया। मौद्रिक नीति ढांचे में परिवर्तन, प्रौद्योगिकी में विकास, वित्तीय समावेशन का बढ़ता दायरा, ग्राहक संरक्षण, वित्तीय बाजारों का विस्तार, गहनता और विकास, वित्तीय प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण को बेहतर बनाना, कुशल ऋण प्रबंधन रणनीति को अपनाना, बुनियादी ढांचे के उन्नयन के साथ कुशल मुद्रा प्रबंधन, कुशल और किफायती भुगतान प्रणाली की स्थापना तथा मानव संसाधन विकास के साथ संगठनात्मक क्षमता का निर्माण करना यह भारत की केंद्रीय बैंकिंग के प्रमुख स्तंभ रहे। इनसे संकटों के दौरान देश को सुरक्षित रूप से आगे बढ़ाया गया और भारतीय अर्थव्यवस्था लचीली बनी रही।

इस अवधि में मौद्रिक नीति ढांचे में बड़े बदलाव देखे गए, जिसमें वर्ष 2016 में कीमत स्थिरता बनाए रखने के स्पष्ट अधिदेश के साथ लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआईटी) ढांचे को अपनाना, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का गठन, रेपो दर को एकल नीति दर के रूप में अपनाना, मुद्रास्फीति के प्रमुख मापक के रूप में हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) को अपनाना, नाउकास्टिंग के साथ लघु और मध्यम अवधि के पूर्वानुमान लगाना, द्वि-मासिक मौद्रिक नीति-चक्र में प्रक्रमण करना, बचत बैंक जमा ब्याज दरों का विनियमन करना और कोविड-19 के दौरान पारंपरिक और अपारंपरिक उपायों का प्रयोग करना शामिल है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण और विकास के लक्ष्यों के बीच संतुलन की आवश्यकता के अनुसार मौद्रिक नीति का रुख गतिशील रूप से बदला, जिसमें कीमतों में स्थिरता बनाए रखना प्राथमिक उद्देश्य रहा। भारत में मौद्रिक नीति के औपचारिक ढांचे का विकास चार्ट 1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1: मौद्रिक नीति ढांचे का विकास

वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएफआई) को अपनाने के साथ ही वित्तीय समावेशन एक प्रमुख कार्यक्रम बन गया। बाजारों को मजबूत बनाने, व्यापक और विकसित करने के लिए विनियामक उपाय किए गए। खुदरा निवेशकों को गिल्ट बाजारों तक सीधी पहुँच उपलब्ध कराने के लिए एक खुदरा प्रत्यक्ष योजना शुरू की गई। रिज़र्व बैंक द्वारा कम जोखिम, इष्टतम लागत और बाजार के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम का सफलतापूर्वक प्रबंध किया गया।

नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2014-15 में जन-धन खातों, आधार संख्याओं और मोबाइल नंबरों को जोड़ने के लिए जन-धन-आधार-मोबाइल (जेएएम) ट्रिनिटी को प्रारंभ किया गया। वर्ष 2016 में शुरू किए गए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने खुदरा डिजिटल भुगतानों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऋण की निर्बाध सुपुर्दगी के लिए घर्षण-रहित ऋण का प्रौद्योगिकी मंच यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) की हाल ही में शुरुआत की गई। मौजूदा आर्थिक पूंजीगत ढांचे की समीक्षा करने वाली विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: डॉ. बिमल जालान) की सिफारिश के अनुसार, वर्ष 2019 में सरकार को अधिशेष के हस्तांतरण और जोखिम प्रावधान को तय करने वाले ढांचे में संशोधन किया गया।

कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद, संकट प्रबंधन की विशेषताओं में बैंकों के माध्यम से चलनिधि प्रावधान, सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद का सीमित परिमाण और अवधि का कार्यक्रम, ऋण देने के दौरान संपार्श्विक मानकों को बनाए रखना, दबावग्रस्त ऋणों के लिए समाधान संरचना की शुरुआत करना, बशर्ते कि मापदंडों को पूरा किया जाए तथा पूंजी प्रवाह के लिए उचित समापन खंड शामिल किए जाएं, ताकि उसका उचित समाधान किया जा सके। महामारी के दौरान प्रभावी संचार प्रणाली मौद्रिक नीति का एक महतवपूर्ण स्तंभ बन गई। बाद में, यूक्रेन संकट से उत्पन्न मांग और आपूर्ति के दबावों के कारण मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण इस रुख को बदलकर समायोजन को वापस लिया गया तथा मई 2022 से फरवरी 2023 के दौरान नीति दर को कुल 250 आधार अंकों से बढ़ा दिया गया। ये नीतियां सफल साबित हुईं, जैसा कि वर्ष 2020-21 में (-) 5.8 प्रतिशत की संवद्धि की तुलना में महामारी के बाद वर्ष 2021-22 में 9.1 प्रतिशत, 2022-23 में 7.2 प्रतिशत और 2023-24 में 8.2 प्रतिशत की संवृद्धि से देखा जा सकता है।

अर्थव्यवस्था और उसके वित्तीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए, रिज़र्व बैंक ने महत्वपूर्ण उपाय किए हैं, जैसे कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋणों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण को शामिल करना, जलवायु से जुड़े वित्तीय जोखिमों के लिए प्रकटीकरण ढांचा तैयार करना और हरित जमा की शुरूआत करना। हरित वित्त पर अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का लाभ उठाने और योगदान देने के लिए रिज़र्व बैंक केंद्रीय बैंकों और वित्तीय प्रणाली को हरित बनाने के लिए पर्यवेक्षक नेटवर्क (एनजीएफ़एस) का सदस्य बना। रिज़र्व बैंक ने अपने परिचालन क्षेत्रों में कई लक्ष्यों को शामिल करते हुए अपनी मध्यम अवधि की रणनीति 'उत्कर्ष 2022' प्रारंभ किया। रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2023 में भारत की जी-20 अध्यक्षता के दौरान विशेषत: वित्तीय क्षेत्र में विभिन्न तरीकों से योगदान दिया। विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन सुरक्षा, चलनिधि और प्रतिफल के सिद्धांतों के साथ विवेकपूर्ण तरीके से किया गया तथा उनका विविधीकरण सुनिश्चित किया गया। इन सभी उपायों के कारण अर्थव्यवस्था को महामारी से बाहर निकाल कर एक संधारणीय पथ पर लाया जा सका।

V. उपसंहार

भारतीय रिज़र्व बैंक का देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रिज़र्व बैंक ने वित्तीय संस्थाओं का विकास, पंचवर्षीय योजनाओं का वित्तपोषण, बैंकिंग का प्रसार, आर्थिक क्षेत्र में सुधारों का समन्वय किया। स्थिरता के लिए संकटों के दौरान आर्थिक और वित्तीय प्रणाली का सुरक्षित रूप से प्रबंध किया, तथा वित्तीय समावेशन, विकास और समयबद्ध सुधारों के साथ भारत को उच्चतर स्तर पर पहुंचाया। शताब्दी की ओर रिज़र्व बैंक जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा, नब्बे वर्षों के दौरान तय की गई राह आगामी मार्ग के लिए अंतर्दृष्टि और प्रेरणा प्रदान करती रहेगी।

संदर्भ:

Das Shaktikanta (2020). Seven Ages of India's Monetary policy, Address by Governor, आरबीआई at St. Stephen College, University of Delhi on January 24, 2020. Retrieved from https://rbi.org.in/Scripts/BS_SpeechesView.aspx?Id=1092

Das Shaktikanta (2023). Building Blocks for a Sustainable Future: Some Reflections., Speech delivered by Governor, आरबीआई at the 29th Lalit Doshi Memorial Lecture on August 23, 2023 at the Y. B. Chavan Centre, Mumbai. Retrieved from https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_SpeechesView.aspx?Id=1379

Das Shaktikanta (2023). Central Banking in Uncertain Times: The Indian Experience, Opening Plenary Address delivered by Governor, आरबीआई at the Summar Meetings organised by Central Banking, London, UK on June 13, 2023. Retrieved from https://m.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewBulletin.aspx?Id=21855

Das Shaktikanta (2023). Art of Monetary Policy Making: The Indian Context, Speech by Governor, आरबीआई at Delhi School of Economics (DSE) Diamond Jubilee Distinguished Lecture, September 5, 2023. Retrieved from https://www.bis.org/review/r230906d.pdf

Das Shaktikanta (2024). Inaugural Address by Governor, Reserve Bank of India at the आरबीआई@90 Global Conference on "Digital Public Infrastructure and Emerging Technologies" at Bengaluru on August 26, 2024. Retrieved from https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Speeches/PDFs/INFRASTRUCTUREEMERGINGC4176815C3FC4EB98B271595FBC33E02.PDF

Raravikar, Ashutosh Y. (2023). Perspectives on the History of the Reserve Bank of India, *आरबीआई Bulletin*, No. 7, 105-116.

Reserve Bank of India (1970). *The Reserve Bank of India* (Volume 1). Mumbai: Reserve Bank of India.

Reserve Bank of India (1998). *The Reserve Bank of India* (Volume 2). Delhi: Oxford University Press.

Reserve Bank of India (1998). Dr. Rangarajan Releases आरबीआई History (1951-67), *Press Release*, Reserve Bank of India. Retrieved from https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/2344.pdf

Reserve Bank of India (2005). The Reserve Bank of India (Volume 3). Mumbai: Reserve Bank of India.

Reserve Bank of India (2005). The Evolution of Central Banking in India, *Report on Currency and Finance 2004-05*.

Reserve Bank of India (2013). The Reserve Bank of India (Volume 4). New Delhi: Academic Foundation.

Reserve Bank of India (2022). The Reserve Bank of India (Volume 5). Delhi: Cambridge University Press.

Reserve Bank of India, Annual Reports, various issues.

Subbarao D. (2013). आरबीआई History – Looking Back and Looking Ahead, *आरबीआई Bulletin*, Reserve Bank of India. https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Bulletin/PDFs/04_SP10092013.pdf.

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

सदस्यता फार्म

प्रबंध संपादक
'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन'
भारतीय रिज़र्व बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय
सी-9, आठवीं मंज़िल, बांद्रा कुर्ला संकुल
बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

महोदया/महोदय,

मैं तीन वर्षों के लिए 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' का ग्राहक बनना चाहता/चाहती हूँ। आपसे अनुरोध है कि निम्नांकित ब्योरे के अनुसार मुझे नियमित रूप से पत्रिका भेजें।

सदस्यता क्रमांक (यदि पहले से सदस्य हैं) : _____

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) : श्री/श्रीमती/सुश्री/कुमारी _____

पता (स्पष्ट अक्षरों में) : _____

_____

केंद्र _____ **पिन कोड** _____ **मोबाइल नं.** _____

टेलीफोन नं. (कार्यालय) _____ **निवास** _____ **फैक्स नं.** _____

एसटीडी कोड _____ **ई मेल पता :** _____

दिनांक : _____

भवदीय/या

(हस्ताक्षर)

भारत के विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा में आर्थिक क्षेत्र की भूमिका

- शिवानी अग्रवाल

21वीं शताब्दी भारत की विकास यात्रा के उन स्वर्णिम पृष्ठों का उल्लेख कर रही है जब भारत विकासशील से विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। विकास की इस यात्रा में आर्थिक क्षेत्र एक सशक्त आधारस्तंभ बनेगा। एक मजबूत और विविधतापूर्ण अर्थव्यवस्था ही देश को वैश्विक मंच पर आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धात्मक बना सकती है।

उपनिवेशीकरण की दो शताब्दियों ने भारत के सामने विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक चुनौतियाँ खड़ी कर दी थीं। किन्तु, स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने हर प्रतिकूलता का दृढ़ता से सामना किया और प्रमुख आर्थिक सुधार जैसे 1991 के आर्थिक उदारीकरण, हरित क्रांति, वस्तु और सेवा कर, आत्मनिर्भर भारत अभियान आदि के माध्यम से उल्लेखनीय प्रगति की। परिणाम स्वरूप आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रतिष्ठित है। अधिकांश अनुमानों के अनुसार, यह 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। यहाँ से, भारत ने 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लिया है, जो हमारी स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष होगा। इस यात्रा में आर्थिक क्षेत्र से जुड़े विभिन्न सुधार और नीतियां एक अहम भूमिका निभाएँगी।

शिवानी अग्रवाल
प्रबंधक, डीईपीआर,भारतीय रिज़र्व बैंक
मुंबई

विकसित भारत से क्या तात्पर्य है?

विकसित भारत को परिभाषित करना आवश्यक है। किन्तु, 'विकसित देश' शब्द की कोई एक सार्वभौमिक स्वीकृत परिभाषा नहीं है। विश्व बैंक उन देशों को 'उच्च-आय वाले देश' के रूप में वर्गीकृत करता है जिनकी सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) प्रति व्यक्ति 14,005 डॉलर (2023 में) से अधिक है।

किन्तु, विकसित भारत केवल एक आर्थिक मापदंड तक सीमित नहीं हो सकता। यह एक ऐसा भारत होगा, जिसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और संस्थागत विशेषताएँ उसे एक समृद्ध विरासत और ज्ञान की अग्रिम सीमाओं पर कार्य करने योग्य राष्ट्र के रूप में पहचान दिलाएंगी। यह एक ऐसा भारत होगा जिसमें नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण आवास, 24x7 स्वच्छ पानी, बिजली, उच्च गति ब्रॉडबैंड और बैंकिंग सुविधाएँ, उच्च जीवन प्रत्याशा और सस्ती विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएँ, सार्वभौमिक साक्षरता, सार्थक रोजगार के अवसर और समृद्ध आजीविका, प्रौद्योगिकी-संचालित जीवनशैली, अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचा, इत्यादि होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था समृद्ध होगी, तथा ग्रामीण जीवन स्तर शहरी क्षेत्रों के बराबर होगा। विकसित भारत एक समावेशी और लोकतांत्रिक विकास मॉडल है, जिसमें प्राचीन संस्कृति और धरोहर का सम्मान तथा पर्यावरण के प्रति जागरूक समुदाय महत्वपूर्ण होंगे। इस प्रकार, विकसित भारत में प्रौद्योगिकी, समृद्धि, पर्यावरणीय जिम्मेदारी और सांस्कृतिक विरासत का उचित संतुलन होगा।

आर्थिक क्षेत्र : अवसर, सुधार और चुनौतियाँ

भारत का आर्थिक क्षेत्र पिछले कुछ दशकों में महत्वपूर्ण वृद्धि और परिवर्तन का साक्षी रहा है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण, नवीकरणीय ऊर्जा, और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भी नेतृत्व स्थापित किया है।

वित्त वर्ष 2024–25 में भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहा। विदेशी मुद्रा भंडार का रिकॉर्ड स्तर, नियंत्रित चालू खाता घाटा और बढ़ते विदेशी निवेश जैसे प्रमुख संकेतक दर्शाते हैं कि भारत की दीर्घकालिक संभावनाओं पर वैश्विक विश्वास निरंतर बढ़ रहा है, तथा भारतीय अर्थव्यवस्था न केवल विस्तार कर रही है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है।

किन्तु, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी भी कई अवसर और चुनौतियाँ मौजूद हैं, तथा व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। कुछ प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों का विवरण उल्लेखनीय है:

1. **कृषि :** भारत में कृषि न केवल आर्थिक गतिविधियों का मुख्य आधार है, बल्कि यह ग्रामीण समाज की जीवनरेखा भी है। हमारी लगभग 60 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। हालांकि कृषि देश के सकल घरेलू उत्पाद में केवल 16 प्रतिशत योगदान करता है, लेकिन यह खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

   - आज कृषि क्षेत्र कई चुनौतियों, जैसे कम किसान आय, अपर्याप्त अवसंरचना, जलवायु परिवर्तन, जल की कमी और मिट्टी का अपक्षय का सामना कर रहा है, जिनका समाधान भारत के विकसित होने की दिशा में अत्यंत आवश्यक है।
   - पिछले कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए हैं। जैसे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (किसान आय सुरक्षा के लिए), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (फसल बीमा के लिए), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (सिंचाई क्षमता में वृद्धि के लिए), ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (कृषि विपणन में सुधार करने और किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए), राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (भारतीय कृषि में पर्यावरण के अनुकूल विकास को बढ़ावा देने के लिए) आदि।

     आगे बढ़ते हुए, कृषि को 'विकसित भारत' के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होगी।

2. **उद्योग- विनिर्माण और सेवा क्षेत्र :** भारत में उद्योग क्षेत्र देश की आर्थिक संरचना का एक प्रमुख आधार है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में प्रगति न केवल सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाती है, बल्कि रोजगार के नए अवसर पैदा करती है और निर्यात को भी बढ़ाती है।

   - सेवा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 55-60 प्रतिशत का योगदान देता है और अपनी वैश्विक पहचान बना चुका है; जैसे आज आईटी और सॉफ्टवेयर सेवा में भारत दुनिया का प्रमुख केंद्र है और इनके निर्यात ने विदेशी मुद्रा अर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने वर्ष 2023 में वैश्विक सेवा निर्यात में 4.3 प्रतिशत की हिस्सेदारी हासिल की, और इस क्षेत्र में विश्व स्तर पर सातवां स्थान प्राप्त किया। आज बैंकिंग, बीमा, टेलीकॉम, रियल एस्टेट, और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नौकरियां सृजित हो रही हैं।
   - किन्तु, विनिर्माण क्षेत्र में भारत का प्रदर्शन उतना सराहनीय नहीं रहा है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान लगभग 15-20 प्रतिशत ही है। पुरानी तकनीक और अपर्याप्त अवसंरचना के कारण भारतीय निर्माता वैश्विक प्रतिस्पर्धा और अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रहते हैं। कुशल कार्यबल की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। विश्व बैंक के अनुसार, भारत के केवल 24 प्रतिशत कार्यबल के पास जटिल विनिर्माण नौकरियों (complex manufacturing jobs) के लिए आवश्यक कौशल है, जबकि अमेरिका में यह 52 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया में 96 प्रतिशत है। इसके अलावा जटिल नियामक वातावरण और भूमि अधिग्रहण की जटिल प्रक्रिया (नीति आयोग) भी विनिर्माण क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास में बाधा हैं।
   - इन चुनौतियों से उभरने के लिए पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जैसे: मेक इन

इंडिया (भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए), पीएलआई योजनाएँ (विनिर्माण में निवेश आकर्षित करने के लिए), विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति में सुधार, स्टार्ट-अप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान (भारत को आत्मनिर्भर बनाने और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए), विशेष आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण, आदि।

- इनके परिणामस्वरूप भारत के विनिर्माण क्षेत्र ने हाल के वर्षों में मजबूत वृद्धि दिखाई है। वित्त वर्ष 2024-25 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि की अपेक्षा की गई है। वर्तमान में 99 प्रतिशत स्मार्टफोन देश के भीतर ही निर्मित हो रहे हैं, जिससे भारत की आयात पर निर्भरता में उल्लेखनीय कमी आई है। वित्त वर्ष 2023-24 में फार्मास्युटिकल क्षेत्र का कुल वार्षिक कारोबार ₹4.17 लाख करोड़ रहा, जो पिछले पाँच वर्षों में औसतन 10.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। एनसीएईआर (NCAER) द्वारा तैयार वर्तमान आकलन के अनुसार, भारत में लॉजिस्टिक्स लागत कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 7.97 प्रतिशत आंकी गई है।

सतत विकास और समावेशी नीतियों के माध्यम से यह क्षेत्र भारत को विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में मजबूती प्रदान करेगा।

3. **अवसंरचना :** देश में अवसंरचना का विकास और विस्तार 'विकसित भारत' की यात्रा का आधार-स्तम्भ बन रहा है। किसी भी देश की अवसंरचना की मात्रा और गुणवत्ता ही यह तय करती है की देश अपनी क्षमता का प्रयोग कैसे कर सकता है। भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए, अवसंरचना का सतत विकास आवश्यक है।

- इस दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल की जा रही हैं, जैसे प्रधान मंत्री गति शक्ति मिशन (मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी प्लान), उड़ान योजना (हवाई अड्डों के निर्माण और आम नागरिक के लिए हवाई यात्रा सुगम बनाने के लिए), स्मार्ट सिटी मिशन (100 शहरों को स्मार्ट सिटी में परिवर्तित करने के लिए, जहाँ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो), भारतमाला योजना (देश में परिवहन नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए), सागरमाला योजना (देश के समुद्री बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों का विकास और आधुनिकीकरण करने के लिए), आदि। साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजीगत व्यय के लिए ₹11.21 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 3.1 प्रतिशत है।

इन परियोजनाओं का भारत की अर्थव्यवस्था पर गुणात्मक प्रभाव पड़ रहा है और समावेशी अवसंरचना विकास से भारत 2047 तक "विकसित भारत" के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।

4. **डिजिटल अवसंरचना :** आज डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) 'विकसित भारत' की नींव बन रहा है। यह न केवल भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने में अपना योगदान दे रहा है, बल्कि भारत में वित्तीय समावेशन को भी बढ़ा रहा है, और भारत की प्रगति को आवशयक गति प्रदान कर रहा है।

- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) का विस्तार उल्लेखनीय है। जून 2025 में यूपीआई ने ₹24.03 लाख करोड़ से अधिक राशि के 18.39 अरब लेनदेन सफलतापूर्वक संसाधित किए। आज, भारत में सभी डिजिटल लेनदेन का 85 प्रतिशत हिस्सा यूपीआई के माध्यम से किया जाता है। साथ ही यूपीआई की वैश्विक लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है और अब यूपीआई 7 देशों में सहजता से लेन-देन की सुविधा प्रदान कर रहा है, जिनमें प्रमुख बाजार जैसे संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, और मॉरीशस शामिल हैं।

5. **मानव संसाधन :** कुशल मानव संसाधन आर्थिक प्रगति का आधार बनते हैं। भारत की दो-तिहाई आबादी 15-64 वर्ष के बीच होने के कारण भारत के पास एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय लाभ है, जिसका यदि प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए, तो आर्थिक विकास को गति दे सकता है (यूएनएफपीए, 2023)। आज विज्ञान, स्वास्थ्य सेवाओं और नवाचार में बढ़ता निवेश भारत को एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जा रहा है, जिससे न केवल आर्थिक वृद्धि संभव हो रही है, बल्कि सामाजिक प्रगति भी सुदृढ़ हो रही है।

- यद्यपि गत वर्षों में शिक्षा और स्वस्थ्य संबन्धित अनेक कदम उठाए गए हैं जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, डिजिटल पहल (स्वयम, दीक्षा, और अन्य ई-लर्निंग प्लेटफार्म), आईआईटी, आईआईएम, और एम्स जैसे संस्थानों का विस्तार, आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, आदि; भारत का मानव विकास सूचकांक (एचडीआई), जो शिक्षा, जीवन स्तर, और जीवन प्रत्याशा जैसे मानकों पर आधारित है, अभी भी वैश्विक स्तर पर कमजोर है। 2025 के मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 193 देशों में भारत 130वाँ स्थान पर रहा।
- भारत में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, तथा 2,481 डॉलर की प्रति व्यक्ति आय भारत को निम्न-मध्यम आय वाले देशों के समूह में श्रेणीबद्ध करती है (विश्व बैंक, 2024)।
- विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भी भारत 147 देशों में 118वें स्थान पर है, जबकि यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। खुशहाली सूचकांक में सुधार लाए बिना विकसित भारत का लक्ष्य केवल एक सपना रहेगा।

निष्कर्ष: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य प्राप्ति में आर्थिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण एवं व्यापक भूमिका है। समावेशी विकास, आर्थिक सुधार और नवाचारों को प्रोत्साहन ही भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना रहे हैं। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में संतुलित विकास तथा सतत आर्थिक नीतियां ही भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में सहायक सिद्ध होंगी।

संदर्भ :

केंद्रीय बजट 2025-26, भारत सरकार।

[पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी), भारत सरकार, 30 अगस्त 2025]: https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=155121&ModuleId=3

विकसित भारत 2047: नीति आयोग का दृष्टिकोण पत्र: https://worldtradescanner.com/Vision%20fro%20Viksit%20Bharat%20@2047%20An%20Approach%20Paper.pdf

[पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी), भारत सरकार, 6 जुलाई 2025]: https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154840&ModuleId=3

[पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी), भारत सरकार, 31 जनवरी 2025]: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2097919

[पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी), भारत सरकार, 31 जनवरी 2025]: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2097919

[पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी), भारत सरकार, 20 सितंबर 2025]: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2168995

[पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी), भारत सरकार, 20 जुलाई 2025]: https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154912&ModuleId=3

https://hdr.undp.org/data-center/country-insights#/ranks

बैंकिंग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के प्रयोग की संभावनाएं एवं चुनौतियां

- श्रीनिवास कृष्णन

डिजिटल प्रयोग के नव तकनीकों से बैंकिंग संव्यवहार सभी ग्राहकों के लिए अधिक सुविधायुक्त और आसान बन गए हैं और इसने बैंकिंग व्यवसाय में विकास के नए अवसरों को निर्मित किया है। अब बैंक इन डिजिटल तकनीकों से एक कदम आगे बढ़कर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग द्वारा अपनी कार्यशैली में क्रांतिकारी सुधार लाकर उसे अधिक सटीक व तर्कयुक्त बनाकर, उसे ग्राहकों के लिए और स्वयं बैंक के लिए अधिक लाभकारी बना रहे हैं।

वर्तमान समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् Artificial Intelligence वह नई तकनीकी संकल्पना है जो सभी उद्योगों के मौलिक स्वरूप को पूरी तरह बदल रही है और बैंक भी इससे अछूता नहीं है। वर्तमान में बैंक ग्राहकों की ऋण पात्रता के निर्धारण, निवेश, वित्तीय धोखाधड़ियों को रोकने आदि में इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर रहे हैं। 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' वर्तमान में उपयोग किए जा रहे कम्प्यूटरों का वह रोबोटिक रूप है जो मनुष्यों की तरह ही सोचने, समझने व निर्णय लेने में सक्षम है। इसके लिए इन कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को तीन प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है। पहले चरण में इस प्रणाली में विभिन्न प्रकार की सूचनाओं व जानकारियों को शामिल किया जाता है और उन्हें कुछ नियमों का अनुपालन करना सिखाया जाता है। दूसरे चरण में इन प्रणालियों को यह सिखाया जाता है कि वह बनाए गए नियमों का अनुपालन करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े और अंतिम तीसरे चरण में उसे अपनी ही गलतियों को ठीक कर आगे बढ़ना सिखाया जाता है। इस तरह कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली पहले हम मनुष्यों की तरह किसी समस्या को समझती हैं, फिर वह निर्णय लेती हैं कि क्या करना उचित होगा और अंत में वह समस्या का समाधान प्रस्तुत करती हैं।

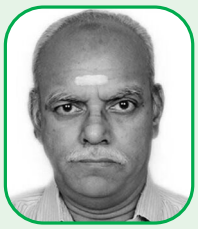

श्रीनिवास कृष्णन
प्रबंधक (सेवा निवृत्त)
बैंक ऑफ बड़ौदा, अहमदाबाद

वर्तमान में बैंक अपने ग्राहकों के जाति, धर्म, नस्ल, आय आदि से जुड़े आँकड़ों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से विश्लेषित कर, इनका उपयोग ग्राहकों को ऋण देने, निवेश करने, वित्तीय धोखाधड़ियों को रोकने आदि में सीमित मात्रा में कर रहे हैं किन्तु भविष्य में बैंकिंग के हर क्षेत्र में और अधिक व्यापक रूप में इनके उपयोग की पूरी संभावना है।

यह इसलिए क्योंकि अभी कुछ दिन पूर्व प्रौद्योगिकी बाज़ार खुफिया और सलाहकार सेवाओं के प्रदाता "इन्टरनेशनल डेटा कार्पोरेशन"(आईडीसी) ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक खर्च लगभग रुपए 166 बिलियन डॉलर से कहीं अधिक है। इसमें भी बैंकिंग क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक लगभग 13% है। इसी रिपोर्ट में आगे यह भी बताया गया कि अगले तीन वर्षों में विभिन्न उद्योगों का कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक खर्च बढ़कर रुपए 270 बिलियन डॉलर से कहीं अधिक हो जाएगा। भारत में अभी सबसे अधिक बीमा क्षेत्रों में 54% और बैंकिंग क्षेत्र में 34% से अधिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी सेवाओं का उपयोग हो रहा है। इसी प्रकार "नेरिटिव साइंस" नामक संस्थान ने अपने सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया कि भारत में अभी 32% से अधिक वित्तीय संस्थान कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं।

ग्राहक सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग की संभावनाएं :

भारत एक बहुभाषी देश है और यह सर्वविदित है कि यदि ग्राहक को उसकी अपनी ही भाषा में सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं तो यह उसे अधिक गहरे तौर पर प्रभावित करता है। इस विषय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता ली जा सकती है। अभी हाल ही में भारतीय

स्टेट बैंक ने 'SBI Intelligence Assistant' (SIA) नाम से एक चैटबॉट शुरू किया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से निर्मित ये बहुभाषी 'चैटबॉट' ग्राहकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी अपनी पसंदीदा भाषा में उन्हें अधिक असरदार व प्रभावी तरीके से अपनी सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। स्टेट बैंक की SIA चैटबॉट को करीब 10,000 समस्याएं प्रति सेकंड या यूँ कहें 864 मिलियन समस्याएं प्रतिदिन प्राप्त हो रही हैं जो कि गूगल में प्रोसेस किए जाने वाले सवालों के 25% से अधिक हैं। 'बिजनेस इनसाइडर' की एक रिपोर्ट के मुताबिक धन प्रबन्धन सेवा, उधारकर्ता की ऋण पात्रता, ग्राहक विश्लेषण और वित्तीय धोखाधड़ियों आदि को रोकने में ये चैटबॉट ही आने वाले समय में ग्राहकों को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे।

इसी तरह आने वाले समय में हो सकता हैं कि हमें बैंकों में ग्राहक सेवा की खातिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से निर्मित रोबोट्स ही दिखाई दें। वर्ष 2016 में भारत की सिटी यूनियन बैंक ने चेन्नई की एक शाखा में 'लक्ष्मी' नामक रोबोट को नियुक्त कर इसकी शुरूआत कर भी दी है। अभी कुछ समय पूर्व भारत के राष्ट्रीयकृत बैंक केनरा बैंक ने भी अपनी शाखाओं में प्रायोगिक तौर पर 'मित्रा' और 'कैन्डी' नाम के रोबोट नियुक्त किए हैं। ये रोबोट पूरी तरह इंसानों की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। इसमें एक बैंकर की सभी खूबियां मौजूद हैं। इसका हाई-स्पीड कैमरा इतना शक्तिशाली हैं कि वह पल भर में असली और नकली करेन्सी में अन्तर को बता देता है। इसमें लगे कैमरे 360 डिग्री तक घूम सकते हैं, अत: इसके जरिए 24 घंटे बैंकों में निगरानी की जा सकती है। इसमें शिष्टाचार की प्रोग्रामिंग भी की गई है, इसलिए, यह बैंक में आए ग्राहकों का स्वागत करने, उन्हें सही काउन्टर तक पहुँचाने और उन्हें ऋण, जमा, क्रेडिट कार्ड आदि की पूरी जानकारी भी उपलब्ध कराता है।

बैंकिंग उत्पादों के निर्माण व उनके विपणन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग :

वर्तमान में सभी बैंक अपने सभी ग्राहकों की आय, जाति, धर्म, रूचि आदि से संबंधित आँकड़ों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा गहन विश्लेषित कर, उनकी अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी ऋण व जमा से संबंधित विभिन्न योजनाओं को निर्मित कर रही हैं, किन्तु भविष्य में बैंक इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग अधिक व्यापक रूप में कर सकते हैं। चूँकि सभी बैंक शाखाओं की भौगोलिक व समाजिक स्थिति भिन्न होती है इसलिए भविष्य में बैंक शाखावार ग्राहकों की जाति, धर्म, आय, रूचि आदि से संबंधित आँकड़ों को एकत्रित कर, उन्हें कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा विश्लेषित कर, शाखावार ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप ऋण व जमा से संबंधित योजनाओं को निर्मित करेंगे। वह इन योजनाओं को चाहने वाले व इनमें रूचि रखने वाले ग्राहकों की सूची भी अपनी शाखाओं को उपलब्ध कराएगी। इससे इनके विपणन में भी शाखा को बहुत आसानी होगी।

शाखा के गर्वनेन्स में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग :

ऋण व जमा में ब्याज की गणना करने में हमारे बैंक बहुत पहले से कम्प्यूटरों की मदद ले रहे हैं किन्तु अब बहुत से बैंक ऋण व जमा में ब्याज की गणना करने, ऋण की किश्त के बारे में ग्राहकों को अनुस्मारक पत्र भेजने व उन्हें इस बारे में एसएमएस भेजने आदि को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सहयोग से निपटा रहे हैं। इसके फलस्वरूप ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से नियत तारीख, समय में ग्राहकों को ऋण की किश्त के लिए उन्हें फोन किए जा रहे हैं।। उन्हें एसएमएस/ईमेल आदि भेजे रहे हैं और स्वयं ही नियत तारीख, समय पर उनके ऋण व जमा खातों में ब्याज की गणना भी हो रही है।

वित्तीय धोखाधड़ी रोकने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग :

'फाइनेन्सियल फ्रॉड' ने अपनी एक रिपोर्ट में यह बताया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस प्रणालियां वित्तीय धोखाधड़ियों को उसके 'Real time' में पकड़ लेती हैं और इसके बारे में संबंधित ग्राहकों को और बैंक के उच्चाधिकारियों को सचेत कर देती हैं। वह वित्तीय अपराधियों द्वारा अपनाए जाने वाले नित नए-नए हथकंडों से स्वयं को अद्यतन करती है और वह ग्राहकों को ई-मेल, एसएमएस द्वारा इससे सचेत भी करती है। यहीं नहीं, वह ऋण से जुड़े ग्राहकों के सभी संदिग्ध लेनदेनों और संव्यवहारों की सूचना तुरन्त ही बैंक को देती है जिससे भविष्य में ऋणों के डूबने का खतरा भी पूरी तरह मिट जाएगा।

संक्षेप में, आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग बैंकिंग क्षेत्र में जितना अधिक हो रहा है इससे कहीं अधिक इनके उपयोग की संभावनाएं भी आए दिन बैंकिंग क्षेत्र में निर्मित हो रही हैं। किन्तु इसके साथ ही यह भी एक कटु सत्य है कि झूठे व कृत्रिम आँकड़ों के कारण

इनका ठीक तरह से काम न करना, अर्थव्यवस्था में रोजगार के संकट को निर्मित करना जैसी कुछ गंभीर चुनौतियां भी आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता को प्राप्त हो रही हैं। आइए, हम यहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मिल रही इन चुनौतियों पर भी संक्षेप में कुछ चर्चा कर लें :

झूठे व कृत्रिम आँकड़ों से कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मिल रही चुनौतियां :

वर्तमान में व्हाट्सएप व फेस-बुक की दुनिया में बहुत सी कंपनियां व लोग अपने बारे में झूठे व भ्रामक आँकड़ों को निर्मित कर, बाजार में अपनी एक गलत व भ्रामक छवि निर्मित कर रहे हैं और फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस प्रणालियां ऐसे ही झूठे आँकड़ों को विश्लेषित कर, बैंकों को और आम जनता को गलत परिणाम देकर उनका नुकसान करवा रही हैं। इसके कारण आम जनता की इनके प्रति विश्वसनीयता भी कम हो रही है।।

मशीनों पर अत्यधिक निर्भरता :

बैंकिंग के हर क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के फलस्वरूप बैंक के स्टाफ सदस्यों की कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों पर निर्भरता बहुत अधिक बढ़ गई है। इससे बैंक के स्टाफ सदस्यों की स्मरण शक्ति का ह्रास हो रहा है। इसके अत्यधिक उपयोग के कारण वे सामान्य से जोड़-घटाव, गुणा-भाग के कार्य को भी नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें बैंक की कुछ प्रमुख ऋण व जमा से संबंधित योजनाओं की कुछ मुख्य बातें भी स्मरण नहीं हैं। इसका बैंक की ग्राहक सेवा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और बैंक की छवि भी खराब हो रही है।

रोजगार सृजन में कमी :

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण बड़ी संख्या में तकनीक आधारित रोजगार निर्मित हो रहे हैं किन्तु इसके साथ ही यह भी एक कटु सत्य है कि इसकी वजह से आज बहुत से लोग अपनी नौकरियां गवां भी रहे हैं। आज प्राय: सभी बैंकों में भी कमोबेश यहीं स्थिति है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से शाखाओं का विस्तार कर, बैंक अपने ग्राहक नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं और स्टाफ सदस्यों की संख्या को सीमित कर रहे हैं। इसकी वजह से बैंक के कर्मचारियों में कार्य का अत्यधिक दबाव, नौकरी खोने का भय निर्मित हो रहा है और यह उनके कार्य को प्रभावित कर रहा है।

असामान्य परिस्थितियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का काम न करना:

बहुत से विद्वान जानकारों ने यह माना है कि चूँकि बैंकों का सम्बन्ध देश की अर्थव्यवस्था से है, इसलिए, बैंकों की कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर बहुत अधिक निर्भरता देश के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। यह इसलिए, क्योंकि एक साधारण निवेश का प्रबन्धन हम इन कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से कर सकते हैं किन्तु बाजार के उतार-चढ़ाव की असामान्य परिस्थितियों को समझना इनके बस की बात नहीं है। इसी प्रकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस प्रणालियां कभी-कभी अपनी सर्किट में खराबी व वायरस के चलते गलत निर्णय व गलत परिणाम प्रदान करती हैं, इसलिए, बैंकों की इनपर अत्यधिक निर्भरता उनके लिए अधिक नुकसानदेह ही साबित होगी।

उपसंहार :

संक्षेप में, जैसा कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने आज सभी उद्योगों के स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया है और बैंकिंग उद्योग भी इससे अछूता नहीं है। आज वित्तीय बाजार में कर्ज, निवेश, बचत आदि की सलाह देने वाली बड़ी-बड़ी कम्पनियां, स्टार्ट-अप्स और बैंक कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद ले रहे हैं। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से सभी निर्णय मानवीय संवेदनाओं, विचारों, पूर्वाग्रहों के दोषों से मुक्त होकर, आँकड़ों के विश्लेषण द्वारा तटस्थ और निष्पक्ष होकर लिए जा रहे हैं, जिससे बैंकों को और उनके अपने ग्राहकों को अच्छा 'रिटर्न' भी प्राप्त हो रहा है। किन्तु इसके साथ ही झूठे भ्रामक आँकड़ों, रोजगार की कमी जैसी कुछ गंभीर चुनौतियां भी इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मिल रही हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े वैज्ञानिक व सॉफ्टवेयर इंजीनियर जहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस प्रणालियों को स्वयं ही आँकड़ों की सत्यता व परिशुद्धता को मापने हेतु सक्षम बना रही हैं वहीं सरकार द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगारों के निर्माण के प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए, हम कह सकते हैं कि नव-तकनीकों के प्रयोग के फलस्वरूप तेजी से बदलते बैंकिंग परिवेश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भविष्य अत्यधिक उज्वल है और यह आने वाले समय में बैंकों व ग्राहकों, दोनों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा।

विकसित भारत@2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका

- डॉ. निधि शर्मा

विकसित भारत@2047 का लक्ष्य एक समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय रिज़र्व बैंक न केवल देश की मौद्रिक नीति को अभिशासित करता है, बल्कि वित्तीय स्थिरता, बैंकिंग प्रणाली की मजबूती और आर्थिक विकास को भी सुनिश्चित करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक की नीतियाँ और निर्णय देश की आर्थिक दिशा को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर हो सके। देश के केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक अर्थव्यवस्था को इस लक्ष्य की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रिज़र्व बैंक के पास विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने, विनियामक निगरानी सुनिश्चित करने और सतत विकास को आगे बढ़ाने की महती जिम्मेदारी है।

भारतीय रिज़र्व बैंक का मुख्य उद्देश्य देश की वित्तीय प्रणाली को स्थिर और सुरक्षित रखना है। यह बैंकों को लाइसेंस जारी करता है और उनकी गतिविधियों की निगरानी करता है ताकि वे नियमों का पालन करें और ग्राहकों के हितों की रक्षा हो सके। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चलाता है, जिससे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हो सकें। भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति देश की अर्थव्यवस्था को संतुलित रखने में मदद करती है। यह ब्याज दरों को नियंत्रित करता है, जिससे निवेश और उपभोग को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है, जिससे देश की मुद्रा की स्थिरता बनी रहती है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में संतुलन बना रहता है। रिज़र्व बैंक द्वारा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। यह विभिन्न डिजिटल भुगतान प्रणालियों को विकसित और प्रोत्साहित करता है, जिससे लेन-देन में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ी है।

रिज़र्व बैंक का एक और महत्वपूर्ण कार्य है वित्तीय संकटों से निपटना। यह बैंकों और वित्तीय संस्थानों को आवश्यक सहायता प्रदान करता है ताकि वे संकट के समय में भी स्थिर रह सकें। इसके अलावा, आरबीआई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठनों के साथ मिलकर काम करता है, जिससे वैश्विक वित्तीय स्थिरता में योगदान मिलता है। इस प्रकार, भारतीय रिज़र्व बैंक देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में कार्य करता है। इसकी नीतियां और कार्यक्रम देश की वित्तीय प्रणाली को स्थिर और सुरक्षित रखने में मदद करते हैं, जिससे समग्र आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है।

रिज़र्व बैंक की स्थापना 1935 में बैंक नोटों के मुद्दे को विनियमित करने, मौद्रिक स्थिरता को सुरक्षित करने के लिए भंडार बनाए रखने और देश की ऋण और मुद्रा प्रणाली को संचालित करने के प्राथमिक उद्देश्य से की गई थी। दशकों से, रिज़र्व बैंक ने बदलते आर्थिक परिदृश्यों के अनुसार अपना विकास किया है और भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रमुख मील के पत्थरों में 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1991 में अर्थव्यवस्था का उदारीकरण और वित्तीय प्रणाली की दक्षता और स्थिरता को बढ़ाने के लिए विभिन्न वित्तीय सुधारों का कार्यान्वयन शामिल है।

डॉ. निधि शर्मा
प्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल

विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब देश बहुत तेजी से विकास करे, सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि हो, बेरोजगारी में कमी आए, कृषि और एमएसएमई क्षेत्र में संवृद्धि हो, राजकोषीय घाटा कम हो, देश में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस पर ध्यान दिया जाए, शिक्षा और कौशल विकास में उन्नति हो, जलवायु परिवर्तन के खतरे पर समुचित ध्यान दिया जाए और हरित वित्त को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएं तथा वित्तीय समावेशन में और तेजी लाई जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रमुख कार्यों पर विचार किया जाए तो यह स्पष्ट है कि देश के विकास में इसकी भूमिका बहुत अहम है। देश के आर्थिक विकास में रिज़र्व बैंक की भूमिका को संक्षेप में निम्नानुसार रेखांकित किया जा सकता है:

मौद्रिक नीति और आर्थिक स्थिरता

भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य कार्यों में से एक मौद्रिक नीति तैयार करना और उसे लागू करना है जिसका उद्देश्य विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। भारतीय रिज़र्व बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और अर्थव्यवस्था में तरलता का प्रबंधन करने के लिए रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और नकद आरक्षित अनुपात जैसे विभिन्न उपायों का सहारा लेता है।

- **मुद्रास्फीति नियंत्रण :** अपनी नीतियों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक उधार लेने और खर्च करने के व्यवहार को प्रभावित करता है, जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है। आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए कम और स्थिर मुद्रास्फीति बनाए रखना महत्वपूर्ण है।
- **ब्याज दरें :** ब्याज दरों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के फैसले व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए उधार लेने की लागत को प्रभावित करते हैं, निवेश और उपभोग पैटर्न को प्रभावित करते हैं।
- **चलनिधि प्रबंधन:** वित्तीय प्रणाली में पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करना सुचारू आर्थिक कामकाज के लिए आवश्यक है। भारतीय रिज़र्व बैंक चलनिधि का प्रबंधन करने के लिए खुले बाजार के संचालन और अन्य साधनों का उपयोग करता है।

वित्तीय समावेशन और डिजिटल परिवर्तन

वित्तीय समावेशन रिज़र्व बैंक के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता है, जिसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से वंचित और बिना बैंक वाले लोगों को वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्रदान करना है। कोई भी राष्ट्र तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक उसके नागरिक वित्तीय समावेशन के दायरे में न हों और देश के विकास में गरीब और वंचित लोगों की भागीदारी न हो।

- **जन धन योजना :** 2014 में शुरू की गई इस पहल ने बैंक खातों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिससे लोगों में बचत और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा मिला है।
- **डिजिटल भुगतान :** भारतीय रिज़र्व बैंक यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) जैसी पहलों के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में सबसे आगे रहा है, जिसने भारत में लेन-देन के तरीके में क्रांति ला दी है।
- **फिनटेक नवाचार :** रिज़र्व बैंक फिनटेक स्टार्टअप के विकास का समर्थन करता है, वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देता है और वित्तीय सेवाओं की पहुँच और दक्षता को बढ़ाता है।

विनियामक ढाँचा और वित्तीय स्थिरता

रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य निम्नानुसार विनियामक निगरानी की जाती है:

- **बैंकिंग विनियमन :** भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकों के लिए उनकी वित्तीय स्थिति और स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए विवेकपूर्ण मानदंड और दिशानिर्देश निर्धारित करता है। इसमें पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताएं, परिसंपत्ति गुणवत्ता मानदंड और जोखिम प्रबंधन प्रथाएं शामिल हैं।
- **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) :** भारतीय रिज़र्व बैंक प्रणालीगत जोखिमों को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए एनबीएफसी को नियंत्रित करता है कि वे सुरक्षित और सुदृढ़ तरीके से काम करें।
- **संकट प्रबंधन :** भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय संकटों के प्रबंधन, चलनिधि सहायता प्रदान करने और वित्तीय प्रणाली में विश्वास बहाल करने के उपायों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सतत विकास को बढ़ावा देना

विकसित भारत के विजन को प्राप्त करने के लिए सतत आर्थिक विकास आवश्यक है। भारतीय रिज़र्व बैंक की नीतियां और पहल अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का समर्थन करती हैं, समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देती हैं।

- **हरित वित्त :** भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करता है, जो हरित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का समर्थन करता है।
- **एमएसएमई को बढ़ावा देना :** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। आरबीआई की नीतियों का उद्देश्य एमएसएमई के लिए वित्त तक पहुंच बढ़ाना, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन करना है।
- **कृषि क्षेत्र :** रिज़र्व कृषि उत्पादकता और स्थिरता को बढ़ावा देने, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न नीतियों को लागू करता है।

वैश्विक एकीकरण और प्रतिस्पर्धात्मकता

एक तेजी से वैश्वीकृत दुनिया में, रिज़र्व बैंक की नीतियों का उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारत के एकीकरण को बढ़ाना और इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना है।

- **विदेशी मुद्रा प्रबंधन :** भारतीय रिज़र्व बैंक स्थिरता सुनिश्चित करने और देश के बाहरी व्यापार और निवेश आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है।
- **व्यापार नीतियाँ :** भारतीय रिज़र्व बैंक की नीतियाँ निर्यात वृद्धि का समर्थन करती हैं और व्यापार घाटे का प्रबंधन करती हैं, जो एक संतुलित और टिकाऊ बाहरी क्षेत्र में योगदान करती हैं।
- **वैश्विक भागीदारी :** भारतीय रिज़र्व बैंक ज्ञान साझा करने, सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और अन्य केंद्रीय बैंकों के साथ सहयोग करता है।

2047 तक विकसित भारत के विजन को प्राप्त करने के लिए आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और सतत विकास को बढ़ावा देना आवश्यक है। इन्हें ध्यान में रखकर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निम्नांकित पहल की गई हैं जिनका योगदान 2047 तक विकसित भारत के विज़न में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है:

1. प्रवाह पोर्टल

प्रवाह (नियामक आवेदन, सत्यापन और प्राधिकरण के लिए प्लेटफ़ॉर्म) पोर्टल एक केंद्रीकृत वेब-आधारित प्लेटफ़ॉर्म है जो व्यक्तियों और संस्थाओं को भारतीय रिज़र्व बैंक से विभिन्न विनियामक अनुमोदन के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है। यह पहल विनियामक प्रक्रियाओं की दक्षता को बढ़ाती है और आवेदकों के लिए एक सहज अनुभव प्रदान करती है।

2. रिटेल डायरेक्ट स्कीम

नवंबर 2021 में लॉन्च की गई रिटेल डायरेक्ट स्कीम खुदरा निवेशकों को सीधे सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति देती है। इस पहल का उद्देश्य सरकारी बॉन्ड तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाना है, जिससे व्यक्तिगत निवेशकों के लिए एक सुरक्षित निवेश मार्ग उपलब्ध हो सके।

3. फिनटेक रिपॉजिटरी

रिज़र्व बैंक ने भारतीय फिनटेक क्षेत्र पर जानकारी एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक फिनटेक रिपॉजिटरी की स्थापना की है। यह रिपॉजिटरी विनियामक दृष्टिकोण से क्षेत्र को समझने में मदद करती है और नवाचार और विकास को बढ़ावा देने के लिए उचित नीति दृष्टिकोण तैयार करने में सहायता करती है।

4. वित्तीय समावेशन सूचकांक

रिज़र्व बैंक ने देश भर में वित्तीय समावेशन के दायरे को मापने के लिए एक वित्तीय समावेशन सूचकांक विकसित किया है। यह सूचकांक प्रगति को ट्रैक करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जिन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इस सूचकांक से महत्वपूर्ण सुधार दिखा है, जो विभिन्न वित्तीय समावेशन पहलों की सफलता को दर्शाता है।

5. यूनिक लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई)

यूनिक लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) पर रिज़र्व बैंक की पायलट परियोजना का उद्देश्य उन्नत तकनीकों को एकीकृत करके ऋण देने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। जेएएम (जन धन-आधार-मोबाइल) ट्रिनिटी और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के साथ मिलकर यह पहल भारत की वित्तीय यात्रा में एक नए युग को प्रतिबिंबित करती है।

6. साइबर सुरक्षा को मजबूत करना

वित्तीय सेवाओं के बढ़ते डिजिटलीकरण को ध्यान में रखकर रिज़र्व बैंक ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने को प्राथमिकता दी है। इसमें वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को साइबर खतरों से बचाने के लिए वास्तविक समय की निगरानी और विनियामक अनुपालन शामिल है।

7. रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच)

रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। यह तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाने और वित्तीय सेवाओं में सुधार करने के लिए फिनटेक कंपनियों, बैंकों और शैक्षणिक संस्थानों सहित विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग के लिए एक प्लैटफार्म प्रदान करता है।

8. हरित वित्त पहल

रिज़र्व बैंक पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने के लिए हरित वित्त को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। इसमें बैंकों के लिए हरित परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के दिशानिर्देश और हरित बांड विकसित करने की पहल शामिल हैं, जो भारत के हरित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन में योगदान दे रहे हैं।

9. एमएसएमई को बढ़ावा

रिज़र्व बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय लागू किए हैं, जो आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन उपायों में ऋण तक आसान पहुंच, ऋणों का पुनर्गठन और विशेष पुनर्वित्त सुविधाएं शामिल हैं।

10. सीमा पार से भुगतान

भारतीय रिज़र्व बैंक अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए सीमा पार से भुगतान की दक्षता बढ़ाने पर काम कर रहा है।

चुनौतियाँ और भविष्य की दिशाएँ

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आर्थिक स्थिरता और समावेशी विकास को बढ़ावा देने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन विकसित भारत@2047 के लक्ष्य तक पहुंचने की राह में कई महत्वपूर्ण चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं। इन चुनौतियों में आर्थिक असमनताएं, तेजी से बदलता तकनीकी परिदृश्य और जलवायु परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण हैं। इन चुनौतियों का समाधान और भविष्य की दिशा में ठोस रणनीति अपनाना आवश्यक है।

विकसित भारत@2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को न केवल वर्तमान चुनौतियों का समाधान करना होगा, बल्कि भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी रणनीतियों को भी लगातार परिष्कृत करना होगा। इसके लिए एक बहुआयामी और दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।

1. **वित्तीय समावेशन को व्यापक करना**

   देश के प्रत्येक नागरिक तक बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करना प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, जनधन योजना जैसे माध्यमों को और अधिक प्रभावी बनाना होगा।

2. **वित्तीय साक्षरता का व्यापक अभियान**

   वित्तीय उत्पादों की समझ और उपयोगिता को जन-जन तक पहुंचाने के लिए शिक्षा और जागरूकता अभियान चलाना आवश्यक है, विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में।

3. **एमएसएमई और स्टार्टअप को सशक्त बनाना**

   छोटे और मध्यम उद्यमों को आसान ऋण, तकनीकी सहायता और बाजार तक पहुँच प्रदान कर उन्हें आर्थिक

विकास का इंजन बनाया जा सकता है। इससे रोजगार सृजन और नवाचार को भी बल मिलेगा।

4. हरित वित्त और सतत विकास को प्राथमिकता देना

पर्यावरणीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक को ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो हरित परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करें और जलवायु जोखिमों को वित्तीय प्रणाली में समाहित करें।

5. डिजिटल सुरक्षा और नवाचार को बढ़ावा देना

तेजी से बढ़ते डिजिटल लेन-देन के युग में साइबर सुरक्षा को मजबूत करना और फिनटेक नवाचारों को सुरक्षित वातावरण में विकसित करना आवश्यक है।

6. नीतिगत समन्वय और पारदर्शिता

राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के बीच बेहतर समन्वय, पारदर्शिता और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाकर निवेशकों का विश्वास बढ़ाया जा सकता है।

7. डेटा-संचालित निर्णय प्रणाली

नीति निर्माण में डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे आधुनिक साधनों का उपयोग कर निर्णयों को अधिक सटीक और प्रभावी बनाया जा सकता है।

निष्कर्ष:

भारतीय रिज़र्व बैंक देश की आर्थिक दिशा को निर्धारित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। इसकी मौद्रिक नीति, विनियामक दृष्टिकोण, वित्तीय समावेशन और सतत विकास की पहलें भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में सशक्त रूप से आगे बढ़ा रही हैं। यह संस्थान केवल एक विनियामक नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिरता और प्रगति का आधार है।

विकसित भारत@2047 का लक्ष्य एक साझा राष्ट्रीय संकल्प है, जिसकी प्राप्ति के लिए सरकार, वित्तीय संस्थानों, उद्योग जगत और नागरिकों के बीच समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। इस दिशा में पारदर्शी नीतियाँ, नवाचार को बढ़ावा और समावेशी विकास की रणनीतियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

एक मजबूत, लचीली और उत्तरदायी वित्तीय प्रणाली भारत को वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का सामना करने और अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगी। भारत का विशाल उपभोक्ता बाजार, युवा और कुशल कार्यबल, तकनीकी प्रगति और उद्यमशीलता की भावना इसे वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में अग्रसर करती है। हालांकि, इस मार्ग में वित्तीय साक्षरता की कमी, क्षेत्रीय असमानता और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता जैसी चुनौतियाँ भी हैं। इनका समाधान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को सतर्क, सक्रिय और नवाचारशील दृष्टिकोण अपनाना होगा। इसके लिए कुछ प्रमुख उपायों में शामिल हैं: वित्तीय साक्षरता का विस्तार, एमएसएमई को निरंतर समर्थन, हरित वित्त को प्रोत्साहन, डिजिटल भुगतान की सुरक्षा और समावेशी योजनाओं के माध्यम से असमानता को कम करना।

यदि सभी हितधारक दीर्घकालिक सोच और सहयोग के साथ कार्य करें, तो भारत न केवल 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, बल्कि वैश्विक आर्थिक नेतृत्व की भूमिका भी निभा सकता है। यह यात्रा चुनौतीपूर्ण अवश्य है, परंतु भारतीय रिज़र्व बैंक जैसे संस्थानों के मार्गदर्शन में यह लक्ष्य पूर्णतः संभव है।

स्वर्ण की वैश्विक यात्रा : उत्पादन, परिशोधन और बाज़ार

- अक्षय वाखलू

परिचय

स्वर्ण लंबे समय से संपदा, शक्ति और स्थायित्व का प्रतीक रहा है। यह हमारे लिए भावनात्मक, आर्थिक और तकनीकी रूप से मूल्यवान है। स्वर्ण की आपूर्ति शृंखला विश्व भर में व्याप्त है और यही कारण है कि इसका सबसे बड़ा उत्पादक, परिशोधक, निर्यातक और बाज़ार, सभी अलग-अलग देश हैं।

स्वर्ण दुनिया भर में सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण तो है ही, यह ऐसा पण्य भी है, जिसका सबसे ज्यादा कारोबार किया जाता है। इसकी आपूर्ति शृंखला महाद्वीपों में फैली हुई है और यह विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को जटिल तरीकों से जोड़ती है। इस आलेख में खनिज-समृद्ध देशों से प्रमुख परिशोधन केंद्रों, व्यापारिक केंद्रों और उपभोक्ता बाजारों तक स्वर्ण की लंबी यात्रा का विश्लेषण किया गया है। यह भी रेखांकित किया गया है कि कैसे यूनाइटेड किंगडम और स्विट्जरलैंड जैसे सीमित स्वर्ण भंडार वाले देश अपने वित्तीय बुनियादी ढांचे और संस्थागत विश्वास के कारण वैश्विक व्यापार और मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

चीन अपने अत्यधिक खंडित लेकिन अत्यंत कुशल खनन परितंत्र के कारण शीर्ष स्वर्ण उत्पादक बना हुआ है, जबकि स्विट्जरलैंड परिशोधन में अग्रणी है। अपने ओटीसी बाजार और अभिरक्षा वॉल्ट की आधारभूत संरचना के कारण लंदन स्वर्ण व्यापार जगत का केंद्र बना हुआ है। भारत ने 2024 में स्वर्ण आभूषणों के सबसे बड़े उपभोक्ता के रूप में चीन को पीछे छोड़ दिया है और हम एक सांस्कृतिक और वित्तीय स्वर्ण केंद्र दोनों हैं, लेकिन आयात पर हमारी निर्भरता चालू खाता शेष के लिए चुनौतियाँ खड़ी करती है।

अक्षय वाखलू
प्रबंधक, बाह्य निवेश और परिचालन विभाग,
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

वैश्विक स्वर्ण उत्पादन

स्वर्ण के खनन, परिशोधन और निर्यात से संबंधित आँकड़े काफी रोचक हैं। 2023 के आँकड़ों के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया, रूस और दक्षिण अफ्रीका में स्वर्ण के सबसे बड़े ज्ञात भंडार हैं, जबकि चीन इसका सबसे बड़ा उत्पादक (मात्रा के हिसाब से) और स्विट्जरलैंड इसका सबसे बड़ा निर्यातक (और आयातक दोनों) है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया या रूस के विपरीत, जहाँ कुछ ही बड़े पैमाने की खदानें हैं, चीन में सैकड़ों छोटी और मध्यम आकार की खदानें हैं जो कई प्रांतों में फैली हुई हैं। इसके अलावा, चीन अपने ज्ञात भंडारों से, यहाँ तक कि निम्न-श्रेणी के अयस्कों से भी, धातु निकालने में बेहद कुशल है। सबसे बड़े स्वर्ण भंडार वाले देशों की सूची सारणी 1 में दी गई है।

सारणी 1 : सर्वाधिक स्वर्ण भंडार वाले देश

रैंक	देश	खदानों के स्थान	अनुमानित भंडार (टन)
1	ऑस्ट्रेलिया	बोडिंगटन, सुपर पिट, कैडिया	~10,000
2	रूस	ओलंपियाडा, सुखोई लॉग, नतालका	~5,300
3	दक्षिण अफ्रीका	विटवाटरसैंड बेसिन, साउथ डीप	~3,200

रैंक	देश	खदानों के स्थान	अनुमानित भंडार (टन)
4	संयुक्त राज्य अमेरिका	कार्लिन ट्रेंड, कॉर्टेज़	~3,000
5	इंडोनेशिया	ग्रासबर्ग खदान	~2,600
6	कनाडा	रेड लेक, डेटौर लेक, मालार्टिक	~2,200
7	ब्राज़ील	वोल्टा ग्रांडे, पैराकाटू	~2,000
8	उज़्बेकिस्तान	मुरुंतौ	~1,800
9	चीन	शेडोंग, हेनान, इनर मंगोलिया	~1,700
10	पेरू	यानाकोचा, लगुनास नॉर्टे	~1,300

स्रोत: यूएस जियोलॉजिकल सर्वे

लेकिन जब हम उत्पादन की ओर देखते हैं तो अकेले चीन वैश्विक स्वर्ण उत्पादन का 10% से अधिक उत्पादन करता है, जो ओशेनिया (ऑस्ट्रेलिया और पड़ोसी देशों) और यूरोप के संयुक्त उत्पादन के बराबर है। अफ्रीकी महाद्वीप खान से निकाले गए स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक है और कुल वैश्विक स्वर्ण उत्पादन के एक-चौथाई से भी अधिक उत्पादन करता है, लेकिन उसे इससे आनुपातिक आर्थिक लाभ नहीं मिलता। भारत स्वर्ण आभूषणों के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है लेकिन भारत का खनन-उत्पादन स्वर्ण की वार्षिक मांग के सामने नगण्य है।

सारणी 2: विभिन्न देशों का वैश्विक स्वर्ण उत्पादन (2023 में मीट्रिक टन)

रैंक	देश	उत्पादन	वैश्विक उत्पादन का %
1	चीन	378	10.37%
2	रूस	322	8.82%
3	ऑस्ट्रेलिया	294	8.06%
4	कनाडा	192	5.26%
5	संयुक्त राज्य अमेरिका	167	4.57%
6	घाना	135	3.71%
7	इंडोनेशिया	132	3.63%
8	पेरू	129	3.53%
9	मेक्सिको	127	3.47%
10	उज़्बेकिस्तान	120	3.28%

स्रोत: वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, 2024

वैश्विक स्वर्ण परिशोधन

सबसे ज़्यादा स्वर्ण उत्पादन के बावजूद, चीन की परिशोधन क्षमता सबसे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसकी आपूर्ति ज़्यादातर आंतरिक होती है। शेडोंग गोल्ड ग्रुप, ज़िजिन माइनिंग और चाइना नेशनल गोल्ड ग्रुप जैसी प्रमुख चीनी स्वर्ण परिशोधक कंपनियाँ मुख्यतः घरेलू माँग के लिए स्वर्ण का प्रसंस्करण करती हैं। पूँजी नियंत्रण और कड़े निर्यात नियमों के कारण, चीन का परिष्कृत स्वर्ण शायद ही कभी अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में पहुँच पाता है।

दूसरी ओर, स्विट्ज़रलैंड में कोई महत्वपूर्ण स्वर्ण की खदानें नहीं हैं, फिर भी यह मूल्य के अनुसार दुनिया का अग्रणी स्वर्ण का निर्यातक और आयातक है। सबसे बड़ी स्विस स्वर्ण शोधक कंपनियाँ वैलकैम्बी, पीएएमपी, अर्गोर-हेरियस और मेटालोर हैं, जो दुनिया भर के अपरिष्कृत स्वर्ण का बड़ा हिस्सा प्रसंस्करित करती हैं। इससे स्विट्ज़रलैंड अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी रिफ़ाइनरी, वैलकैम्बी, कर्नाटक स्थित एक भारतीय कंपनी, राजेश एक्सपोर्ट्स के स्वामित्व में है। राजेश एक्सपोर्ट्स की स्थापना 1988 में हुई थी, जो 1994 में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण निर्यातक बन गया और 2003 में दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण आभूषण निर्माता बन गया। कंपनी की उत्तराखंड में एक गैर-एलबीएमए रिफाइनरी भी है जिसकी वार्षिक परिशोधन क्षमता 400 टन है।

संयुक्त अरब अमीरात स्वर्ण के आयात और निर्यात के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है। अक्सर "स्वर्ण नगर" के रूप में जाना जाने वाला दुबई अफ्रीकी स्वर्ण उत्पादकों और एशियाई बाजारों के बीच एक प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में

कार्य करता है। संयुक्त अरब अमीरात मुख्य रूप से सूडान, घाना, कांगो जैसे अफ्रीकी देशों से बड़ी मात्रा में अपरिष्कृत या अर्ध-परिष्कृत स्वर्ण का आयात करता है, और भारत, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों में परिष्कृत स्वर्ण का पुनर्निर्यात करता है। इस फलते-फूलते व्यापार को देश की महत्वपूर्ण परिशोधन क्षमता से सहारा मिलता है, जिसका नेतृत्व कलोटी प्रेशियस मेटल्स जैसी कंपनियों द्वारा किया जाता है, जिनकी वार्षिक परिशोधन क्षमता 1,400 टन से अधिक है और यह दुनिया की सबसे बड़ी परिशोधन कंपनियों में से एक है। एमिरेट्स गोल्ड जैसी अन्य रिफाइनरियाँ दुबई की क्षेत्रीय परिशोधन केंद्र की भूमिका को और महत्वपूर्ण बनाती हैं। मुक्त व्यापार क्षेत्रों, कर प्रोत्साहनों और विश्वस्तरीय लॉजिस्टिक्स की उपलब्धता वैश्विक सर्राफा बाजार में इसकी स्थिति को मज़बूत करती है।

वैश्विक स्वर्ण बाज़ार

लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (LBMA) द्वारा विनियमित अपने ओटीसी बाज़ार के माध्यम से लंदन वैश्विक स्वर्ण व्यापार का केंद्र बना हुआ है। कोई महत्वपूर्ण घरेलू स्वर्ण खनन या परिशोधन कंपनी न होने के बावजूद, ब्रिटेन 2023 में स्विट्जरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात के बाद तीसरा सबसे बड़ा स्वर्ण निर्यातक था। यह मुख्यतः बैंक ऑफ इंग्लैंड, एचएसबीसी और जेपी मॉर्गन द्वारा संचालित विशाल संस्थागत वॉल्ट के लंदन में होने कारण है, जो वैश्विक ग्राहकों को संरक्षक सेवाएँ प्रदान करते हैं। अक्सर, स्वर्ण भौतिक रूप से देश से बाहर नहीं जाता है, लेकिन कानूनी स्वामित्व में परिवर्तन निर्यात के रूप में दर्ज किए जाते हैं। यह लंदन को स्वर्ण के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय बाज़ार के रूप में स्थापित करता है, जो वैश्विक लेनदेन के लिए मूल्य निर्धारण, तरलता और निपटान को सुगम बनाता है।

न्यूयॉर्क COMEX के माध्यम से फ्यूचर्स और डेरिवेटिव ट्रेडिंग में प्रमुख भूमिका निभाता है, साथ ही एसपीडीआर गोल्ड शेयर्स (GLD) जैसे प्रमुख स्वर्ण ईटीएफ़ भी यहीं हैं। शंघाई गोल्ड एक्सचेंज (एसजीई) के माध्यम से, शंघाई दुनिया का सबसे बड़ा भौतिक स्वर्ण एक्सचेंज बन गया है, जो चीन की घरेलू मांग और मूल्य बेंचमार्क को स्थानीय बनाने के उसके प्रयासों को दर्शाता है।

अंत में, सिंगापुर भौतिक स्वर्ण निवेश और निजी भंडारण के लिए एक संपदा-अनुकूल क्षेत्र के रूप में उभरा है, जिसने हाई नेट वर्थ व्यक्तियों और संस्थागत ग्राहकों को आकर्षित किया है।

स्वर्ण की वैश्विक कहानी इसके सबसे बड़े उपभोक्ता बाजारों में से एक, भारत का उल्लेख किए बिना अधूरी है। 2024 में, भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण आभूषण उपभोक्ता बन गया, जिसकी कुल मांग 802.8 टन तक पहुँच गई। इस विशाल मांग के बावजूद, भारत में घरेलू स्वर्ण खनन सीमित है। हमारा उत्पादन औसतन 2 टन वार्षिक से भी कम है जो मुख्यतः कर्नाटक की हट्टी स्वर्ण खदानों से आता है। अपनी खपत को पूरा करने के लिए, भारत आयात पर बहुत अधिक निर्भर करता है। आमतौर पर सालाना 700-900 टन स्वर्ण आयात किया जाता है, जिससे भारत दुनिया के सबसे बड़े स्वर्ण आयातकों में से एक बन जाता है। हालाँकि, आयात पर इस निर्भरता के व्यापक आर्थिक निहितार्थ हैं—विशेष रूप से यह चालू खाता घाटे में महत्वपूर्ण घटक बनता है, खासकर उच्च वैश्विक स्वर्ण कीमतों के दौरान।

निष्कर्ष

स्वर्ण आपूर्ति शृंखला एक जटिल और गतिशील प्रणाली है, जिसे विविध भौगोलिक क्षेत्रों, संस्थागत क्षमताओं और बाजार की शक्तियों द्वारा आकार दिया जाता है। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की गहरी खदानों से लेकर केंद्रीय बैंकों के वॉल्ट और मुंबई के आभूषण स्टोर तक, स्वर्ण उत्पादन, परिशोधन, व्यापार और उपभोग के वैश्विक एकीकृत मार्ग से होकर गुजरता है जहाँ कई देश अपने स्वर्ण संसाधनों से आर्थिक रूप से लाभान्वित होते हैं, वहीं अन्य देशों को पर्यावरणीय समझौतों, आर्थिक विकृतियों और पारंपरिक उद्योगों के नुकसान से निपटने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

डिजिटल रूपी @ डिजिटल इंडिया : भाषायी समावेशन

- राजेश कुमार

1. भूमिका

भारत अपनी सभ्यता, संस्कृति और भाषायी विविधताओं के लिए जाना जाता है। 22 संवैधानिक भाषाओं और सैकड़ों बोलियों वाले इस देश में तकनीकी नवाचार में भाषायी समावेशन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रारम्भ किया गया डिजिटल रूपी (सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी) डिजिटल इंडिया अभियान का एक अभिन्न अंग है। 21वीं सदी का भारत एक अभूतपूर्व डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। डिजिटल इंडिया मिशन, आधार, यूपीआई और अब सीबीडीसी (सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी) के माध्यम से देश को 'पेपरलेस, कैशलेस और पारदर्शी' बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यह एक अवसर प्रदान करता है कि डिजिटल रूपी (सीबीडीसी) को भाषायी समावेशन से कैसे जोड़ कर देखा जाए।

2. सीबीडीसी क्या है

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) भारतीय रुपया का डिजिटल अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने कागजी मुद्रा के उपयोग को कम करने, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने, मजबूत साइबर सुरक्षा प्रदान करने, तकनीकी एवं वित्तीय स्थिरता बनाए रखने जैसे लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) की पेशकश की है, जिसे डिजिटल रूपी (ई-रूपी) "e₹" के नाम से भी जाना जाता है। डिजिटल रूपी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी की गई केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी है, जो कानूनी मान्यता प्राप्त डिजिटल मुद्रा है। यह मुद्रा पेपर करेंसी की डिजिटल समकक्ष है, जो ब्लॉकचेन या अन्य प्रामाणिक डिजिटल प्रणाली पर आधारित है। सीबीडीसी को 'टोकन-आधारित' या 'खाता-आधारित' के रूप में संरचित किया जा सकता है। यह दो तरह के विशेषताओं के आधार पर कार्य करता है।

राजेश कुमार
प्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून

e-₹ = क्रिप्टो टेक्नोलोजी + वैध करेंसी

3. सीबीडीसी के प्रकार

सीबीडीसी के स्वरूप, प्रयोग और लक्ष्य समूह को ध्यान में रखते हुए इसे दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

(क) खुदरा डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी-आर)

निजी क्षेत्र, गैर-वित्तीय ग्राहक और उद्यमी, सभी संभावित रूप से खुदरा सीबीडीसी (सीबीडीसी-आर) का उपयोग कर सकते हैं। यह वर्तमान मूल्य वर्ग में रोजमर्रा के प्रयोजनों हेतु सभी के लिए उपलब्ध है। यह मध्यस्थ जोखिम को दूर करता है। खुदरा सीबीडीसी नकदी का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है, जो मुख्य रूप से खुदरा खपत के लिए है।

(ख) थोक सीबीडीसी (सीबीडीसी-डब्ल्यू)

थोक सीबीडीसी, केंद्रीय बैंक द्वारा जारी और तुलन -पत्र पर एक प्रकार की देनदारी को संदर्भित करता है, जिसे थोक (बड़े मूल्य) वित्तीय लेनदेन जैसे इंटरबैंक हस्तांतरण और प्रतिभूति लेनदेन को निपटाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य अंतर बैंक हस्तांतरण और बड़े लेनदेन से संबंधित निपटान करना है और यह वित्तीय संस्थानों के लिए है।

4. भारत में सीबीडीसी की शुरुआत और विस्तार

भारत में 1 फरवरी 2022 को संसद में रखे गए केंद्रीय बजट में वित्त वर्ष 2022 से केंद्रीय बैंक डिजिटल मद्रा (सीबीडीसी) शुरू

करने की घोषणा की गई थी। बजट घोषणा में कहा गया कि सीबीडीसी की शुरुआत से डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। 1 नवंबर 2022 को e₹-W (थोक) और 1 दिसंबर 2022 को e₹-R (खुदरा) का पायलट लॉन्च किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा e₹-R (खुदरा) के संबंध में व्यक्ति-से-व्यक्ति (पीटूपी) और व्यक्ति-से-व्यापारी (पीटूएम) के प्रारंभिक प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए 2024-25 के दौरान ऑफलाइन और प्रयोग की जा सकने वाली सुविधाओं को शामिल करने के लिए पायलट प्रयास किए गए हैं। दिसंबर 2022 में e₹-R (खुदरा) की स्थापना के बाद से मार्च 2025 के अंत तक, इसका विस्तार 17 बैंकों तक किया गया है और 60 लाख उपयोगकर्ता शामिल किए गए हैं। इसे और अधिक विस्तार देने के लिए कुछ गैर-बैंक संस्थाओं को सीबीडीसी वॉलेट की पेशकश करने की अनुमति दी गई है।

इसके अतिरिक्त, e₹-W (थोक) के दायरे को भी बढ़ाया गया है और चार एकल प्राथमिक डीलरों (एसपीडी) को शामिल करने के साथ-साथ उसमें विविधता भी लाई गई है। चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय सीमा पार सीबीडीसी पायलटों की खोज की जा रही है और रोडमैप, तकनीकी आयामों और उपयोग संबंधी मामलों के विषय में प्रगति भी हुई है। बहुपक्षीय सीबीडीसी (Multilateral-CBDC) पहलों में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट – इनोवेशन हब (बीआईएस-आईबी) के अंतर्गत रिज़र्व बैंक की भागीदारी पर विचार किया जा रहा है।

5. सीबीडीसी जारी करने का उद्देश्यः

भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य केंद्रीय बैंकिंग कार्यों में से एक 'मुद्रा का प्रबंधन' है, जिसके लिए इसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 22 के तहत आवश्यक संवैधानिक शक्तियां प्रदत हैं। सीबीडीसी मौद्रिक अर्थव्यवस्था का एक पसंदीदा डिजिटल माध्यम हो सकता है। कोविड-19 जैसी महामारी की अनिश्चितता के दौर में डिजिटल भुगतान (यूपीआई) की प्राथमिकता को हमने अनुभव किया है। साथ ही, विश्व में यूपीआई की लोकप्रियता यह सुनिश्चित करती है कि देश में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया और आगे बढ़ेगी। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा डिजिटल भुगतान सूचकांक की शुरुआत से देश भर में डिजिटल भुगतान को अपनाने और विकास करने में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2018 से लेकर मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार इसमें लगभग चार-गुना की वृद्धि हुई है।

समय सीमा	डीपीआई सूचकांक
मार्च 2018 (आधार)	100
मार्च 2019	153.47
सितंबर 2019	173.49
मार्च 2024	445.50
सितंबर 2024	465.33
मार्च 2025	493.22

(आरबीआई-डीपीआई, स्रोतः आरबीआई)

भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य लक्ष्यों में अर्थव्यवस्था में स्वच्छ और वास्तविक नोटों की पर्याप्त आपूर्ति के साथ-साथ इसका समग्र प्रबंधन सुनिश्चित करना है। तदनुसार इसके निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं:

i. **भुगतान प्रणाली का आधुनिकीकरण -** सीबीडीसी जारी करने का मुख्य उद्देश्य देश की भुगतान प्रणाली को आधुनिक बनाना है। डिजिटल रूपी जैसी करेंसी के माध्यम से तेज, सुरक्षित और रियल टाइम भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। इससे न केवल घरेलू लेन-देन सरल होगा बल्कि अंतरराष्ट्रीय भुगतान भी अधिक सहज, पारदर्शी और सस्ता बन सकता है। इससे डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को भी बल मिलेगा।

ii. **नकदी पर निर्भरता कम करना -** भारत जैसे देश में नकद लेन-देन का संव्यवहार ज्यादा किया जाता है, जिससे मुद्रा छापने, उसे संभालने और वितरित करने में भारी लागत आती है। सीबीडीसी के माध्यम से इस लागत को काफी हद तक कम किया जा सकता है। डिजिटल मुद्रा होने से नकदी से जुड़ी समस्याएँ, जैसे जाली नोटों का चलन, काले धन का लेन-देन और चोरी का खतरा भी घटेगा।

iii. **वित्तीय समावेशन को बढ़ावा -** सीबीडीसी उन लोगों तक भी बैंकिंग सेवाएं पहुंचा सकता है जो अब तक पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था से वंचित हैं। स्मार्टफोन या मोबाइल फोन आधारित सीबीडीसी वॉलेट की उपलब्धता

से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोग भी डिजिटल अर्थव्यवस्था में भागीदार बन सकते हैं।

iv. **मौद्रिक नीति को सशक्त बनाना -** डिजिटल मुद्रा से केंद्रीय बैंक को रीयल-टाइम में आर्थिक गतिविधियों का डेटा प्राप्त हो सकता है, जिससे वे मौद्रिक नीति (जैसे रेपो दर, ब्याज दर, मुद्रास्फीति नियंत्रण) को अधिक प्रभावी ढंग से लागू कर सकते हैं। इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को भी बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है।

v. **पारदर्शिता और जवाबदेही -** डिजिटल मुद्रा के उपयोग से हर लेन-देन का रिकॉर्ड सहेजा जा सकता है, जिससे वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। इससे टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार जैसे अपराधों पर रोक लगाई जा सकती है। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी या सहायता राशि को सीधे लाभार्थियों के डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर किया जा सकता है।

vi. **केंद्रीय बैंक का प्रत्यक्ष नियंत्रण -** पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली में मुद्रा का नियंत्रण बैंकों के माध्यम से होता है। लेकिन सीबीडीसी के माध्यम से रिज़र्व बैंक मुद्रा का सीधा निर्गमन और नियंत्रण कर सकता है। इससे मौद्रिक नीति को अधिक शीघ्र और सटीक रूप से लागू किया जा सकता है, साथ ही सिस्टम में स्थिरता बनाए रखना भी आसान होगा।

6. प्रोग्रामेबिलिटी: एक गेम चेंजर

वर्तमान में वैश्विक केंद्रीय बैंक, डिजिटल मुद्रा के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सीबीडीसी में प्रोग्रामेबिलिटी की सुविधा लाई गई है जो एक अभिनव तकनीकी अन्वेषण है। सीबीडीसी का एक दिलचस्प अनुप्रयोग है - प्रोग्रामेबिलिटी जो तकनीकी संभावनाओं पर आधारित है। इसमें सरकार एवं वित्तीय संस्थानों की रुचि बढ़ रही है, क्योंकि यह असंख्य उपयोग की पेशकश करेगी। प्रोग्रामेबिलिटी विकल्प भुगतान को अधिक सुविधाजनक और कुशल बनाने और सरल भुगतान अनुभव प्रदान करने में सहयोगी होगा। सरकार द्वारा सब्सिडी और डीबीटी का सीधे लाभार्थी के सीबीडीसी-वैलेट में हस्तांतरण करने के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे संबधित योजनाओं के तहत दी जाने वाली राशि का इष्टतम प्रयोग किया जा सके और लीकेज को रोका जा सके।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऑफलाइन और प्रोग्रामेबिलिटी सुविधाओं का प्रयोग करते हुए कई पायलट शुरू किए हैं। प्रोग्रामेबिलिटी उपयोग के मामलों में कार्बन क्रेडिट के सृजन के बदले किसानों को लाभ हस्तांतरण और चुनिंदा स्थानों पर किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत काश्तकारों को ऋण देना शामिल है। बैंकों द्वारा कर्मचारियों को वाहन/भोजन के लिए भत्ते दिए जा रहे हैं। ओडिशा राज्य सरकार की सुभद्रा योजना के तहत, लगभग 88,000 लाभार्थियों के लिए भुगतान चैनल के रूप में इसका उपयोग किया गया है। लाभार्थियों को धन हस्तांतरित करने हेतु सीबीडीसी की प्रोग्रामेबिलिटी सुविधा का लाभ उठाने के लिए कई केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ भी चर्चा चल रही है।

भारतवर्ष की भाषायी विविधता को देखते हुए प्रोग्रामेबिलिटी को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने एवं लागू करने में भाषा की बड़ी भूमिका होगी। तदनुसार सीबीडीसी का इंटरफेस क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होना आवश्यक है, जिससे ग्रामीण और गैर-अंग्रेजी भाषी उपयोगकर्ता सहजता से इसका उपयोग कर सकें।

7. सीबीडीसी के उपयोग की प्रक्रिया:

- बैंक द्वारा इस एप्लिकेशन को डाउनलोड करने के लिए ग्राहक को मेल और एसएमएस भेजा जाता है।
- ग्राहक इस एप्लिकेशन को प्लेस्टोर से डाउनलोड करने के बाद इसका उपयोग कर सकते हैं। यह एक साधारण प्रक्रिया है, जिसे ग्राहक की गोपनीयता और सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
- डाउनलोड करने के बाद ग्राहकों को अपनी सिम प्रक्रिया के सत्यापन से गुजरना होगा और अपने फोन पर एक ई-वॉलेट बनाना होगा।
- फिर उन्हें इस ई वॉलेट को ऐप के माध्यम से अपने स्वयं के खाते से कनेक्ट करना होगा।
- अगले चरण में, उपयोगकर्ता अपने बचत खाते से, इस ई-वॉलेट में पैसे ट्रांसफर कर सकता है। ये पैसे ई-टोकन के रूप में दिखते हैं। अब उपयोगकर्ता अन्य व्यक्तियों को धन हस्तांतरित करने के लिए तैयार है।

ग्राहक संबंधित बैंक के एप्लिकेशन को प्लेस्टोर से डाउनलोड कर क्यूआर कोड द्वारा भी भुगतान कर सकता है।

8. ई-रूपी (e₹), यूपीआई और भाषायी समावेशन

ई-रूपी भारतीय रुपए का एक डिजिटल रूप है जबकि यूपीआई भुगतान का एक माध्यम है। यह भुगतान उपयोग के अलावा 'मूल्य के भंडार (store of value)' के रूप में भी कार्य करता है, अर्थात, ई-रूपी को किसी बैंक खाते से निकालकर e₹-वॉलेट में अलग से रखा जा सकता है। किसी भी सीबीडीसी क्यूआर के माध्यम से किए गए पीटूपी (P2P) और पीटूएम (P2M) भुगतान के मामले में लेनदेन दो e₹-वॉलेट के बीच होता है और उपयोगकर्ता के बैंक खातों से गुजरे बिना तुरंत निपटान किया जाता है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सीबीडीसी को यूपीआई के साथ इंटरऑपरेबिलिटी की सुविधा प्रदान की है। पीटूपी और पीटूएम भुगतानों के लिए ई-रूपी ऐप से यूपीआई क्यूआर स्कैन करने की कार्यक्षमता भी सक्षम की गई है। ऐसे मामलों में निपटान यूपीआई सेटलमेंट टाइमलाइन पर आधारित होगा।

हाल ही में यूपीआई जैसे डिजिटल भुगतान माध्यमों की सफलता में भाषा की बड़ी भूमिका रही है। भीम यूपीआई एप्लिकेशन 20 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हैं जिनमें हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि शामिल हैं। भीम ऐप उपयोगकर्ताओं में लगभग 60% गैर-अंग्रेजी भाषी हैं। भारत में 22 अनुसूचित भाषाएँ, 100 से अधिक भाषाएं और 1900 से अधिक बोलियाँ हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, 43% लोग हिंदी, 8% बंगाली, 7% मराठी, 7% तेलुगु और अन्य प्रमुख भारतीय भाषाएँ बोलते हैं। भारत में केवल 10% लोग अंग्रेजी समझते हैं, जबकि बहुसंख्यक भारतीय अपनी मातृभाषा में संवाद करना पसंद करते हैं। इस प्रकार सीबीडीसी के सफल उपयोग के लिए उसका इंटरफेस क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होना आवश्यक है, जिससे ग्रामीण और गैर-अंग्रेजी भाषी उपयोगकर्ता सहजता से इसका उपयोग कर सकें। अतः वॉलेट एप्स, वॉइस असिस्टेंट, ग्राहक सहायता, उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका और सुरक्षा निर्देश सभी को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराना अनिवार्य हो जाता है।

9. सीबीडीसी (e₹) के विस्तार में भाषा की भूमिका

सीबीडीसी (e₹) के विस्तार में भाषा की भूमिका को निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है:

i. **डिजिटल समावेशन का विस्तार -** भारत में डिजिटल सेवाओं का विस्तार तभी व्यापक हो सकता है जब वे आम नागरिक की भाषाई समझ में हों। सीबीडीसी जैसे तकनीकी व वित्तीय प्लेटफॉर्म को यदि केवल अंग्रेज़ी में उपलब्ध कराया जाए तो यह डिजिटल डिवाइड (Digital Divide) को बढ़ावा दे सकता है। सीबीडीसी के इंटरफेस को अगर केवल एक भाषा तक सीमित रखा जाए, तो यह डिजिटल भेदभाव उत्पन्न करेगा। अतः हिंदी सहित सभी अन्य भारतीय भाषाओं में इसका संचालन अत्यंत आवश्यक है।

ii. **बहुभाषीय इंटरफेस से प्रयोगात्मक सुगम्यता -** यदि सीबीडीसी एप्लिकेशन (जैसे डिजिटल रुपया वॉलेट) हिंदी, तमिल, बंगला, मराठी आदि भाषाओं में इंटरफेस दे तो इससे प्रयोक्ता अनुभव और सहजता में वृद्धि होगी। इससे तकनीकी रूप से कम जानकार लोग भी डिजिटल लेन-देन में आत्मनिर्भर बन सकेंगे। उदाहरण: यूपीआई ऐप्स जैसे फोनपे, पेटीएम, आदि 10 से अधिक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हैं जिसके कारण इनका उपयोग देश के कोने-कोने तक संभव हुआ है।

iii. **वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा -** सीबीडीसी की सफलता केवल तकनीकी तंत्र पर नहीं, बल्कि उपयोगकर्ताओं की वित्तीय समझ पर भी निर्भर करती है। यदि डिजिटल मुद्रा, सुरक्षा, लेन-देन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी स्थानीय भाषाओं में प्रशिक्षण/जनजागरूकता अभियानों के ज़रिए दी जाए, तो विश्वास और भागीदारी दोनों बढ़ेंगे। उदाहरण: "डिजिटल साक्षरता अभियान (DISHA)" और "डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी" कार्यक्रमों में स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है।

iv. **मुद्रा, भाषा और विश्वास का संबंध -** अंग्रेजी के कारण उपयोगकर्ता डिजिटल प्रणाली से डरते हैं। परंतु जब उन्हें अपनी भाषा में संवाद व निर्देश मिलते हैं, तो उनका सिस्टम पर विश्वास बढ़ता है। सीबीडसी जैसे प्लेटफॉर्म में

यह विश्वास अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह सीधे धन और पहचान से जुड़ा हुआ है। जब लेन-देन की भाषा उपयोगकर्ता की मातृभाषा में हो, तो उसका विश्वास और भी बढ़ जाता है। भारत में 70% ग्रामीण आबादी को डिजिटल माध्यमों से जोड़ने के लिए स्थानीय भाषा में इंटरफेस और प्रशिक्षण सामग्री आवश्यक है।

v. **बहुभाषीय बॉट्स और हेल्पलाइन सेवाओं को मजबूत करना -** सीबीडीसी से जुड़ी सेवाओं में यदि वॉयस असिस्टेंट, चैटबॉट्स और ग्राहक सेवा केंद्र (सीएसपी) क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराए जाएं, तो ग्रामीण और अशिक्षित वर्ग भी तकनीक से जुड़ सकता है। इससे साइबर फ्रॉड की आशंका भी कम होगी।

vi. **संचालन में सरलता -** अगर यूजर इंटरफेस (UI/UX) हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में हो, तो डिजिटल मुद्रा का प्रयोग सहज और स्वाभाविक होगा।

10. तकनीकी समाधान और आगे की राह

i. **एआई / एनएलपी आधारित वॉयस इंटरफेस -** आज के तकनीकी परिदृश्य में भाषायी समावेशन को सक्षम करने के लिए अनेक साधन उपलब्ध हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (एनएलपी), वॉयस कमांड इंटरफेस, और मशीनी अनुवाद जैसी तकनीकें डिजिटल रूपी के इंटरफेस को बहुभाषी बना सकती हैं। एआई और एनएलपी आधारित वॉयस असिस्टेंट के जरिए लेन-देन को बोलकर किया जा सकता है जिससे साक्षरता बाधा को भी दूर किया जा सकता है। यदि डिजिटल रूपी इन तकनीकों का समुचित उपयोग करे, तो यह एक बहुभाषी भारत की आकांक्षा को साकार कर सकता है। यूपीआई इसका ज्वलंत उदाहरण है।

ii. **भाषिणी (Bhashini-Bhasha Interface for India) प्लेटफॉर्म का प्रयोग -** भारत सरकार की 'भाषिणी' परियोजना जिसका मुख्य उद्देश्य भाषायी डिजिटल समावेशन है, सीबीडीसी के यूजर इंटरफेस में बहुभाषिक समर्थन प्रदान कर सकती है। 'भाषिणी' भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसे राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (National Language Translation Mission) के तहत विकसित किया गया है जिसका लक्ष्य भारतीय भाषाओं में डिजिटल सेवाओं और सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, ताकि भाषा की बाधाओं को दूर किया जा सके और सभी नागरिकों को उनकी मातृभाषा में इंटरनेट सेवाओं का लाभ मिल सके। भाषिणी ऐप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) तकनीकों का उपयोग किया गया है। यह ऐप ओपन-सोर्स है और इसके माध्यम से उपयोगकर्ता और डेवलपर्स भारतीय भाषाओं में अनुवाद और संवाद संबंधी सेवाओं का विकास कर सकते हैं।

11. निष्कर्ष

सीबीडीसी भारत की वित्तीय प्रणाली में आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक दृष्टि से क्रांतिकारी परिवर्तन है। यह एक ऐसा कदम है जो न केवल भारत को नकदी रहित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाएगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को और सुदृढ़ करेगा। किंतु इसकी सफलता सुनियोजित नीतियों, साइबर सुरक्षा, जन जागरूकता और भाषायी समावेशन पर निर्भर करेगी। भारत जैसे बहुभाषी देश में डिजिटल रूपी तभी जन-जन की मुद्रा बन सकता है जब यह जन-भाषा में उपलब्ध हो। सरकार, तकनीकी संस्थान और बैंक यदि मिलकर भारतीय भाषाओं में एकीकृत व सुरक्षित डिजिटल भुगतान प्रणाली को सशक्त करें, तो डिजिटल भारत का सपना पूर्ण रूप से साकार हो सकता है। अतः यह आवश्यक है कि हम तकनीक और भाषा के मध्य की खाई को पाटें और एक ऐसे डिजिटल भविष्य का निर्माण करें जिसमें कोई भी भाषा-भाषी आत्मविश्वास के साथ भागीदार बन सके।

संदर्भ :

1. भारतीय रिज़र्व बैंक की "वार्षिक रिपोर्ट 2024-25"
2. सीबीडीसी - कॉन्सेप्ट नोट – भारतीय रिज़र्व बैंक
3. भारत सरकार की "भाषा सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021"
4. भारत की जनगणना 2011
5. डिजिटल बैंकिंग @ डिजिटल इंडिया, प्रतिमा, स्टोरी मिरर प्रकाशन, मुंबई
6. https://bhashini.gov.in

वित्तीय संस्थानों में मजबूत जोखिम संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा

- वरुण यादव

प्रस्तावना

मार्च 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका में पांच महत्वपूर्ण बैंक विफल हुए, जिनमें से प्रत्येक के अलग-अलग कारण और परिणाम थे। दो बैंक सिटिजंस बैंक और हार्टलैंड ट्राई-स्टेट बैंक की परिसंपत्ति 15 करोड़ डॉलर से कम थी जबकि अन्य तीन बैंक 110 अरब डॉलर से 229 अरब डॉलर के परिसंपत्ति आकार के साथ काफी बड़े थे। इन बैंक विफलताओं का संक्षिप्त विवरण नीचे प्रदान किया गया है।

12 मार्च, 2023 को न्यूयॉर्क में स्थित सिग्नेचर बैंक को न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा बंद कर दिया गया था। बैंक ने जमाराशि के तेजी से बहिर्वाह का अनुभव किया और कुछ ही घंटों में अपनी कुल जमा राशि का 20% खो दिया, जिसे वह अपर्याप्त चलनिधि और आकस्मिक वित्त पोषण तंत्र (Contingency Funding Mechanism) की निष्फलता के कारण सहन नहीं कर सका।

इसी तरह, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में था, को गैर-बीमाकृत जमाराशियों की उच्च हिस्सेदारी और ब्याज दरों में वृद्धि के रूप में अपने निवेश पोर्टफोलियो में भारी नुकसान के कारण संकट का सामना करना पड़ा। बैंक को जमाकर्ता और निवेशकों के विश्वास के नुकसान का भी सामना करना पड़ा, जिसकी परिणति बैंक की विफलता में हुई। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (FDIC) ने जमाकर्ताओं की सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए जेपी मॉर्गन चेस को फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की संपत्ति के अधिग्रहण की व्यवस्था प्रदान की।

सिलिकॉन वैली बैंक (SVB), जिसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है, को भी मार्च, 2023 में कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड इनोवेशन द्वारा बंद कर दिया गया। एसवीबी में, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की तरह ही भारी अबीमाकृत जमाराशि थी और बैंक ने लंबी अवधि की प्रतिभूतियों में बहुत निवेश किया था। जब ब्याज दरें बढ़ीं, तो उन प्रतिभूतियों ने मूल्य खो दिया, जिससे बड़ा नुकसान हुआ। फलस्वरूप ग्राहकों ने अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए।

जोखिमों के विशिष्ट स्रोतों के अलावा, इन बैंकों की विफलताएं महत्वपूर्ण रूप से कमजोर अभिशासन (Governance) और खराब जोखिम निगरानी (Risk Oversight) के कारण थीं। बैंकों के बोर्ड चलनिधि की चिंताओं पर तेजी से कार्य करने में विफल रहे, और अपर्याप्त विनियामक अनुपालन ने कमजोरियों का प्रभावी निराकरण नहीं किया, जिससे तेजी से बैंकों का प्रदर्शन प्रभावित हुआ। बैंक विफलताओं का ये क्रम नया नहीं है एवं 2001 के उपरांत केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में ही कुल 569 बैंक विफल हुए थे जिनमें जमकर्ताओं की कुल करीब 900 बिलियन डॉलर की धनराशि जमा थी[1]। वर्षवार इन बैंक विफलताओं का विवरण नीचे के चार्ट में दर्शाया गया है।

पूर्व में हुए सभी वित्तीय संकटों ने आधुनिक जोखिम प्रबंधन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट और 2023 के पूर्वोक्त बैंकिंग संकट जैसे हर वित्तीय संकट ने कठिन नियमों, बेहतर दबाव परीक्षणों और धन प्रबंधन

वरुण यादव
सहायक महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद

[1] Failed Bank Summary | FDIC.gov

2001 से 2025 के मध्य यूएसए में विफल हुए बैंकों की संख्या एवं जमा धनराशि (स्रोत: एफ़डीआईसी)

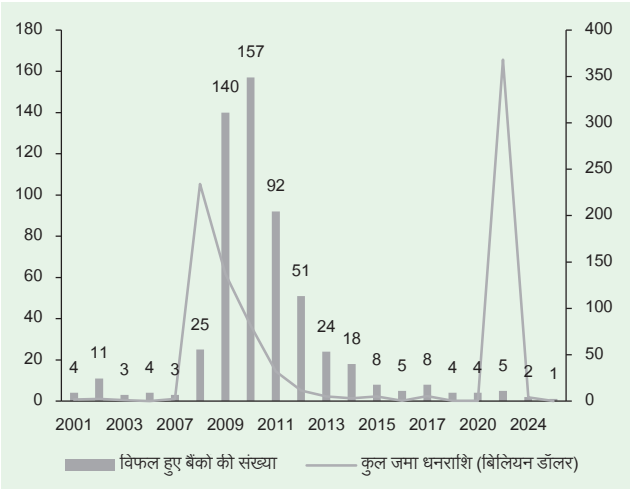

के लिए बेहतर उपायों को जन्म दिया है। जोखिम प्रबंधन का कोई भी नियम या मॉडल, जोखिम जागरूकता, नैतिक नेतृत्व और सक्रिय अभिशासन की एक मजबूत संस्कृति को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। अच्छा जोखिम प्रबंधन केवल नियमों का पालन करने के विषय में नहीं है, बल्कि एक मानसिकता बनाने के विषय में भी है जो समस्याओं का कारण बनने से पहले जोखिमों का अनुमान लगाता है, मूल्यांकन करता है और समाधान करता है।

2. मजबूत जोखिम संस्कृति को सक्षम बनाने की रूपरेखा

इन तीन बैंक विफलताओं में से, सिलिकॉन वैली बैंक के प्रकरण ने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया क्योंकि बैंक में जमाकर्ताओं की सर्वाधिक जमाराशि (175 बिलियन अमरीकी डॉलर) थी। एसवीबी की विफलता के मूल कारणों के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि ऐसी विफलताओं को रोकने के लिए मानकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के अनुपालन से कहीं अधिक की आवश्यकता थी। फेडरल रिज़र्व द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट ने अपने ही संगठन के भीतर प्रचलित कार्य प्रणालियों की कमियों की जिम्मेदारी और नुकसान की गंभीर जाँच की। रिपोर्ट में कहा गया कि स्पष्ट संकेतों के बावजूद, पर्यवेक्षक बैंक के प्रबंधन पर निर्णायक कार्रवाई करने में विफल रहे[2]। जबकि, बैंक को अपनी ओर से अपनी जोखिम प्रबंधन प्रथाओं में सुधार के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता थी। महत्वपूर्ण अवधि के दौरान जब बैंक परिसंपत्ति के आकार में बढ़ रहा था और ग्राहकों की एक बड़ी संख्या अर्जित कर रहा था, उसके पास लगभग एक वर्ष तक मुख्य जोखिम अधिकारी नहीं था। हालांकि व्यापार अधिकारियों की प्रोत्साहन राशि बैंक के मुनाफे से जुड़ी हुई थी, परंतु बैंक ने अपने जोखिम प्रबंधन कार्य को प्रोत्साहित नहीं किया।

ये कमियां जोखिम प्रबंधन के प्रति सक्रिय रुख रखने और प्रभावी प्रथाओं को लागू करने के महत्व को उजागर करती हैं। तंत्र और प्रक्रियाएं जोखिमों के प्रबंधन के लिए मुख्य ढाँचे का गठन करती हैं, जबकि लोग व्यवसाय प्रक्रिया या प्रबंधन निर्णय की संभावित चिंताओं को कैसे देखते हैं और कार्य करते हैं, इसे जोखिम संस्कृति कहा जा सकता है। किसी भी संगठनात्मक संरचना में, जोखिम संस्कृति जोखिम प्रबंधन के प्रभावी कामकाज को उत्प्रेरित करती है। तदनुसार, यह महत्वपूर्ण है कि संस्थान व्यापक प्रणालियों और प्रक्रियाओं को विकसित और संस्थागत बनाते समय एक मजबूत जोखिम संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उचित महत्व दें।

पिछली विफलताओं और सिलिकॉन वैली बैंक के हालिया पतन का विश्लेषण करके, हम एक मजबूत जोखिम संस्कृति के निर्माण के लिए एक सैद्धांतिक रूपरेखा स्थापित कर सकते हैं। इस ढाँचे के पांच प्रमुख घटक यहां दिए गए हैं:

2.1 प्रणेता (Torchbearers)

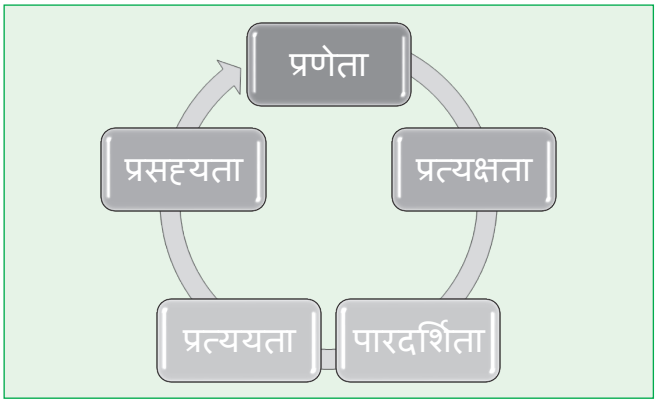

[2] स्रोत: Review of the Federal Reserve's Supervision and Regulation of Silicon Valley Bank

किसी भी वाहन की कीमत या उसमें उपलब्ध उन्नत सुविधाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण उस वाहन के चालक की निपुणता है। यहां तक कि नवीनतम सुरक्षा नवाचारों से लैस सबसे उच्च तकनीक वाली कार, एक लापरवाह चालक द्वारा नियंत्रित होने पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। यह उपमा संगठनों के लिए भी प्रभावी है। हमारी वर्तमान जोखिम प्रबंधन प्रथाएं विफलताओं के इतिहास से उभरी हैं जिन्हें परिवर्तन के लिए एक पथप्रदर्शक ज्योति के रूप में देखा जाना चाहिए।

इन प्रथाओं की क्षमता का सही मायने में उपयोग करने के लिए, हमें विवेकपूर्ण और प्रेरित निर्णय निर्माताओं की आवश्यकता है। ऐसे प्रणेता जो न केवल जोखिम प्रबंधन के महत्व को समझते हैं बल्कि इन सिद्धांतों को पूरी गंभीरता से अपनाने के लिए अपनी टीमों को प्रेरित और शिक्षित करते हैं। ये व्यक्ति पथप्रदर्शक हैं जो अपने संगठनों के भीतर एक मजबूत और सहायक जोखिम संस्कृति विकसित कर सकते हैं।

उनका प्रभाव एकमात्र अनुपालन-उन्मुख ढांचे को एक सक्रिय जोखिम प्रबंधन रणनीति में बदल सकता है, जिससे टीमों को देखभाल और दूरदर्शिता के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। मार्गदर्शन, सशक्तीकरण और जांच के माध्यम से, ये प्रणेता ज्ञान को बढ़ाते हैं और जोखिम के प्रति एक समुचित दृष्टिकोण को आकार देते हैं, जिससे एक ऐसा वातावरण बनता है जहां हर कोई संभावित चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को सशक्त महसूस करता है।

संगठनों के लिए इन प्रणेताओं की सक्रिय रूप से तलाश करना आवश्यक है। वे सतर्क अभिभावक हैं जो अपने दैनिक कर्तव्यों से इतर चिंताओं को बढ़ने से पहले पहचानते हैं और उनसे निपटते हैं। बैंकिंग संस्थानों को यह समझना होगा कि प्रणालियों और प्रक्रियाओं की सफलता के लिए केवल प्रशासकों (administrators) की खोज करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें ऐसे उत्प्रेरकों (incubators) में निवेश करना चाहिए जो उन सभी प्रणालियों और प्रक्रियाओं की वृहद व्याख्या और निर्वहन कर संगठन को बेहतर ऊंचाइयों तक ले जा सकें। सिलिकॉन वैली बैंक की विफलता का मुख्य कारण जोखिम संस्कृति के मार्गदर्शकों की अनुपस्थिति थी। विनियामक द्वारा चेतावनी जारी करने और कुछ व्यावसायिक पहलुओं पर त्वरित कार्रवाई की मांग के बावजूद, बैंक प्रबंधन एवं बोर्ड समय पर आवश्यक कदम उठाने में विफल रहा, जिससे संकट गहरा गया।

2.2 प्रत्यक्षता (Tangibility)

आज के प्रतिस्पर्धी व्यापार परिदृश्य में, लेखा परीक्षकों और पर्यवेक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानना महत्वपूर्ण है - न केवल विनियामक जांचकर्ताओं के रूप में, बल्कि सतत विकास को बढ़ावा देने में आवश्यक भागीदारों के रूप में। दुर्भाग्य से, एक व्यापक धारणा है कि ये कार्य संगठन के व्यापक व्यावसायिक हितों के बजाय प्रक्रियाओं पर अत्यधिक केंद्रित हैं। यह मानसिकता उन्हें सहयोगियों के बजाय बाधाओं के रूप में देखती है। वास्तव में जोखिम प्रबंधन की क्षमता का दोहन करने के लिए, नेतृत्व को इसे संगठन की मुख्य निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में एकीकृत करना चाहिए। जोखिम प्रबंधन के सभी घटकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर, हम एक सक्रिय संस्कृति बना सकते हैं जहां जोखिम को प्रभावी ढंग से समझा और प्रबंधित किया जाता है।

सिलिकॉन वैली बैंक की विफलता यह दर्शाती है कि यदि बैंक ने ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए प्रभावी हेजिंग रणनीतियाँ अपनाई होतीं और चलनिधि संकट से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए होते, तो उसकी विफलता रोकी जा सकती थी। इसलिए, जोखिम प्रबंधन को केवल नीतियों और रिपोर्ट तक सीमित न रखते हुए व्यावहारिक क्रियान्वयन और सतत निगरानी पर जोर देना आवश्यक है, ताकि संभावित खतरों को समय रहते टाला जा सके।

इसके अलावा, जोखिम प्रबंधन अवधारणाओं को आसानी से समझने योग्य बनाना आवश्यक है। हमें उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो सीधे ऑडिट या जोखिम रिपोर्टिंग में शामिल नहीं हैं और उन्हें सिस्टम, नियंत्रण और प्रक्रियाओं के महत्व की सराहना करने के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करना चाहिए। केस स्टडी, प्रस्तुतियों, प्रशिक्षण सत्रों और सर्वेक्षणों के माध्यम से नियमित जुड़ाव इस विषय को रेखांकित एवं स्पष्ट कर सकता है कि गैर-अनुपालन वास्तविक, रोजमर्रा के जोखिमों को कैसे जन्म दे सकता है। जोखिम प्रबंधन को और प्रत्यक्ष बनाकर, हम एक ऐसी संस्कृति बना सकते हैं जहां जोखिम प्रबंधन एक साझा

जिम्मेदारी समझी जाए, जो सतत विकास और सफलता का मार्ग प्रशस्त करे।

2.3 पारदर्शिता (Transparency)

वित्तीय संस्थान, जो कई बाहरी और आंतरिक हितधारकों के साथ जुड़ते हैं, को अपनी नीतियों, नियामक कार्यों और इसमें शामिल सभी हितधारकों पर जोखिम के संभावित प्रभावों के बारे में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए। हालाँकि आज के डिजिटल युग में बहुत अधिक पारदर्शिता कभी-कभी अनावश्यक जांच और घबराहट का कारण बन सकती है, ऐसे में ईमानदारी और खुलेपन को व्यावसायिक कार्यों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में देखा जाना चाहिए।

सिलिकॉन वैली बैंक के मामले में, फेडरल रिज़र्व ने 2021 और 2022 के बीच सात **मामले जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है** (Matters Requiring Attention) और **मामले जिन पर तुरंत ध्यान दिया जाना आवश्यक है** (Matters Requiring Immediate Attention) जारी किए, जो विशेष रूप से चलनिधि संबंधी समस्याओं और ब्याज दर जोखिमों को संबोधित करते थे। हालांकि, ये संवाद गोपनीय रहे और केवल नियामकों व बैंक के बीच चर्चा तक सीमित थे, जिससे संगठन पर अपनी समस्याओं को शीघ्र हल करने के लिए बाहरी दबाव नहीं पड़ा। जैसे-जैसे बैंक अपने पतन के करीब पहुंचा, उसके सुधारात्मक उपाय गुप्त रूप से किए गए। नतीजतन, चिंताएं बढ़ती गईं, जिसके परिणामस्वरूप सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश फैला और अंततः बैंक का पतन हो गया। ऐसी परिस्थितियों में, संगठनों को अपने आंतरिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को प्राथमिकता देनी चाहिए और नियामकों द्वारा अनिवार्य सुधारात्मक कार्रवाइयों का पालन करना चाहिए। मौजूदा समस्याओं को खुले तौर पर स्वीकार करना जवाबदेही को बढ़ावा देता है और सुधारात्मक उपायों के कार्यान्वयन को तेज करता है, जैसा कि सिलिकॉन वैली बैंक के मामले से स्पष्ट होता है।

यह समझना आवश्यक है कि पारदर्शिता प्रभावी संचार की नींव है। विभिन्न समूहों के साथ प्रभावी रूप से संवाद करने के लिए, यह आवश्यक हो सकता है कि संबन्धित हितधारकों के अनुसार दृष्टिकोण को अनुकूलित किया जाए—चाहे वे आंतरिक हितधारक हों, नियामक हों, बाहरी हितधारक हों या आम जनता। बाहरी हितधारकों और जनता के साथ पारदर्शिता बनाए रखना और खुला संवाद करना व्यावसायिक दृष्टि से कम व्यावहारिक लग सकता है, पर आंतरिक व्यावसायिक प्रक्रियाओं और नियामकों के साथ बातचीत में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

2.4 विश्वास (Trust)

पारदर्शिता और विश्वास न केवल महत्वपूर्ण हैं, बल्कि किसी बैंक के जोखिम प्रबंधन ढांचे के मूल स्तंभ भी हैं। किसी संस्थान के आंतरिक हितधारकों और नियामकों के लिए पारदर्शिता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जबकि बाहरी हितधारकों और जनता के साथ व्यवहार करते समय बैंक की कार्यवाही ऐसी होनी चाहिए जो बैंक के कार्यकलापों में प्रत्ययता उत्पन्न करे। पारदर्शिता संगठन की आंतरिक प्रक्रियाओं, नीतियों और निर्णय लेने में स्पष्टता और खुलापन लाती है। यह स्पष्टता प्रभावी जोखिम पहचान और शमन के लिए आवश्यक है। दूसरी ओर, विश्वास समय के साथ विकसित होता है और इसके लिए निरंतर कार्रवाई, नैतिक नेतृत्व और मजबूत जोखिम प्रथाओं की आवश्यकता होती है। जनता जैसे बाहरी हितधारकों के साथ प्रभावी संवाद एवं विश्वास के लिए एक विचारशील दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जिसमें ईमानदारी और सत्यनिष्ठा झलके।

सिलिकॉन वैली बैंक द्वारा हाल ही में झेली गई समस्याएं इस महत्वपूर्ण सबक की याद दिलाती हैं। 2021 से ही चेतावनी संकेत स्पष्ट थे, फिर भी बैंक समय पर सुधारात्मक कदम उठाने में विफल रहा। इस लापरवाही के साथ-साथ वित्तीय अफवाहों और सोशल मीडिया पर तेजी से फैली चर्चाओं ने घबराहट को बढ़ाया, जिससे बैंक-रन जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। यह परिस्थिति एक महत्वपूर्ण सत्य को उजागर करती है: संगठनों को विश्वास अर्जित करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिए और समय पर उचित कदम उठाने चाहिए। यदि सिलिकॉन वैली बैंक ने समय पर उभरती चिंताओं का समाधान किया होता, तो इसके जमाकर्ताओं की आशंकाएं काफी हद तक कम हो सकती थीं।

इसके अलावा, हर निर्णय को एक मजबूत तर्क के साथ समर्थित किया जाना चाहिए, जो सावधानीपूर्वक जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के अनुरूप हो। हितधारकों का विश्वास अमूल्य होता है; यह एक अमूर्त पूंजी है जिसे केवल वित्तीय संसाधनों से हासिल नहीं किया जा सकता। पारदर्शिता और प्रत्ययता को प्राथमिकता देकर, बैंक न केवल अपनी स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा और उन लोगों का विश्वास भी बनाए रख सकते हैं जिनकी वे सेवा करते हैं।

2.5 सहनीयता (Tolerance)

जोखिम सहनीयता जोखिम प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि यह जोखिम के उस स्तर को परिभाषित करता है जिसे कोई संस्थान अपने उद्देश्यों को पूरा करने के दौरान स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। पूर्ण रूप से जोखिम को समाप्त करना न तो संभव है और न ही वांछनीय, क्योंकि वित्तीय निर्णय लेने में जोखिम स्वाभाविक रूप से निहित होते हैं। इसके बजाय, प्रभावी जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य जोखिम और लाभ के बीच संतुलन बनाए रखना है।

स्पष्ट जोखिम सहनीयता स्तर स्थापित करके, बैंक जोखिमों का अनुमान एवं निगरानी अपनी व्यावसायिक रणनीतियों के अनुरूप कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण अत्यधिक जोखिम लेने को रोकने में मदद करता है, जबकि नवाचार और विकास के लिए आवश्यक लचीलापन भी प्रदान करता है। एक सुव्यवस्थित जोखिम सहनीयता ढाँचा निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुदृढ़ करता है, नियामक अनुपालन सुनिश्चित करता है और समग्र वित्तीय स्थिरता में योगदान देता है, जिससे यह प्रभावी जोखिम प्रबंधन का एक आधारभूत स्तंभ बन जाता है।

हालांकि, उचित उपाय और प्रक्रियाएँ होने के बावजूद, कर्मचारियों द्वारा भय-जनित हेरफेर अप्रत्याशित समस्याओं को जन्म दे सकता है। अक्सर, कनिष्ठ कर्मचारी इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि यदि कोई जोखिम घटना घटित होती है तो प्रबंधन की नकारात्मक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। इसके परिणामस्वरूप, कुछ कर्मचारी रिकॉर्ड को छिपा सकते हैं या उसमें फेरबदल कर सकते हैं, जिससे स्थितियाँ और अधिक जटिल हो जाती हैं। संगठनों और वरिष्ठ प्रबंधकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अनजाने में हुई गलतियों और जानबूझकर किए गए कदाचार के बीच अंतर करें। संगठनों को एक ऐसा वातावरण विकसित करना चाहिए जो गलतियों को स्वीकार करे, लेकिन जानबूझकर किए गए हेरफेर पर कठोरता बरते।

अत्यधिक निगरानी किसी संगठन की नवाचार क्षमता को बाधित कर सकती है। आज के गतिशील व्यावसायिक माहौल में, संगठनों के लिए नवाचार को अपनाना आवश्यक है, न कि इसे सीमित करना। इसलिए, सभी स्तरों और मंचों पर जोखिम सहनीयता पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है। जोखिम प्रसह्यता की संस्कृति को बढ़ावा देने से पारदर्शिता और विश्वास को सुदृढ़ किया जा सकता है, साथ ही भय-जनित जोखिम लेने की संभावना को भी कम किया जा सकता है।

3. उपसंहार

प्रणेता, प्रत्यक्षता, पारदर्शिता, विश्वास, और सहनीयता पर आधारित एक सैद्धांतिक ढांचा किसी भी वित्तीय संस्थान की जोखिम संस्कृति को महत्वपूर्ण रूप से सुदृढ़ कर सकता है। प्रणेता नैतिक जोखिम प्रथाओं को प्रोत्साहित करके दिशा निर्धारित करते हैं। प्रत्यक्षता यह सुनिश्चित करती है कि जोखिम नीतियाँ केवल सैद्धांतिक दिशानिर्देश न रहकर ठोस क्रियान्वयन में परिवर्तित हों। पारदर्शिता जोखिमों के स्पष्ट संचार को सक्षम बनाती है, जिससे छिपी हुई कमजोरियों को उजागर करके उनसे निपटा जा सकता है। विश्वास कर्मचारियों और हितधारकों के बीच भरोसे को मजबूत करता है, जिससे प्रभावी जोखिम प्रबंधन के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित होती है। सहनीयता उचित एवं निर्धारित जोखिम लेने की छूट देती है, जिससे सतर्कता और नवाचार के बीच संतुलन बना रहता है और साथ ही भय-जनित जोखिम लेने की संभावना भी कम होती है । ये सभी तत्व मिलकर एक मजबूत जोखिम संस्कृति का निर्माण करते हैं, जिससे जोखिमों की सक्रिय रूप से पहचान, मूल्यांकन और न्यूनीकरण किया जा सकता है, एवं बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता और नियामक अनुपालन को मजबूती मिल सकती है।

अवसंरचना क्षेत्र का वित्तपोषण

- नौशाबा हसन

अवसंरचना क्षेत्र जिसे किसी देश की बुनियादी सुविधाएँ भी कहा जाता है किसी भी देश की प्रगति का एक प्रमुख चालक होता है। भारत में अलग-अलग संस्थाओं द्वारा अवसंरचना क्षेत्र को अलग-अलग ढंग से पारिभाषित किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (भारत सरकार सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय), डॉ. राकेश मोहन कमेटी, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड और आयकर विभाग की बुनियादी सुविधाओं/ अवसंरचना क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत, जल आपूर्ति, दूर-संचार, सड़क तथा पुल, पत्तन, हवाई अड्डा तथा रेलवे आदि को शामिल किया गया है।

नौशाबा हसन
सहायक महाप्रबंधक
एसबीआईएल, कोलकाता

अवसंरचना क्षेत्र का विकास जहाँ आर्थिक विकास की गति तेज़ करता है, वहीं आर्थिक विकास उन्नत अवसंरचना क्षेत्र की मांग बढ़ाता है। अवसंरचना क्षेत्र का विकास भारत सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं में से एक बना हुआ है क्योंकि इससे रोज़गार के अवसर पैदा होते हैं, प्रमुख क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा मिलता है, माल सामान लाने-ले जाने की लागत कम हो जाती है, घरेलू और वैश्विक बाजारों में निर्माण क्षेत्र के उद्योगों में स्पर्धा की भावना बढ़ती है और लोगों के लिए जीवन आसान हो जाता है। जहां हाल के वर्षों में सड़क और रेलवे जैसे पारंपरिक अवसंरचना के क्षेत्रों को नए सिरे से बढ़ावा मिला है, वहीं अंतर्देशीय जल परिवहन और नागरिक उड्डयन जैसे क्षेत्रों, जिनमें महत्वपूर्ण अप्रयुक्त क्षमता है, को भी पर्याप्त रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऊर्जा और बिजली क्षेत्र में किए जा रहे सुधार आने वाले भविष्य में भारत की प्रगति को तेजी से पटरी पर लाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। भौतिक बुनियादी ढाँचा के निर्माण और उन्नयन में निवेश, विशेष रूप से व्यापार करने में आसानी की पहल के साथ

तालमेल में, दक्षता और लागत बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। आज देश भर में सड़कों, जलमार्गों, रेलवे, हवाई अड्डों और बंदरगाहों के क्षेत्रों में विश्व स्तरीय सुविधाओं का तीव्र गति से विकास हो रहा है। स्मार्ट सिटी कार्यक्रम शहरी विकास के लिए गेम-चेंजर साबित हुआ है। सरकार ने बुनियादी ढांचे के क्षेत्र के विकास को बढ़ाने के लिए 'मेक इन इंडिया' और उत्पादन से जुड़े उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (पी.एल.आई.) के अलावा अनेक पहलें की हैं जो अवसंरचना क्षेत्र की प्रगति में सहायक सिद्ध हो रही हैं।

अवसंरचना वित्तपोषण से जुड़े कुछ मुद्दे:

एक लचीला, विश्व स्तरीय अवसंरचना- भौतिक, सामाजिक, वित्तीय और डिजिटल का निर्माण विकसित भारत@2047 बनाने के लिए भारत की नीति रणनीति का एक प्रमुख विषय है। इस बात में कोई दो मत नहीं कि किसी भी देश में बुनियादी सुविधाओं का विकास काफी दुरूह कार्य होता है क्योंकि इसमें व्यापक निवेश आवश्यक होता है। प्रारंभिक अवधि लंबी होती है, प्रक्रियात्मक विलंब होता है और प्रतिफल मिलने में काफी समय लगता है। बुनियादी सुविधाओं के विकास की यह पेचीदगी बुनियादी सुविधाओं के वित्तपोषण के संबंध में कुछ विशेष मुद्दे उठाती है जो निम्नानुसार हैं:-

- निधीयन में कमी वह सबसे महत्वपूर्ण मामला है जो बुनियादी सुविधाओं के वित्तपोषण में बाधा खड़ी करता है। बुनियादी सुविधाओं के वित्तपोषण का लगभग आधे से ज़्यादा हिस्सा संघ सरकार बजट आबंटन के माध्यम से करती है। यहां यह उल्लेखनीय है कि सरकारी निधि में अन्य बातों के साथ-साथ शिक्षा, जनकल्याणकारी योजनाओं तथा रोजगार उत्पत्ति का भी ध्यान रखना होता है। बुनियादी सुविधाओं के वित्तपोषण में सरकार की सीमा को देखते हुए, विशेष रूप से नियम आधारित राजकोषीय नीतिगत संरचना के संदर्भ में, यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि बुनियादी सुविधाओं के वित्तपोषण के अन्य स्रोतों की खोज की जाए।
- भारत में बुनियादी सुविधाओं का एक बड़ा भाग (विशेष रूप से सिंचाई, जलापूर्ति, शहरी स्वच्छता और राज्य मार्ग परिवहन) विनियामक, राजनैतिक और प्रक्रिया संबंधी अनेक मामले बाधाएं जैसे विभिन्न कारणों से वाणिज्यिकीकरण के लिए उपयुक्त नहीं है, आदि का सामना करते हैं। इसके कारण सरकार इन क्षेत्रों पर पर्याप्त उपयोगकर्ता प्रभार लगाने की स्थिति में नहीं होती है। परियोजनाओं की वित्तीय रूप से सुदृढ़ता के लिए लेवी और उपयोगकर्ता प्रभार की वसूली आवश्यक होती है। बुनियादी सुविधाओं की परियोजनाओं पर उपयोगकर्ता प्रभार की अपर्याप्तता, बुनियादी सुविधाओं के ऋण की चुकौती पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं।
- बुनियादी सुविधाओं के विकास से संबंधित समस्याओं के दायरे में बुनियादी सुविधा परियोजना के लिए भूमि के अधिग्रहण से लेकर पर्यावरण संबंधी अनापत्ति पत्र जैसी औपचारिकताएं शामिल होती हैं जिनसे प्रक्रियात्मक विलंब बढ़ता है। इन कारणों से निवेशकों की जोखिम लेने की और बैंकों द्वारा बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए निधि लगाने की इच्छा प्रभावित होती है।
- बुनियादी सुविधा क्षेत्र की परियोजनाएं जटिल स्वरूप की होती हैं तथा इसमें बड़ी संख्या में पार्टियां शामिल होती हैं। इनमें प्रायः प्राकृतिक एकाधिकार होता है जैसे महामार्ग अथवा पानी की आपूर्ति। इसलिए सरकार इन पर नियंत्रण रखना चाहती है ताकि सरकार की एकाधिकार शक्तियों का दुरूपयोग न किया जा सके। इसके लिए जटिल कानूनी व्यवस्था की जाती है ताकि उससे होने वाले फायदे का सही-सही वितरण हो सके एवं जोखिम साझा किया जा सके जिससे सभी शामिल पार्टियों को बराबर प्रोत्साहन प्राप्त हो सके।

अवसंरचना वित्तपोषण: भारत सरकार द्वारा की गईं कुछ पहलें:

- नई और मौजूदा अवसंरचना के निर्माण के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनओपी) और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) जैसी विभिन्न पहलें की हैं:-

- इकॉनोमिक टाईम्स में दिनांक 19.09.2025 को छपी एक रिपोर्ट के अनुसार पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष शिवसुब्रमणियन रमण का विचार है कि भारत को अपनी विकास योजनाओं को जारी रखने के लिए साल 2030 तक अवसंरचना क्षेत्र में लगभग 4.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (4.5 लाख करोड़ डॉलर) का निवेश करना होगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि श्री रमण के अनुसार ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए पूंजी बाजार से और अधिक निवेश की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता।[1]

  इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए देश भर में विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना प्रदान करने और सभी नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए वित्त वर्ष 2020-2025 के दौरान लगभग 111 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित आधारभूत संरचना के निवेश के साथ राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन अर्थात नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एन.आई.पी.) शुरू की गई है।

- राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन अर्थात नेशनल मोनेटाईजेशन पाइपलाइन (एन.एम.पी.) टिकाऊ, बाजार-संचालित बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी घोषणा अगस्त 2021 में 'मुद्रीकरण के माध्यम से संपत्ति निर्माण' के सिद्धांत पर की गई थी जिसका उद्देश्य है नए अवसंरचना के निर्माण के लिये निजी क्षेत्र के निवेश का दोहन करना। नीति आयोग ने अवसंरचना मंत्रालयों के साथ मिलकर राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एन.एम.पी.) को तैयार किया है और इसके कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एन.एम.पी. में चार वर्ष की अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25) में सड़क, रेलवे, बिजली, तेल और गैस पाइपलाइन, दूरसंचार, नागरिक उड्डयन आदि जैसे क्षेत्रों में केंद्र सरकार की प्रमुख परिसंपत्तियों को पट्टे पर देने के माध्यम से 6 लाख करोड़ रुपए की कुल मुद्रीकरण क्षमता की परिकल्पना की गई है।[2]

- पीएम गतिशक्ति को एक बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ. भौतिक अवसंरचना में अंतराल को भरने और विभिन्न एजेंसियों की मौजूदा और प्रस्तावित अवसंरचना विकास पहलों को एकीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान बुनियादी ढांचा संपर्क परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार के सोलह मंत्रालयों के बीच तालमेल स्थापित कर देश में चल रहे सड़क, रेल, तेल और गैस जैसे मंत्रालयों की परियोजनाओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है। इसका उद्देश्य देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और उपस्कर अर्थात लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाना है। पी.एम. गति शक्ति में भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, शुष्क/ भूमि बंदरगाह, उड़ान जैसे विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की बुनियादी ढांचा योजनाओं को शामिल किया जाएगा। कनेक्टिविटी में सुधार और भारतीय व्यवसायों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कपड़ा क्लस्टर, फार्मास्युटिकल क्लस्टर, रक्षा गलियारे, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, औद्योगिक गलियारे, मछली पकड़ने के क्लस्टर, कृषि क्षेत्र जैसे आर्थिक क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, विदेशी निवेश आकर्षित होंगे और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।

- सरकार, बुनियादी सुविधा क्षेत्र में सरकारी-निजी साझेदारी अर्थात पी.पी.पी. को प्रोत्साहन देती है। पी.पी.पी. प्रणाली में वापसी खरीद गारंटी, एस्क्रो व्यवस्था, उधारदाताओं को प्रतिस्थापना अधिकार आदि से परियोजना की सक्षमता बढ़ाने के लिए ऋण विस्तार की सुविधा होती है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने वर्ष 2006 में 'आधारभूत ढाँचे में सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) को वित्तीय समर्थन देने के लिये योजना' (व्यवहार्यता अंतराल अनुदान योजना) की शुरुआत उन परियोजनाओं के लिये की थी जो आर्थिक रूप से न्यायोचित है किंतु वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक नहीं है। जिसका मुख्य कारण अधिक पूंजी लागत आवश्यकताएँ, लंबी अवधि और व्यावसायिक स्तर पर उपयोगकर्त्ता शुल्क बढ़ाने में असमर्थता शामिल है। व्यवहार्यता अंतराल अनुदान एक ऐसा अनुदान होता है जो सरकार द्वारा ऐसे

आधारभूत ढाँचा परियोजना को प्रदान किया जाता है जो आर्थिक रूप से उचित हो लेकिन उनकी वित्तीय व्यवहार्यता कम हो। व्यवहार्यता अंतराल अनुदान के तहत वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2024 तक 25,263.8 करोड़ रुपये की लागत वाली 27 परियोजनाओं को अंतिम मंजूरी दी गई है।

- बुनियादी सुविधा क्षेत्र को दीर्घावधि मीयादी ऋण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा इंडिया इंफ्रास्ट्रकचर फाईनेंस कंपनी अर्थात आई.आई.एफ.सी. एल. की स्थापना करना एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। आई.आई.एफ.सी.एल. भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है जिसकी स्थापना वर्ष 2006 में एक विशेष प्रयोजन माध्यम से व्यवहार्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण की योजना के माध्यम से दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी।
- भारत सरकार ने अप्रैल 2021 में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान के रूप में राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्तपोषण बैंक- NaBFID (नैबफिड) की स्थापना की थी। राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्तपोषण बैंक, भारत में दीर्घकालिक बिना साधन के बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के विकास का समर्थन करता है, जिसमें बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण के लिए आवश्यक बॉन्ड और व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) बाजारों का विकास आदि शामिल है। यह दीर्घावधि के ऋण, मिश्रित वित्त और आंशिक साख वृद्धि जैसे नवीन उपकरणों के माध्यम से वित्तपोषण अंतराल को संबोधित करके भारत के बुनियादी ढाँचे क्षेत्र को आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्तपोषण बैंक ने रूपये 86,804 करोड़ से अधिक की कुल स्वीकृतियां दी हैं, जिनमें देश भर में फैली परियोजनाएं और बुनियादी ढांचे के विविध उप-क्षेत्रों जैसे सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, रेलवे, जल और स्वच्छता, शहर गैस वितरण आदि शामिल हैं। रू.86,804 करोड़ में से 50% को 50 से 20 वर्षों की लंबी अवधि के लिए मंजूरी दी गई है।[4]

अवसंरचना वित्तपोषण बैंकों की भूमिका:

अवसंरचना वित्तपोषण में बैंकों की भूमिका के निम्नलिखित आयाम हैं:

- विभिन्न बैंक परियोजना वित्तपोषण से संबंधित सेवाओं- निधीयन और तुलनपत्रेतर मदों की संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विभिन्न उत्पादों की पेशकश करते हैं। इस हेतु बैंकों में विशेषीकृत विभाग होते हैं जो ऐसे ऋण प्रस्तावों की तकनीकी व्यवहार्यता और आर्थिक व्यवहार्यता का आकलन करते हैं। बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए ब्याज दर, सुरक्षा और पुनर्भुगतान अवधि परियोजना की प्रकृति, ऋण की मात्रा, पुनर्भुगतान अवधि, नकदी सृजन, पुनर्भुगतान क्षमता आदि का आकलन करने के लिए बैंकों में विशेषज्ञ अधिकारियों की पदस्थापना की जाती है। बैंक आधारभूत संरचना वित्तपोषण की संवेदनशीलता विश्लेषण के साथ-साथ इस बात की भी जाँच करते हैं कि धनराशि के विशाल परिव्यय और भुगतान की लंबी अवधि को ध्यान में रखते हुए परियोजना जहाँ भी आवश्यक हो, विविधताओं के साथ अपनी व्यवहार्यता स्थापित करती है या नहीं।
- बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए धन के प्रवाह को सक्षम करने के लिए वाणिज्यिक बैंक, आमतौर पर सावधि ऋण देने वाले वित्तीय संस्थानों और अन्य बैंकों के साथ सहायता संघ (कंसोर्टियम) और समूहन (सिंडिकेशन) व्यवस्था के तहत वित्त उपलब्ध करवाते हैं। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बहुत बड़ी राशि और लंबे समय तक चुकाने की सुविधा चाहिए होती है- इसी वजह से कंसोर्टियम निधीयन एक अच्छा विकल्प माना जाता है। कंसोर्टियम निधीयन में एक बड़ा (मुख्य) बैंक बाकी बैंकों, वित्तीय संस्थाएँ और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के समूह का नेतृत्व करता है और एक कंसोर्टियम बनाता है, ताकि बुनियादी ढांचा निधीयन परियोजना के लिए पैसा जुटाया जा सके। विभिन्न बैंक सिंडिकेशन सेवाएँ भी देते हैं, यानी ऐसे सौदे को तैयार करने और व्यवस्थित करने में मदद करते हैं जिससे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषण प्रदान किया जा सके। इसमें अलग-अलग बैंकों

और वित्तीय संस्थानों को जोड़कर उनके वित्तपोषण का इंतज़ाम किया जाता है। इस तरह वृहद बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए कई बैंक मिलकर परियोजना का वित्तपोषण करते हैं ताकि जोखिम को बाँटा जा सके और परियोजनाओं को आसानी से पूरा किया जा सके।

- विभिन्न बैंकों की परियोजना वित्त कार्यनीतिक व्यवसाय इकाइयां, बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए नीति और नियामक ढांचे को मज़बूत करने के लिए केंद्र/ राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों और आर.बी.आई. को उधारदाताओं के दृष्टिकोण से अवगत करवाती हैं। यह विभिन्न हितधारकों द्वारा सामना किए जाने वाले मॉडल रियायत समझौतों और व्यापक बुनियादी ढांचे के वित्त मुद्दों जैसे मसौदा समझौतों और अनुबंधों आदि पर सुझाव भी देती हैं।
- अंतरण वित्तपोषण योजना का उद्देश्य वाणिज्यिक बैंकों को बुनियादी ढांचा क्षेत्र को अधिक ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करना है। जैसा कि पूर्व में बताया गया है, अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक निधि की आवश्यकता होती है, जबकि बैंकों की देयता का अधिकांश हिस्सा अल्पकालिक अवधि के लिए होता है। इससे समस्या यह होती है कि कई बार अच्छे प्रस्तावों के होते हुए भी, दीर्घकालीन निधियों के अभाव में व्यावसायिक बैंक इस क्षेत्र में वैसा योगदान नहीं दे पाते जैसा कि उनसे अपेक्षित होता है। अंतरण वित्तपोषण योजना के तहत, बैंक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ऋण देते हैं लेकिन एक निश्चित अवधि के बाद उस ऋण का एक हिस्सा आई.आई.एफ.सी.एल. जैसे तीसरे पक्ष को बेच देते हैं। अंतरण वित्तपोषण से बैंकों को अवसर मिल जाता है कि वे बुनियादी सुविधाओं के वित्तपोषण एक्सपोजर संबंधी जोखिमों से अपने तुलनपत्र को मुक्त कर लें और नई परियोजनाओं के लिए उधार दें। इससे बैंकों की परिसंपत्तियों और देयताओं की स्थिति में सुधार तो होता ही है साथ ही वे बुनियादी ढाँचे के विकास हेतु आवश्यक वित्तपोषण अंतर को पाटने में अपना योगदान देने में भी सक्षम बनते हैं।

अवसंरचना वित्तपोषण: विविध संस्थान/ लिखत/ माध्यम:

- बीमा और पेंशन निधियां बुनियादी सुविधाओं में निवेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त संस्थाएं हैं। इसका कारण यह है कि वाणिज्य बैंकिंग क्षेत्र के विपरीत ये संस्थाएं दीर्घकालिक देयताओं पर ध्यान देती हैं। किंतु इन संस्थाओं द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में अपनी निधियों का निवेश करने की बाध्यता से उनका दायरा भी सीमित हो जाता है। इससे केंद्र सरकार के सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण में तो सहायता हो जाती है, किंतु इससे बुनियादी सुविधा क्षेत्र में इनका प्रत्यक्ष निवेश सीमित हो जाता है।
- भारत को गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना के निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो निजी क्षेत्र के वित्तपोषण का योगदान और नए स्रोतों से संसाधन जुटाने के नवीन अवसर खोजने ही होंगे। अवसंरचना में निजी निवेश मुख्य रूप से सरकारी निजी सहभागिता के रूप में होता है। सरकारी निजी सहभागिता अवसंरचनात्मक अंतर को दूर करने और अवसंरचना सेवा सुपुर्दगी की दक्षता में सुधार करने में सहायक सिद्ध होती है। सरकारी निजी सहभागिता की सफलता संस्थागत संरचना और वित्तीय सहायता की सुदृढ़ता तथा मानकीकृत दस्तावेजों, जैसे योग्यता के लिए कोटेशन हेतु अनुरोध, प्रस्ताव के लिए अनुरोध, और मॉडल रियायत अनुबंध के उपयोग और सहज उपलब्धता में निहित होती है।
- पेंशन फंड, बीमा कंपनियों और अन्य संस्थागत निवेशकों से अवसंरचना क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिये अधिक बुनियादी ढांचा निवेश न्यास (Infrastructure Investment Trusts- InvITs) और स्थावर संपदा निवेश न्यास (Real Estate Investment Trusts- REITs) के निर्माण को प्रोत्साहित किया जा रहा है:-
  - बुनियादी ढांचा निवेश न्यास (InvITs) म्यूचुअल फंड के समान सामूहिक निवेश योजना है, जो रिटर्न के रूप में आय का एक हिस्सा अर्जित करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशकों के धन को सीधे निवेश

करने में सक्षम बनाता है। बुनियादी ढांचा निवेश न्यास को एक स्तरीय संरचना के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जिसमें प्रायोजक इस न्यास की स्थापना करता है जो बदले में पात्र बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सीधे या विशेष प्रयोजन वाहनों के माध्यम से निवेश करता है। बुनियादी ढांचा निवेश न्यास को सेबी (इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) विनियम, 2014 द्वारा विनियमित किया जाता है।

- स्थावर संपदा निवेश न्यास अर्थात ReITs अचल संपत्ति से जुड़ी प्रतिभूतियाँ होती हैं जिनके सूचीबद्ध होने के बाद इनका स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार किया जा सकता है। स्थावर संपदा निवेश न्यास की संरचना एक म्यूचुअल फंड के समान ही होती है। इस प्रणाली में आय-उत्पादक स्थावर संपदा से एकत्र किये गए धन को यूनिट धारकों के बीच वितरित किया जाता है। इसके साथ ही किराये और पट्टों से होने वाली नियमित आय के अलावा अचल संपत्ति से लाभ भी यूनिट धारकों के लिये एक आय का माध्यम बनता है। वर्तमान में, भारत में पाँच सूचीबद्ध स्थावर संपदा निवेश न्यास हैं - ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट, एम्बेसी ऑफिस पार्क आरईआईटी, माइंडस्पेस बिजनेस पार्क आरईआईटी, नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट और नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट। दि हिंदू में दिनांक 05.09.2025 को छपी रिपोर्ट बताती है कि भारतीय स्थावर संपदा निवेश न्यास. एसोसिएशन और भारत बुनियादी ढांचा निवेश न्यास एसोसिएशन अनुमानों के अनुसार, स्थावर संपदा निवेश न्यास और बुनियादी ढांचा निवेश न्यास के संयुक्त प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियों अर्थात एयूएम के वर्ष 2030 तक 25 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है।

निष्कर्ष: भारत वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में एक प्रमुख शक्ति के रूप में तेज़ी से स्थापित हो रहा है। देश के आर्थिक विकास में अवसंरचना द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका से हम सभी परिचित हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य भारत में समग्र आर्थिक विकास लाने की दिशा में अवसंरचना के सकारात्मक प्रभाव की ओर इशारा करते हैं। आर्थिक विकास की गति को निरंतर बनाये रखने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना में निवेश करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि अनुभवजन्य साक्ष्य बताते हैं, इसका भारतीय निर्माण फर्मों की उत्पादकता और दक्षता पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। यह आगे गरीबी कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और देश के समावेशी विकास को और सबल प्रदान करता है। इस बात में कोई दो मत नहीं कि अवसंरचना क्षेत्र के वित्तपोषण से जुड़े निरंतर हितधारियों जैसे सरकार, बैंक एवं अन्य संस्थाओं के पूर्ण समर्थन और प्रोत्साहन से यह क्षेत्र भारतवर्ष को प्रगति पथ पर निरंतर अग्रसर बनाए रखेगा।

स्रोत:

1. https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/infrastructure/step-up-infrastructure-credit-flow-india-requires-4-5-trillion-growth-capital-pfrda/articleshow/123983754.cms?from=mdr
2. https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/prelims-facts/national-monetisation-pipeline-4
3. आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25- https://www.indiabudget.gov.in/budget2024-25/economicsurvey/doc/eschapter/ hechap12.pdf
4. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2010388
5. https://www.thehindu.com/business/reits-invits-aum-crosses-9-lakh-crore-in-9-years-may-touch-25-lakh-crore-by-2030-industry-bodies/article70017214.ece

त्रिपक्षीय रेपो बाज़ार: संक्षेप में

- अभिषेक दाते

1. परिचय

वित्तीय बाज़ार किसी भी देश की आर्थिक प्रणाली की रीढ़ की भूमिका निभाता है। वास्तव में यह एक ऐसा मंच है, जहाँ खरीदार और विक्रेता इक्विटी, बॉन्ड, डेरिवेटिव और मुद्राओं जैसे अलग-अलग तरह के वित्तीय साधनों का व्यापार करते हैं। मुद्रा बाज़ार किसी भी देश के वित्तीय बाज़ार का सबसे अहम हिस्सा है। यह मौद्रिक नीति के निर्णयों को लागू करना सुगम बनाता है, साथ ही छोटी अवधि के इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग के लिए भी एक मंच की तरह काम करता है। आर्थिक स्थिरता के लिए चलनिधि मुद्रा बाज़ार बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये बाज़ार के भागीदारों को उनकी फंडिंग ज़रूरतों का एक बड़ा हिस्सा पूरा करने में मदद करते हैं। फंडिंग से जुड़े साधन, जैसे कि कॉल मनी, रेपो और त्रिपक्षीय रेपो, कम अवधि के लिए उधार लेने और फंड उधार देने को आसान बनाते हैं, जबकि ट्रेडिंग से जुड़े साधनों में, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जैसे कई इंस्ट्रूमेंट्स शामिल हैं, जिनका एक सक्रिय द्वितीयक बाज़ार मौजूद होता है।

क्लीयरिंग कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) ने जनवरी 2003 में कोलैटरलाइज्ड बॉरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन (सीबीएलओ) को मुद्रा बाज़ार के एक उत्पाद के तौर पर लॉन्च किया, ताकि कम समय के नकदी के प्रबंधन के लिए एक वैकल्पिक रास्ता मिल सके। यह नवाचार विशेष रूप से गैर-बैंक प्रतिभागियों के लिए फायदेमंद था, जिन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था या कॉल मनी मार्केट से बाहर किया जा रहा था। सीसीपी की गारंटी के साथ एक कोलैटरल वाला लिखत होने के कारण, सीबीएलओ ने दूसरे पक्ष के लिए सीमाओं (Counterparty Limits) की आवश्यकता को समाप्त कर दिया। इसके अलावा, सीबीएलओ का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि, यह परिपक्वता से पहले ऋण लेने या ऋण देने की स्थिति को समाप्त करने (Square -off) में सहायता प्रदान करता है। सीसीआईएल ऋण देने वालों तथा ऋण लेने वालों, दोनों के लिए संरक्षक की भूमिका निभाता है, इसलिए सीबीएलओ ने सभी पक्षों के बीच सिक्योरिटीज के सीधे हस्तांतरण की ज़रूरत को खत्म कर दिया, जिससे बाज़ार की मात्रा में काफी वृद्धि हुई। सीबीएलओ की इन्हीं खूबियों ने इसे ऋण देने वालों तथा ऋण लेने वालों दोनों के लिए बेहद आकर्षक बना दिया, जिसकी वजह से कॉल और रेपो बाज़ारों की तुलना में बाज़ार की चलनिधि में काफी सुधार हुआ। 5 नवंबर, 2018 को, भारतीय रिज़र्व बैंक की त्रि-पक्षीय रेपो संबंधी अधिसूचना के बाद, सीसीआईएल ने ट्राय-पार्टी रेपो (TREPS) इंस्ट्रूमेंट पेश किया, जिसने सीबीएलओ की जगह ले ली। TREPS ने सरकारी सिक्योरिटीज के बदले उधार ली गई राशि पर सीआरआर और एसएलआर की गणना से छूट देकर सीबीएलओ की कमियों को दूर किया। इसका नतीजा यह हुआ कि, TREPS लेनदेन में भाग लेने वाले बैंकों को उधार लिए गए धन पर अतिरिक्त सीआरआर या एसएलआर बनाए रखने से छूट मिली। इसके अलावा, उधार देने के बदले प्राप्त सिक्योरिटीज को एसएलआर के लिए मान्यता दी गई, जिससे सीबीएलओ की तुलना में चलनिधि की कमी दूर हुई तथा संचालन को और बेहतर बनाने में मदद मिली।

भारत में त्रि-पक्षीय रेपो बाज़ार पर इस लेख में इसकी ट्रेडिंग, क्लियरिंग एवं निपटान प्रक्रियाओं, इसके जोखिम प्रबंधन की संरचना, और मात्रा तथा प्रतिभागियों की संख्या के मामले में बाजार के विकास को शामिल किया गया है।

अभिषेक दाते
उप प्रबंधक-I, अनुसंधान विभाग
क्लीयरिंग कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड

2. त्रि-पक्षीय रेपो बाज़ार

2.1 त्रि-पक्षीय रेपो बाज़ार का परिचय

'री-परचेज़ एग्रीमेंट' या 'पुनर्खरीद समझौता' को सामान्य तौर पर 'रेपो' के नाम से जाना जाता है। दरअसल यह धन उधार लेने का

एक ऐसा साधन है, जिसमें सिक्योरिटीज को इस समझौते के साथ बेचा जाता है कि उन्हें भविष्य में आपसी सहमति से तय की गई तारीख और मूल्य पर वापस खरीदा जाएगा, जिसमें उधार ली गई धनराशि पर ब्याज भी शामिल है।

त्रि-पक्षीय रेपो इंस्ट्रूमेंट भी वापस खरीदने हेतु किए गए समझौते का ही एक प्रकार है, जिसमें तीन पक्ष शामिल होते हैं: यानी उधार लेने वाला, उधार देने वाला और एक तीसरी संस्था जिसे त्रि-पक्षीय एजेंट कहा जाता है। यह एजेंट रेपो के दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, ताकि गिरवी रखी जाने वाली चीज़ों का चुनाव, भुगतान और निपटान, उसे संभालकर रखने तथा पूरे लेनदेन के दौरान प्रबंधन जैसी सेवाओं को सुविधाजनक बनाया जा सके। त्रि-पक्षीय रेपो मुद्रा बाज़ार का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे आरबीआई की मंजूरी प्राप्त है, और इसने 2018 में सीबीएलओ की जगह ली थी। सीसीआईएल द्वारा विकसित और संचालित इस इंस्ट्रूमेंट ने मुद्रा बाज़ार में चलनिधि को काफी बढ़ाया है और चलनिधि का प्रबंधन करने वाले भागीदारों के लिए यह एक पसंदीदा विकल्प बन गया है। त्रि-पक्षीय रेपो बाज़ार कोलैटरल पर आधारित या सुरक्षित ऋण बाज़ार है, जो इसके तहत गिरवी रखी चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग करने में मदद करता है।

भारत में, सीसीआईएल सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े सभी त्रिपक्षीय रेपो सौदों के लिए त्रिपक्षीय एजेंट की भूमिका निभाते हैं। यह गिरवी रखी चीज़ों का प्रबंधन और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ ट्रेड रिपोर्टिंग को सुविधाजनक बनाकर त्रि-पक्षीय रेपो बाज़ार को अच्छी तरह चलाने में बेहद महत्वपूर्ण है। सीसीआईएल को कई अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिसमें कोलैटरल का मूल्य फिर से निर्धारित करना, मार्जिन तय करना, इसके पास रखे गए कोलैटरल पर कॉर्पोरेट कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी करना और समय-समय पर अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार कोलैटरल के प्रतिस्थापन को संभव बनाना शामिल है। सीसीआईएल ने कोलैटरल के मूल्यांकन के लिए पारदर्शी और भरोसेमंद मानक बनाए हैं, जो बाजार लेनदेन में अनुकूलता और निष्पक्षता को बढ़ावा देते हैं।

2.2 त्रि-पक्षीय रेपो बाज़ार में ट्रेडिंग

त्रिपक्षीय रेपो बाजार में सरकारी सिक्योरिटी में कारोबार TREPS डीलिंग सिस्टम पर होता है — जो नाम उजागर किए बिना ऑर्डर का मिलान करने वाला प्लेटफ़ॉर्म है, जिसे क्लियरकॉर्प डीलिंग सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) द्वारा संचालित किया जाता है। इस प्लेटफ़ॉर्म पर लेन-देन करने के लिए, भागीदारों को प्रतिभागियों को TREPS सेगमेंट के तहत सीसीआईएल के साथ पंजीकृत होना चाहिए। INFINET नेटवर्क से जुड़े सदस्य INFINET के माध्यम से सिस्टम तक पहुँच सकते हैं, जबकि अन्य सभी लोग इंटरनेट के माध्यम से लॉग-इन कर सकते हैं। भाग लेने के लिए, सदस्यों को सीसीआईएल द्वारा तय किया गया कोलैटरल उपलब्ध कराना होगा। सीसीआईएल हर सदस्य के लिए एक गिल्ट अकाउंट रखता है, जहाँ सरकारी सिक्योरिटीज को सदस्य की निवल देनदारियों के अनुसार क्रेडिट या डेबिट किया जाता है। सदस्यों को अपने ऋण के लिए शुरुआती मार्जिन भी बनाए रखना होगा, और यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पर्याप्त मात्रा में उचित कोलैटरल रखकर अपनी उधार लेने की सीमाओं के भीतर रहें।

TREPS डीलिंग सिस्टम में ट्रेडिंग से संबंधित पक्षों का नाम उजागर नहीं किया जाता है और सीसीआईएल सभी सौदों के

सारणी 1: त्रिपक्षीय रेपो साधनों का विश्लेषण

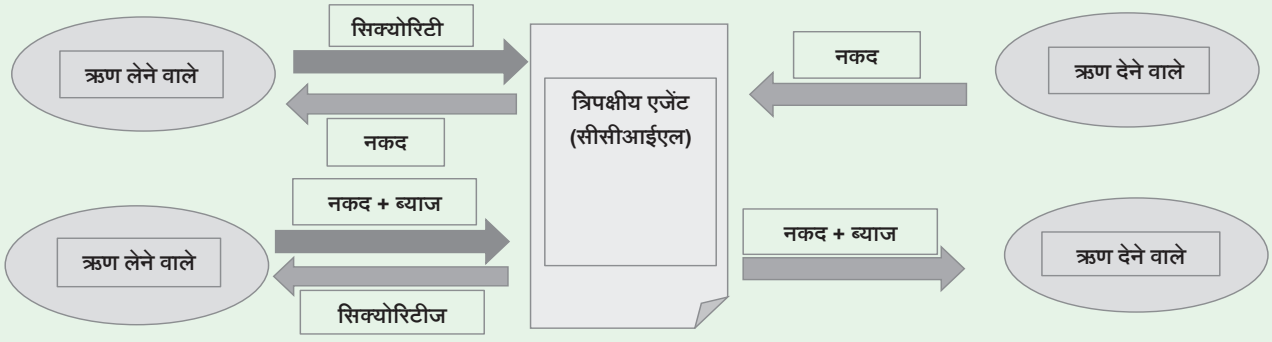

लिए केंद्रीय प्रतिपक्ष की भूमिका निभाता है। यह ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ-साथ सीसीआईएल /क्लियरकॉर्प की वेबसाइटों पर दरों तथा मात्राओं के बारे में वास्तविक समय की जानकारी उपलब्ध कराकर पारदर्शिता को भी बढ़ावा देता है।

2.3 क्लियरिंग और सेटलमेंट की प्रक्रिया

सीसीआईएल त्रि-पक्षीय एजेंट के साथ-साथ केंद्रीय प्रतिपक्ष (सीसीपी) की भूमिका भी निभाता है। केंद्रीय प्रतिपक्ष होने के नाते, यह त्रि-पक्षीय रेपो ट्रेड की क्लियरिंग और सेटलमेंट की प्रक्रिया के लिए भी जिम्मेदार है। त्रि-पक्षीय एजेंट के तौर पर, सीसीआईएल कोलैटरल के चयन, उसे संभालकर रखने, जोखिम के प्रबंधन और कॉर्पोरेट कार्रवाई जैसी सेवाएँ प्रदान करता है। नीचे दिए गए फ़्लोचार्ट में इस बाज़ार में ट्रेडिंग, कोलैटरल के प्रबंधन और क्लियरिंग एवं सेटलमेंट से लेकर लेन-देन के प्रवाह का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है (सारणी 2)।

2.4 जोखिम प्रबंधन

सीसीआईएल त्रि-पक्षीय रेपो सेगमेंट के तहत किए जाने वाले सभी ट्रेडों के सेटलमेंट की गारंटी देता है, इसलिए इसके जोखिम प्रबंधन का ढाँचा काफी विस्तृत और मजबूत है। यह ढाँचा ऑर्डर से पहले सत्यापन के आधार पर काम करता है, जहाँ किसी भी सदस्य द्वारा TREPS डीलिंग सिस्टम पर अपना ऑर्डर देने से पहले सभी जाँचें पूरी की जाती हैं। इससे सुनिश्चित होता है कि, योग्य सदस्य निर्धारित सीमाओं के भीतर ट्रेडिंग करें, जिससे चूक होने का जोखिम कम-से-कम हो।

त्रि-पक्षीय रेपो लेनदेन में सीसीआईएल का जोखिम मुख्य रूप से दो स्थितियों से उत्पन्न होता है:

ए. यह जोखिम कि, ऋणदाता सेटलमेंट के समय धन उपलब्ध कराने के अपने दायित्व को पूरा करने में विफल हो जाए।

बी. ऋण लेने वाले द्वारा ऋण चुकाने में चूक होने का जोखिम।

इन जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए, त्रि-पक्षीय रेपो बाज़ार में सभी प्रकार के उधार/ऋण पूरी तरह से कोलैटरल पर निर्भर होते हैं। इसके लिए, सीसीआईएल के पास सदस्यों के जमा सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर उनकी ऋण लेने की सीमा निर्धारित की जाती है। इन सिक्योरिटीज (कोलैटरल) में कटौती की जाती है और हर दिन उनका नए सिरे से मूल्य निर्धारण किया जाता है। अगर कोलैटरल का मूल्य घटता है, तो मार्जिन में हुई कमी को

सारणी 2: त्रि-पक्षीय रेपो इंस्ट्रूमेंट की क्लियरिंग और सेटलमेंट की प्रक्रिया

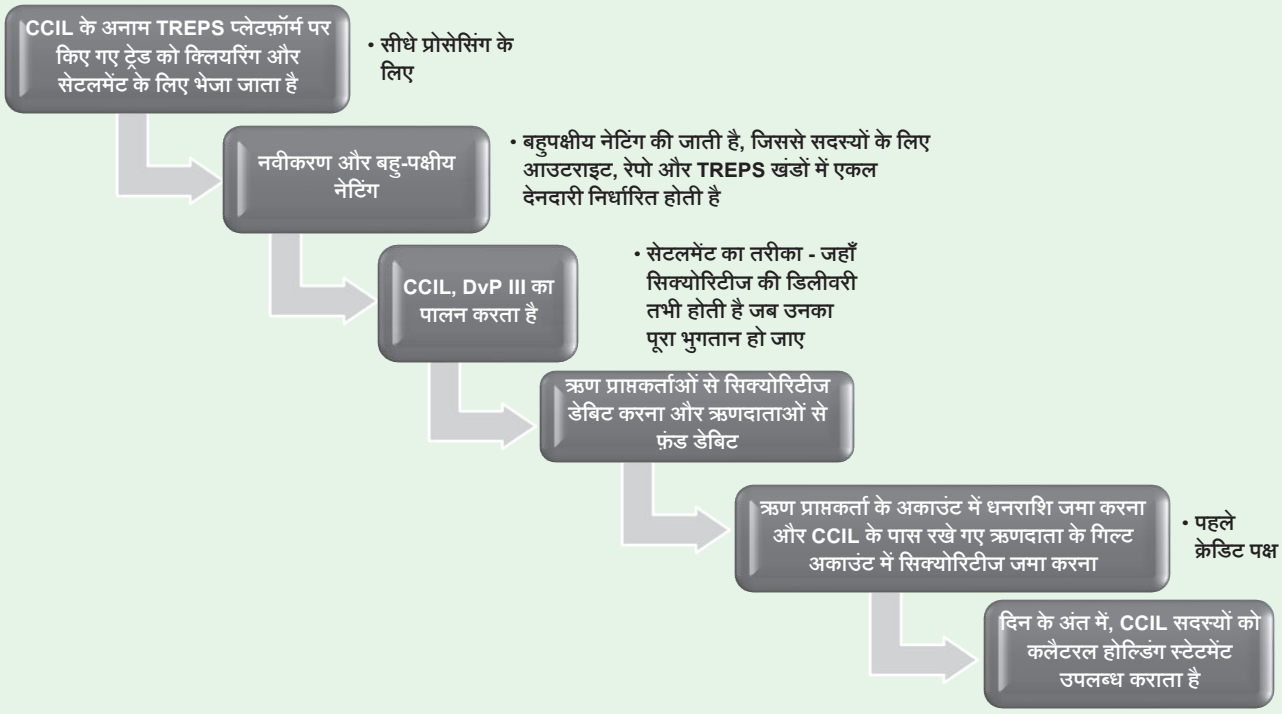

सदस्य द्वारा अगले कारोबारी दिन निर्धारित समय के भीतर त्रि-पक्षीय रेपो कोलैटरल में योगदान देकर पूरा करना आवश्यक है। विकल्प के तौर पर, सदस्य के लिए ट्रेडिंग की सीमाएं उसी के अनुसार कम कर दी जाती हैं।

एक संभावित जोखिम तब सामने आता है जब कोई सदस्य अपने सेटलमेंट से जुड़ी देनदारी को पूरा नहीं कर पाता है, फिर चाहे वह ऋणदाता के तौर पर फंड उपलब्ध न कराए या ऋण लेने वाले के तौर पर उधार नहीं चुकाए। इन जोखिमों को कम करने के लिए, सीसीआईएल अपने सदस्यों पर उनके ऋण लेने या ऋण देने के लिए प्रारंभिक मार्जिन और मार्क-टू-मार्केट (MTM) मार्जिन लगाता है।

किसी भी सौदे से जुड़ा जोखिम उसके सेटलमेंट की प्रक्रिया पूरी होने तक बना रहता है। इसलिए, लेन-देन का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा होने तक प्रारंभिक मार्जिन अपने पास रखा जाता है। इन नियमों का पालन न करने पर सीसीआईएल द्वारा जुर्माना लगाया जाता है।

2.5 प्रगति

वर्ष 2018 में लॉन्च के बाद से ही, त्रिपक्षीय रेपो (TREPS) बाज़ार ने शानदार प्रगति दर्ज की है और मुद्रा बाजार में एक बड़ी हिस्सेदारी हासिल कर ली है। स्थापना के समय, इसका प्रति दिन औसत कारोबार ₹1.33 लाख करोड़ का था, जो वित्त-वर्ष 2024-25 में बढ़कर ₹3.43 लाख करोड़ हो गया है। इस शानदार प्रगति से TREPS की बढ़ती लोकप्रियता के साथ-साथ यह भी जाहिर होता है कि इसे बड़े पैमाने पर स्वीकार किया गया है, जिससे बाज़ार का भी विस्तार हुआ है। यह विस्तार, इसकी सुरक्षित प्रकृति के कारण चलनिधि प्रबंधन और कोलैटरल पर आधारित ऋण के लिए TREPS पर बाज़ार प्रतिभागियों की बढ़ती निर्भरता को भी दर्शाता है। सीसीआईएल द्वारा स्थापित मजबूत क्लियरिंग और सेटलमेंट फ्रेमवर्क के साथ-साथ उन सभी गैर-बैंक सदस्यों की सक्रिय भागीदारी भी इस प्रगति का सबसे बड़ा कारण है, जो TREPS बाज़ार की मात्रा में सबसे अहम योगदान देने वाले बन गए हैं।

सारणी 4 में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि, TREPS ने ट्रेडिंग की मात्रा के मामले में सभी मुद्रा बाज़ार के ट्रेड में लगभग 70% की सबसे बड़ी बाज़ार हिस्सेदारी लगातार बनाए रखी है।

सारणी 3: पिछले कुछ वर्षों में TREPS वॉल्यूम की प्रवृत्ति

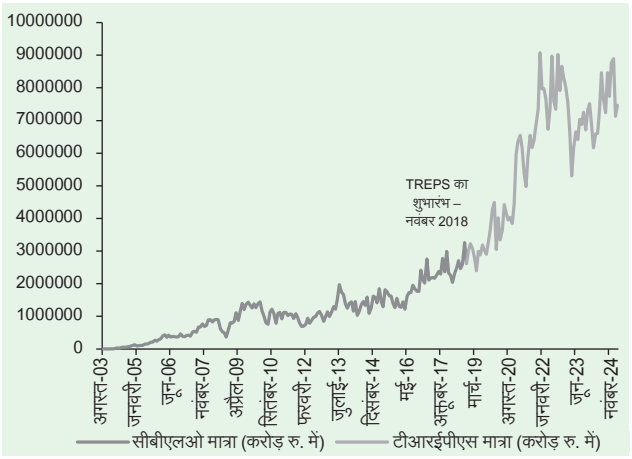

सारणी 4: मुद्रा बाज़ार में हिस्सेदारी (%))

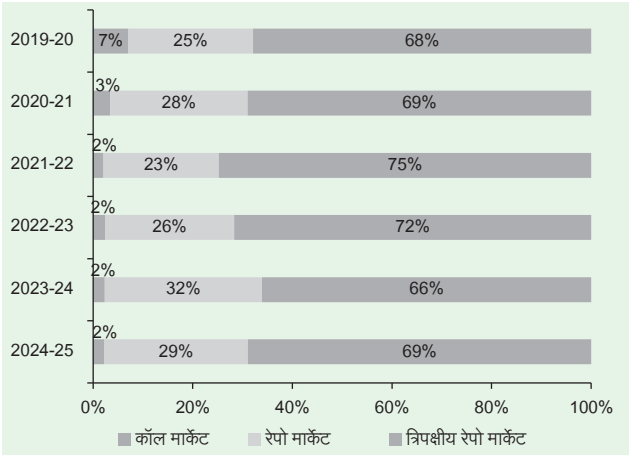

इस प्रगति से जाहिर होता है कि, TREPS को चलनिधि प्रबंधन के सबसे पसंदीदा साधन के रूप में बड़े पैमाने पर स्वीकार किया गया है, जो बाज़ार प्रतिभागियों के विश्वास और निर्भरता को दर्शाती है। मुद्रा बाजार का कोलैटरल पर आधारित यह खंड (रेपो + TREPS) लगातार हावी रहा है और 2021-22 से कुल ओवरनाइट मुद्रा बाजार गतिविधि में इसकी हिस्सेदारी लगभग 98% हिस्सा बनी हुई है।

2.6 बाजार में भागीदारी (ऋण देने वाले और ऋण लेने वाले पक्ष)

TREPS बाज़ार में भागीदारी सिर्फ बैंकों तक ही सीमित नहीं है; बल्कि गैर-बैंक प्रतिभागियों का एक बड़ा वर्ग भी TREPS में सक्रिय रूप से भाग लेता है और क्लियरिंग तथा सेटलमेंट सेवाओं

सारणी 5: ऋण लेने वाले पक्ष का प्रतिभागीवार विवरण

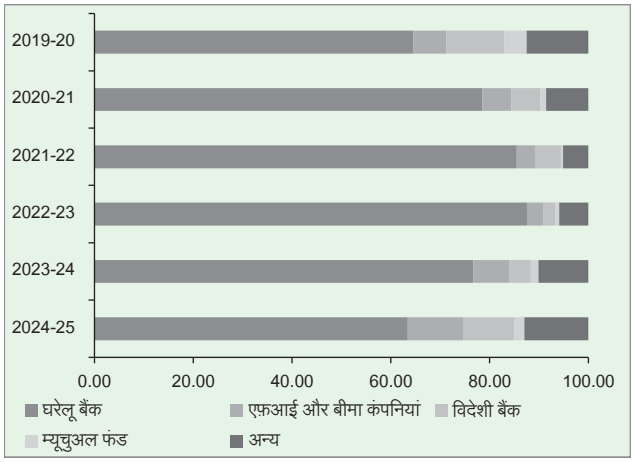

सारणी 6: ऋण देने वाले पक्ष का प्रतिभागीवार विवरण

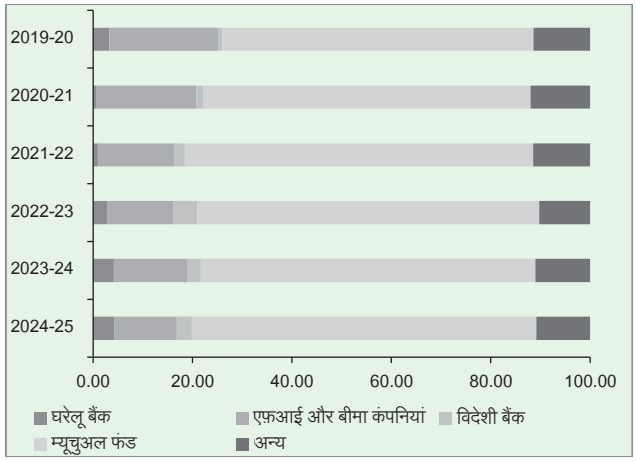

का लाभ उठाता है। रेपो के लिए योग्य सभी संस्थाएँ त्रि-पक्षीय रेपो बाज़ार में भाग ले सकती हैं। इन संस्थाओं में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, सहकारी बैंक, वित्तीय संस्थाएँ, बीमा कंपनियाँ, म्यूचुअल फंड, प्राथमिक डीलर, बैंक-सह-प्राथमिक डीलर, एनबीएफ़सी, कॉर्पोरेट्स, भविष्य निधि/पेंशन फंड, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और इसी तरह के अन्य संस्थान शामिल हैं।

समय के साथ, बदलती आर्थिक स्थितियों, नियामक क्षेत्र में विकास और बाज़ार के रवैये में बदलाव के कारण TREPS बाज़ार में भागीदारी में परिवर्तन आया है। घरेलू बैंक ऋण लेने के मामले में प्रमुख भागीदार बनकर उभरे हैं, जो चलनिधि प्रबंधन के लिए TREPS पर उनकी बढ़ती निर्भरता (सारणी 5) को दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर, म्यूचुअल फंड TREPS बाज़ार के ऋण देने वाले पक्ष के तौर पर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। बीते पाँच सालों के दौरान, कुल TREPS ऋण में म्यूचुअल फंड का योगदान लगातार 60% से अधिक हिस्सा रहा है, जो चलनिधि प्रदान करने और बाज़ार के सबसे अहम घटक के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है।

3. निष्कर्ष

त्रिपक्षीय रेपो बाज़ार की शुरुआत के बाद से भारत के मुद्रा बाजार में एक बड़ा बदलाव आया है, और अब यह इस सेगमेंट में सबसे महत्वपूर्ण साधन बन गया है। इसकी तेज़ और बड़े पैमाने पर लगातार बढ़ रही स्वीकार्यता, अलग-अलग तरह के प्रतिभागियों को शामिल करने की इसकी क्षमता, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म द्वारा नाम उजागर किए बिना ट्रेडिंग की पेशकश करने की कुशलता, और सीसीआईएल द्वारा सभी TREPS लेनदेन के लिए सीसीपी की भूमिका निभाते हुए क्लियरिंग और सेटलमेंट के लिए दी जाने वाली गारंटी के साथ-साथ एक त्रि-पक्षीय एजेंट के रूप में कोलैटरल को संभालकर रखने में इसकी भूमिका को भी दर्शाती है।

भारतीय मुद्रा बाज़ार ने कोलैटरल पर आधारित मुद्रा बाज़ार के इंस्ट्रूमेंट्स की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा है। इससे भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को मौजूदा MIBOR फ्रेमवर्क पर नए सिरे से विचार करना पड़ा है, जो बिना कोलैटरल वाले असुरक्षित बाज़ार पर आधारित है। CROMS प्लेटफॉर्म पर ट्रेड किए गए बास्केट रेपो लेनदेन और TREPS प्लेटफॉर्म पर किए गए त्रिपक्षीय रेपो लेनदेन का उपयोग करके प्रतिभूत ओवरनाइट रुपी रेट (एसओआरआर) में प्रस्तावित परिवर्तन, वित्तीय बाजारों के लिए एक अधिक प्रतिनिधित्व वाला और भरोसेमंद बेंचमार्क उपलब्ध कराएगा।

TREPS बाज़ार ने बाज़ार को और ज्यादा कुशल बनाने, अस्थिरता को कम करने तथा कोलैटरल पर आधारित ऋण लेने तथा ऋण देने के लिए एक स्थिर मंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भविष्य की ओर देखें, तो अर्थव्यवस्था का बढ़ता आकार, वित्तीय बाजारों की बढ़ती गहराई, तथा बाजार प्रतिभागियों की संख्या में बढ़ोतरी की वजह से, भारतीय त्रिपक्षीय रेपो बाजार के आगे के विस्तार और विकास की असीमित संभावनाएँ मौजूद हैं।

रेग्युलेटर की नज़र से

- ब्रिज राज

अवयस्कों (नाबालिग) का जमा खाता खोलना और उनका परिचालन करना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 21 अप्रैल 2025 को सभी वाणिज्यिक बैंकों, सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों एवं सभी राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को उक्त विषय पर दिशा निर्देश जारी किया। दिशा निर्देश के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पहले भी बैंकों को अवयस्कों के जमा खाते खोलने और उनके परिचालन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए थे। इस संदर्भ में, मौजूदा दिशानिर्देशों को तर्कसंगत और सुसंगत बनाने के उद्देश्य से उनकी समीक्षा की गई जिसके आधार पर, अवयस्कों के जमा खाते खोलने और परिचालन संबंधी संशोधित अनुदेश नीचे दिए गए हैं:

i) किसी भी आयु के अवयस्कों को अपने प्राकृतिक अथवा कानूनी अभिभावक के माध्यम से बचत और सावधि जमा खाते खोलने और परिचालित करने की अनुमति दी जा सकती है। उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 29 दिसंबर 1976 के परिपत्र डीबीओडी.एलईजी. बीसी.158/सी.90(एच)-76 के अनुसार अभिभावक के रूप में माता के साथ ऐसे खाते खोलने की अनुमति भी दी जा सकती है।

ii) कम से कम 10 वर्ष की आयु सीमा से अधिक तथा बैंकों द्वारा अपनी जोखिम प्रबंधन नीति को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई राशि और शर्तों के अनुसार अवयस्कों को, यदि वे चाहें तो, स्वतंत्र रूप से बचत/सावधि जमा खाते खोलने और परिचालित करने की अनुमति दी जा सकती है, और ऐसी शर्तों की जानकारी खाताधारक को दी जाएगी।

iii) वयस्क होने पर, खाताधारक के नए परिचालन अनुदेश और नमूना हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे तथा उन्हें रिकार्ड में रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि खाता अभिभावक द्वारा संचालित किया जाता है, तो शेष राशि की पुष्टि की जाएगी। बैंकों को इन अपेक्षाओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वयस्कता आयु प्राप्त करने वाले नाबालिग खाताधारकों को इन आवश्यकताओं के बारे में सूचित करने सहित अग्रिम कार्रवाई करनी होगी।

iv) बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन नीति, उत्पाद अनुकूलता और ग्राहक उपयुक्तता के आधार पर अवयस्क खाताधारकों को इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम/डेबिट कार्ड, चेक बुक सुविधा आदि जैसी अतिरिक्त बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं।

v) बैंकों को सुनिश्चित करना होगा कि अवयस्कों के खातों में, चाहे वे स्वतंत्र रूप से परिचालित हों अथवा अभिभावक के माध्यम से, जमाराशि से अधिक आहरित नहीं की जाए तथा उनमें हमेशा जमाराशि शेष बना रहे।

vi) बैंकों को अवयस्कों के जमा खाते खोलने के लिए एवं अविरत समुचित सावधानी बरतने हेतु अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निदेश, 2016 पर दिनांक 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश, (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार समुचित सावधानी बरतनी होगी।

उपर्युक्त दिशानिर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए और 56 के अंतर्गत जारी किए गए हैं। साथ ही बैंकों को

ब्रिज राज
मुख्य महाप्रबंधक, संचार विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

सूचित किया गया कि इन दिशानिर्देशों के अनुरूप नई नीतियां बनाएं और / अथवा मौजूदा नीतियों में संशोधन कर 01 जुलाई 2025 तक लागू करें।

'.bank.in' डोमेन पर स्थानांतरण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 अप्रैल 2025 को सभी वाणिज्यिक बैंकों, सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों एवं सभी राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को उक्त विषय पर दिशा निर्देश जारी किया। दिशा निर्देश में 7 फरवरी 2025 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ दिया गया जिसमे 'bank.in' और 'fin.in' डोमेन के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र में विश्वास बढ़ाने की घोषणा की गई थी। इस पहल का उद्देश्य साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना और डिजिटल बैंकिंग और भुगतान प्रणालियों में जनता का विश्वास बढ़ाना है।

दिशा निर्देश के अनुसार बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) के माध्यम से बैंकों के लिए '.bank.in' डोमेन को क्रियान्वित किया जाएगा। साथ ही, आईडीआरबीटी को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के तत्वावधान में भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज (एनआईएक्सआई) द्वारा '.bank.in' डोमेन के लिए विशिष्ट रजिस्ट्रार के रूप में अधिकृत किया गया है।

साथ ही, सभी बैंकों को अपने मौजूदा डोमेन को '.bank.in' डोमेन में 31 अक्टूबर 2025 तक स्थानांतरित करने के लिए कहा गया। आईडीआरबीटी बैंकों को आवेदन प्रक्रिया और नए डोमेन में स्थानांतरण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन प्रदान करेगा। विनियामक निर्देशों के अनुपालन में, भारत के अग्रणी बैंकों ने अपने डोमेन नाम को .bank.in डोमेन में स्थानांतरित कर दिया है।

प्रवाह के माध्यम से विनियामक प्राधिकरण / लाइसेंस / अनुमोदन का प्रसंस्करण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 अप्रैल 2025 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित), सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / केंद्रीय सहकारी बैंक, सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित) सभी प्राथमिक डीलर, सभी गैर-बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटर एवेम सभी क्रेडिट सूचना कंपनियाँ को उक्त विषय पर दिशा निर्देश जारी किया।

दिशा निर्देश के अनुसार 28 मई, 2024 को, रिज़र्व बैंक ने किसी भी संस्था या व्यक्ति द्वारा रिज़र्व बैंक को किए गए किसी भी संदर्भ पर प्राधिकरण, लाइसेंस या नियामक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षित और केंद्रीकृत वेब-आधारित पोर्टल के रूप में प्रवाह (विनियामक आवेदन, मान्यता, और प्राधिकृति के लिए प्लेटफ़ॉर्म) लॉन्च किया था।

साथ ही, भारतीय रिज़र्व बैंक के 11 अप्रैल 2025 के प्रेस प्रकाशनी कि घोषणा के अनुसार 01 मई, 2025 से, विनियमित संस्थाओं को पोर्टल में उपलब्ध आवेदन प्रपत्रों का उपयोग करके रिज़र्व बैंक को नियामक प्राधिकरण, लाइसेंस, अनुमोदन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्रवाह का उपयोग करना चाहिए।

इस संदर्भ में सभी विनियमित संस्थाओं को उपरोक्त निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई। पोर्टल तक पहुँचने, आवेदन जमा करने और ट्रैकिंग आदि से संबंधित निर्देश पोर्टल पर उपलब्ध किए गए हैं। इसके अलावा, उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए, उपयोगकर्ता मैनुअल, एफ़एक्यू और वीडियो भी पोर्टल पर उपलब्ध हैं। प्रवाह पोर्टल को https://pravaah.rbi.org.in के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

नागरिक चार्टर के तहत प्राप्त आवेदनों का प्रसंस्करण - 31 अक्टूबर, 2025 तक की स्थिति पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 नवंबर 2025 को प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसके अनुससर अक्तूबर माह में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कुल मिलाकर 20,578 आवेदनों पर कार्रवाई की गई।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण मानदंडों की समीक्षा - लघु वित्त बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 20 जून 2025 को सभी लघु वित्त बैंकों को उक्त विषय पर दिशा निर्देश जारी किए। दिशा निर्देश के अनुससर, दिनांक 27 नवंबर 2014 के 'निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के लाइसेंस के लिए दिशा निर्देश' और 05 दिसंबर 2019 को रिज़र्व

बैंक द्वारा जारी 'निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के 'ऑन-टैप' ('on-tap') लाइसेंस के लिए दिशा निर्देश' देखें। उपर्युक्त लाइसेंसिंग दिशा निर्देशों के पैरा ग्राफ II (9) के अनुसार, लघु वित्त बैंक (एसएफबी) को अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 75 प्रतिशत रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमि कता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) के रूप में वर्गी करण के लिए पात्र क्षेत्रों को देना आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, जबकि बैंक को अपने एएनबीसी का 40 प्रति शत मौजूदा पीएसएल नियमों के अनुसार पीएसएल के तहत विभिन्न उप-क्षेत्रों को आवंटित करना चाहिए, बैंक शेष 35 प्रतिशत को पीएसएल के तहत किसी एक अथवा अधि क उप-क्षेत्रों को आवंटित कर सकता है, जहां उसे प्रति स्पर्धा त्मक लाभ हो।

इस संदर्भ में, समीक्षा के उपरांत, यह निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 से पीएसएल के अतिरिक्त घटक (35 प्रतिशत) को घटा कर 20 प्रतिशत कर दिया जा एगा, जिससे समग्र पीएसएल लक्ष्य एएनबीसी अथवा तुलन-पत्रेतर एक्सपो जर (सीईओबीई) के समतुल्य क्रेडिट का 60 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, हो जा एगा। एसएफबी अपने एएनबी सी अथवा सी ईओबीई का 40 प्रतिशत में से जोभी अधिक हो, मौजूदा पीएसएल नियमों के अनुसार पीएसएल के तहत विभिन्न उप-क्षेत्रों को आवंटित करना जारी रखेगा, जबकि शेष 20 प्रतिशत पीएसएल के तहत किसी एक अथवा अधिक उप-क्षे त्रों को आवंटित किया जाएगा, जहां बैंक को प्रति स्पर्धात्मक लाभ है। ये अनुदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22(1) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।

आधार सक्षम भुगतान प्रणाली - एईपी एस टचपॉइंट ऑपरेटरों की समुचित सावधानी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 जून 2025 को आरआरबी सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को दिशा निर्देश जारी किया। इसके अनुसार, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा परिचालित एक भुगतान प्रणाली है जो आधार अधिप्रमाणन का उपयोग करके अंतर-परि चालनिय वित्तीय लेनदेन की सुविधा प्रदान करती है। वित्तीय समावेशन को सक्षम करने में आधार सक्षम भुगतान प्रणाली एक प्रमुख भूमिका निभाता है।

हाल के दिनों में, पहचान की चोरी या ग्राहक क्रेडेंशियल्स के साथ अनाधिकृत पहुँच के कारण एईपीएस के माध्यम से धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। बैंक ग्राहकों को इस तरह की धोखा धड़ी से बचाने और सिस्टम की सुरक्षा में भरोसा और विश्वास बनाए रखने के लिए, एईपीएस की सुदृढता को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस कीजा रही है।

तदनुसार, जैसा कि 08 फरवरी, 2024 को विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किया गया है, एईपीएस टचप्वाइंट ऑपरेटरों को शामिल करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए निर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया था। विस्तृत निर्देश उक्त दिशा निर्देश के अनुलग्नक में दिए गए हैं। ये निदेश भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) के तहत जारी किए गए हैं और यह 01 जनवरी, 2026 से लागू होंगे।

भारतीय रुपये (INR) में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का निपटान

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 05 अगस्त 2025 को सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को उक्त विषय पर दिशा निर्देश जारी किए। दिशा निर्देश के अनुसार, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों (एडी) का ध्यान दिनांक 11 जुलाई 2022 के ए.पी. (डी. आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं.10 के पैरा 10 की ओर आकृष्ट किया जाता है।

इस विषय पर समीक्षा के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमोदन लिए बिना पारदेशी य प्रतिनिधि बैंकों के विशेष रुपया वास्ट्रो खाते (एसआरवीए) खोलने की अनुमति दी जाए। उपरोक्त निर्देश अधिसूचना की तारीख से लागू हो गए हैं। साथ ही, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत करने के लिए निर्देश दिया गया हैं।

घूमता आईना
(राष्ट्रीय खंड)

- डॉ. करुणेश तिवारी

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने पूरा किया एक दशक का सफर

औपचारिक वित्तपोषण से वंचित देश के सूक्ष्म और मँझोले उद्यमों को बिना जमानत के ऋण सुविधा मुहैया कराते हुए सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों का वित्तीय समावेशन कराकर उनकी सहायता करने की महत्वाकांक्षी पहल के रूप में 08 अप्रैल 2015 को PMMY यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ किया गया था ताकि समावेशी विकास के मॉडल को साकार किया जा सके।

इस योजना के तहत मिलने वाले ऋण को मुद्रा ऋण कहा गया जिसे किसी भी वाणिज्यिक बैंक, सूक्ष्म वित्त संस्थान और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से प्राप्त किया जा सकता है। उधार लेने के इच्छुक उद्यमी *उद्यमी मित्र पोर्टल* पर जाकर मुद्रा ऋणों के लिए आवेदन कर सकते हैं। मुद्रा (MUDRA) का आशय है *सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी लिमिटेड* जिसका कार्य है अपने मध्यस्थों यथा- बैंकों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को पुनर्वित्त प्रदान करना। स्पष्ट है कि मुद्रा एक पुनर्वित्त एजेंसी है, न कि सीधे उधार देने वाला कोई संस्थान। मुद्रा का एक अन्य कार्य है वेब पोर्टल पर पीएमएमवाई डेटा का प्रबंधन। साथ ही, यह इस योजना के तहत दिए जाने वाले ऋणों के लिए गारंटी की सुविधा भी प्रदान करता है।

इस योजना के तहत दिए जाने वाले ऋणों की कई श्रेणियाँ हैं। जैसे- **शिशु** जिसमें ₹50,000 तक के ऋण दिए जाते हैं। इसी प्रकार **किशोर** श्रेणी में ₹50,000 से अधिक और ₹5,00,000 तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, **तरुण** श्रेणी में ₹5,00,000 से अधिक और ₹10,00,000 तक के ऋण दिए जाते हैं और ₹10,00,000 से अधिक और ₹20,00,000 तक के ऋण **तरुण प्लस** श्रेणी के तहत दिए जाते हैं जो कि ऐसे उद्यमियों के लिए है जिन्होंने तरुण श्रेणी के तहत पहले ऋण सुविधा ली हो और उसकी चुकौती सफलतापूर्वक कर दी हो। मुद्रा योजना की विशेषताओं की बात करें तो सर्वप्रथम इसमें ऋण के बदले कोई संपार्श्विक या जमानत नहीं रखनी होती। इसकी ब्याज दरें विनियमित नहीं होतीं और इसमें **शिशु** श्रेणी से लेकर **तरुण** श्रेणी तक ऋण सुविधा क्रमवार प्रदान की जाती है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की अब तक की उपलब्धियों पर नज़र डालें तो पाते हैं कि इस योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 20% ऋण ऐसे उद्यमियों को दिए गए हैं जिन्होंने पहली बार कोई उद्यम प्रारंभ किया है। मुद्रा योजना के तहत दिए गए ऋणों के आँकड़े बताते हैं कि कुल मुद्रा ऋणों में **किशोर** श्रेणी के ऋणों का प्रतिशत वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 44.7% हो गया जो वित्त वर्ष 2015-16 में 5.9% हुआ करता था। यह इस तथ्य का परिचायक है कि देश में सूक्ष्म उद्यम विकसित होकर लघु उद्यम का रूप ले रहे हैं। तरुण श्रेणी के तहत ऋणों में भी वृद्धि दर्ज की गयी है जो दर्शाती है कि मुद्रा योजना उद्यमियों को केवल व्यवसाय प्रारंभ करने में ही सहायक नहीं है, अपितु व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए भी आवश्यक वित्त प्रदान कर रही है। रिपोर्टें बताती हैं कि इस योजना ने देश की आर्थिक विकास-यात्रा में जो क्षेत्रीय असमानता थी, उसे भी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पूर्वोत्तर के राज्यों के उद्यमियों को इससे काफी लाभ हुआ है। वित्तीय समावेशन, विशेषकर महिला उद्यमियों के वित्तपोषण, को इस योजना के कारण बहुत बल मिला है। देश के आर्थिक विकास से जुड़ी कई अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं यथा- मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय शहरी/ग्रामीण आजीविका मिशनों आदि के लक्ष्यों की पूर्ति में भी यह योजना सहायक सिद्ध हुई है। इससे जहाँ रोजगार सृजन हो रहा है, स्वरोजगार बढ़ा है, वहीं भारत की आधारभूत अर्थव्यवस्था में भी सुदृढ़ता आ रही है।

डॉ. करुणेश तिवारी
सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल

एक राज्य, एक आरआरबी

भारत सरकार के वित्तीय सेवाएं विभाग ने 'वन स्टेट वन आरआरबी' के सिद्धांत पर चलते हुए हाल ही में 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के समामेलन की अधिसूचना जारी की है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ऐसा किया गया है। वस्तुत: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का यह चौथा समामेलन है। इसके उपरान्त अब कुल मिलाकर 28 आरआरबी रह गए हैं जो देश के 26 राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों में व्यवसायरत हैं। पहले यह संख्या 43 थी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना नरसिंघम कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर 1975 में की गयी थी। इन बैंकों में भारत सरकार की हिस्सेदारी 50%, संबंधित राज्य सरकार की हिस्सेदारी 15% और प्रायोजक वाणिज्यिक बैंक की हिस्सेदारी 35% होती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का विनियमन आरबीआई द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत किया जाता है और इनके पर्यवेक्षण का कार्य राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा किया जाता है।

आरआरबी को अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) अथवा तुलनपत्रेतर जोखिम के समतुल्य राशि अर्थात (सीईओबीई), जो भी अधिक हो, की 75% राशि का आवंटन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के लिए करना होता है। इसके अलावा इन्हें आरबीआई मानदंडों के अनुसार जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात 9% रखना आवश्यक होता है।

'एक राज्य एक आरआरबी' के लाभों की बात करें तो सर्वप्रथम इसका लक्ष्य है कारोबार वृद्धि को गति प्रदान करना। इसके अलावा, इससे पूंजी आधार को विस्तार मिलेगा और इसके परिणामस्वरूप आरबीआई द्वारा तय किए गए पूंजी पर्याप्तता मानदंडो का पालन किया जा सकेगा, कारोबारी दक्षता बढ़ेगी एवं अनुपालन के संबंध में जो अपेक्षाएं आरआरबी से की जाती हैं, उनका पालन भी बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। इससे ऋण प्रदान करने की क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि आएगी। पूंजी आधार बढ़ने से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बेहतर प्रौद्योगिकी और आधारभूत संरचनाओं का लाभ लेते हुए अपनी डिजिटल पहुँच बढ़ा सकेंगे और सरकार की योजनाओं के साथ अपने नवोन्मेषी उत्पादों को संरेखित कर पाएंगे। उनमें प्रतिस्पर्धात्मकता भी बढ़ेगी। परिचालनगत दक्षता अधिक होगी। परन्तु 'एक राज्य एक आरआरबी' के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए यह आवश्यक है कि मानव संसाधन नीतियों को कारोबार के अनुकूल बनाया जाए डिजिटल प्रणालियों का एकीकरण किया जाए और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अपने बैंकिंग उत्पादों को तैयार किया जाए। अनर्जक आस्तियों की वसूली की प्रक्रिया को सशक्त बनाया जाए। निगरानी प्रणाली को चुस्त बनाया जाए और आवधिक वित्तीय समीक्षा सुनिश्चित की जाए।

'एलसीआर' पर रिज़र्व बैंक के नए दिशानिर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने चलनिधि कवरेज अनुपात *अर्थात* एलसीआर से संबंधित दिशानिर्देशों में परिवर्तन करते हुए कहा है कि बैंको को अपनी खुदरा जमाराशियों पर *रन-ऑफ़ फैक्टर* कम करने की आवश्यकता है। *रन-ऑफ़ फैक्टर* से तात्पर्य है जमाराशियों का वह प्रतिशत जिसे तनावपूर्ण स्थितियों में जमाकर्ता द्वारा आहरित किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि एलसीआर उच्च गुणवत्तायुक्त चल आस्तियों (एचक्यूएलए) की वह राशि होती है जिसे वित्तीय संस्थानों को अपने पास रखना होता है ताकि बाजार में उथल-पुथल वाली स्थिति में बैंक अपनी अल्पकालिक देनदारियों को पूरा कर सकें। स्पष्ट है कि यदि एलसीआर का प्रतिशत अधिक होगा तो बैंको को अपनी उच्च गुणवत्तायुक्त चल आस्तियों का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रोककर रखना पड़ेगा जिससे प्रणाली में मुद्रा की आपूर्ति कम होगी।

भुगतान विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत भुगतान विनियामक बोर्ड विनियमन, 2025 की अधिसूचना जारी की है। यह नया विनियमन वर्ष 2008 के भुगतान और निपटान प्रणाली विनियामक बोर्ड विनियमन, 2008 का स्थान लेगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर इस भुगतान विनियामक बोर्ड के अध्यक्ष होंगे तथा भुगतान प्रणाली के प्रभारी उप गवर्नर एवं आरबीआई द्वारा नामित एक अधिकारी इस बोर्ड के पदेन सदस्य होंगे। इनके अतिरिक्त, बोर्ड में केंद्र सरकार द्वारा नामित तीन सदस्य होंगे। इस बात का प्रावधान भी किया गया है कि बोर्ड में भुगतान प्रणाली, आईटी, साइबर सुरक्षा, विधि आदि क्षेत्रों से विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जा सकेगा। सरकार द्वारा नामित सदस्यों का कार्यकाल 04 वर्ष का होगा और इनका नामांकन दोबारा नहीं किया जा सकेगा। बोर्ड की कम से कम दो बैठकें प्रतिवर्ष की जाएंगी। प्रत्येक बैठक में अध्यक्ष अथवा उप गवर्नर सहित कम से कम तीन सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। बोर्ड अपने निर्णय बहुमत के आधार पर ले सकेगा। यदि टाई की

स्थिति आती है तो अध्यक्ष के पास निर्णायक वोट देने का अधिकार होगा।

बेहतर सेवाएँ प्रदान करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रतिबद्धता

भारतीय रिज़र्व बैंक अपने विनियमन के अधीन संस्थाओं और देश के नागरिकों को विभिन्न वित्तीय सेवाएँ प्रदान करता है। बैंक द्वारा इन सेवाओं को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था- विनियामक अनुमोदन संबंधी सेवाएँ (कुल 133) और नागरिक चार्टर में शामिल सेवाएँ (कुल 58)।

एक उत्कृष्ट सेवाप्रदाता के रूप में अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए देश के केंद्रीय बैंक द्वारा दी जा रही सेवाओं की सुलभता, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता में सुधार के लिए इन सेवाओं की व्यापक समीक्षा की गई है। इनके तहत निर्धारित समय-सीमा को अधिक युक्तिसंगत बनाते हुए 11 प्रकार की सेवाएँ प्राप्त करने में लगने वाले समय को कम किया गया है। कई नयी सेवाएँ जोड़ी गई हैं। अब विनियमित संस्थाओं और नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं को नागरिक चार्टर के अंतर्गत समाहित कर दिया गया है जिससे नागरिक चार्टर में कुल 204 सेवाएँ शामिल हो गयी हैं। नागरिक चार्टर के अंतर्गत सेवाओं के लिए आवेदन/ अनुरोध जिन प्रणालियों के माध्यम से स्वीकार किए जा रहे हैं, वे हैं – प्रवाह (180 सेवाएँ), काउंटर पर/ ऑफलाइन फॉर्म (14 सेवाएँ) और अन्य ऑनलाइन प्लैटफॉर्म (10 सेवाएँ)। संशोधित नागरिक चार्टर 1 जुलाई 2025 से प्रभावी है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जारी किया मार्च 2025 का डिजिटल भुगतान सूचकांक

भारतीय रिज़र्व बैंक देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण की स्थिति का आकलन करने के लिए मार्च 2018 को आधार वर्ष मानकर 1 जनवरी 2021 से डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) प्रकाशित कर रहा है। यह सूचकांक सितंबर 2024 के 465.33 की तुलना में मार्च 2025 में बढ़कर 493.22 हो गया। यह इस बात का परिचायक है कि भुगतान अवसंरचना में देशव्यापी सुधार हुआ है एवं आपूर्ति पक्ष कारक और भुगतान निपटान जैसे मापदंडों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

मार्च 2025 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जुलाई 2025 में वित्तीय समावेशन (एफआई) सूचकांक जारी किया। मार्च 2025 के लिए एफ़आई-सूचकांक वृद्धि दर्ज करते हुए 67.0 हो गया है जबकि मार्च 2024 के लिए यह 64.2 था। उल्लेखनीय है कि यह वृद्धि सभी उप-सूचकांकों- वित्तीय सेवाओं तक पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता - में देखी गई है। यह इस बात की परिचायक है कि वित्तीय साक्षरता की दिशा में की जा रही निरंतर पहलों के परिणामस्वरूप वित्तीय समावेशन अधिक गहन हुआ है। वर्ष 2021 की तुलना में देखें तो एफआई सूचकांक में अब तक लगभग 24.3% की वृद्धि दर्ज की गयी है।

सुश्री अनुराधा ठाकुर रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में नामित

भारत सरकार ने सुश्री अनुराधा ठाकुर, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में श्री अजय सेठ के स्थान पर निदेशक के रूप में नामित किया है। सुश्री अनुराधा ठाकुर का नामांकन 24 जुलाई 2025 से और अगले आदेश तक प्रभावी है।

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड अब बनेगा यूनिवर्सल बैंक

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (एयूएसएफबी) के लघु वित्त बैंक (एसएफबी) से सार्वभौमिक (यूनीवर्सल) बैंक की श्रेणी में परिवर्तन हेतु 'सैद्धांतिक' मंजूरी रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान कर दी गई है।

दिनांक 27 नवंबर 2014 को 'निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों को लाइसेंस जारी करने के लिए दिशानिर्देश' आए थे जिनके तहत लघु वित्त बैंकों को सार्वभौमिक बैंकों में परिवर्तित करने के लिए एक संक्रमण पथ निर्दिष्ट किया गया था। कालांतर में, 'लघु वित्त बैंकों का सार्वभौमिक बैंकों में स्वैच्छिक परिवर्तन' विषय पर 26 अप्रैल 2024 को जारी परिपत्र में इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए थे। यदि कोई लघु वित्त बैंक न्यूनतम पाँच वर्षों की अवधि तक कार्यनिष्पादन का संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड रखता है और वह सार्वभौमिक बैंकों पर लागू न्यूनतम चुकता पूँजी/ निवल मालियत से जुड़ी अपेक्षाओं को पूरा करता है तो भारतीय रिज़र्व बैंक समुचित जाँच करते हुए उसे सार्वभौमिक बैंक का लाइसेंस प्रदान कर सकता है।

भारतीय रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण की ओर एक ठोस कदम

दिनांक 08 अगस्त 2025 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'भारतीय रुपये (आईएनआर) में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का निपटान' विषय पर एक परिपत्र जारी करते हुए प्राधिकृत बैंकों को तत्काल प्रभाव से यह अनुमति प्रदान कर दी कि वे अपने पारदेशीय प्रतिनिधि बैंकों के विशेष रुपया वॉस्ट्रो खाते (एसआरवीए) खोल सकते हैं। इसके लिए उन्हें रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता अब नहीं होगी।

घूमता आईना
(अंतरराष्ट्रीय खंड)

- डॉ गौतम प्रकाश

(1) कंबोडिया-थाइलैंड सीमा मुठभेड़ और केंद्रीय बैंकों के द्वारा उठाए कदम

24 से 28 जुलाई तक कंबोडिया और थाइलैंड के बीच सीमावर्ती क्षेत्र का एक विवाद सशस्त्र मुठभेड़ में परिवर्तित हो गया। वहाँ रहने वाले लोगों को बहुत क्षति उठानी पड़ी। तकरीबन 38 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 30 लाख लोग पलायन करने पर बाध्य हुए। करीब 12 लाख कंबोडियाई थाइलैंड में रोजगार करते हैं। तनाव बढ़ता देख कइयों को अपने देश भागना पड़ा। लेकिन दोनों ही देशों के केंद्रीय बैंकों ने लोगों के ऊपर आई विपत्ति की मार को कम करने का प्रयास किया। बैंक ऑफ थाइलैंड ने मुठभेड़ होने के अगले ही दिन यह आदेश दिया कि वित्तीय संस्थाएँ क्रेडिट कार्ड पर न्यूनतम चुकता करने वाली रकम को घटा दें और आपातकालीन ऋण सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराएं। उधर, कंबोडिया राष्ट्रीय बैंक ने युद्ध-विराम की घोषणा के बाद अपने आदेश जारी किए। वित्तीय संस्थाओं से कहा गया कि वे युद्ध-ग्रस्त लोगों से 31 अक्तूबर तक ऋण के लिए ब्याज या मूलधन की किस्त माफ कर दें। सैनिकों को यह सुविधा 31 जनवरी 2026 तक दी गई। वीरगति को प्राप्त सैनिकों के परिवारों को 8 करोड़ रीयल तक तथा घायल सैनिकों को ₹1 करोड़ रीयल तक की कर्ज़माफ़ी दी गई।

डॉ गौतम प्रकाश
महाप्रबंधक, विनियमन विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

(2) केंद्रीय बैंकिंग के अनौपचारिक राजदूत कहे जाने वाले अर्थशास्त्री का निधन

मई 31 को सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री स्टेनली फिशर का देहांत हो गया। वे 81 साल के थे। जितना यश उन्होंने शिक्षण के क्षेत्र में अर्जित किया, उतना ही केंद्रीय बैंकिंग में भी किया। इसीलिए जानकार उन्हें केंद्रीय बैंकिंग का अनौपचारिक राजदूत मानते हैं। उनका जन्म 1943 में उत्तरी रोडेशिया (आज के ज़ाम्बिया) के एक गाँव में हुआ था जहां उनके माता-पिता एक किराने की दुकान चलाते थे। परिवार मूलतः लातविया-लिधुएनिया से था। वे यहूदी थे। अर्थशास्त्र में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षा उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से प्राप्त की थी। इसके बाद का पठन-पाठन संयुक्त राज्य अमरीका में ही हुआ। 1969 में एम.आई.टी. से पी.एचडी. करने के बाद वे शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हो गए और यहीं (एक सहकर्मी संग) उन्होंने अर्थशास्त्र की एक बेहद चर्चित पुस्तक लिखी, जो कि आज भी कॉलेजों में पढ़ाई जाती है। सत्तर के दशक में उन्होंने ऐसा शोध किया जिससे अर्थशास्त्रियों के दो गुट (एक एम. आई.टी. और दूसरे शिकागो विश्वविद्यालय के) एक साझा मत पर आ सके। अस्सी के दशक में वे एम.आई.टी. में प्रोफेसर रहे। 1985 में उन्हें केंद्रीय बैंक में काम करने का अवसर मिला। इस्राइल के केंद्रीय बैंक ने उन्हें बतौर परामर्शदाता नियुक्त किया। फिर वे विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर आसीन हुए। 1994 से 2001 तक वे आई.एम.एफ. के उपाध्यक्ष रहे और फिर 2005 में वे इस्राइल के केंद्रीय बैंक के गवर्नर नियुक्त किए गए। वैश्विक वित्तीय संकट से जूझने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके पश्चात वे अमरीकी केंद्रीय बैंक के उप-प्रमुख नियुक्त हुए। इस दौरान बैंक की प्रमुख जेनेट येलेन थीं, जिन्होंने उनकी याद में यह कहा कि - 'फिशर का लोक सेवा के प्रति समर्पण अनुकरणीय है और एक सहकर्मी, मित्र एवं एक इंसान के रूप में वे बेजोड़ थे'।

(3) लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पर्यवेक्षण मंच की स्थापना

दो जाने-माने पर्यवेक्षण विशेषज्ञों ने लंदन स्कूल ऑफ इक्नोमिक्स में एक मंच की स्थापना की है जिसका उद्देश्य है पर्यवेक्षण-नीति पर विचारों को साझा करना। वित्तीय क्षेत्र के सभी घटकों (बैंक, बीमा, फ़ंड, व अन्य वित्तीय सेवाएँ) और वित्तीय स्थिरता के सभी आयामों (प्रूडेंशियल पर्यवेक्षण, आचरण, काले धन को वैध बनाने के विरुद्ध नीतियाँ, आपातकाल प्रबंधन, इत्यादि) पर जानकारी साझा करने का विचार किया गया है। संस्थापकों के नाम हैं – पेद्रो दुआर्ते नेवेस और आन्द्रेया एनरिया। नेवेस पूर्व में पुर्तगाल के केंद्रीय बैंक के उप-प्रमुख रह चुके हैं और एनरिया पूर्व में यूरोपीय केंद्रीय बैंक के सर्वप्रमुख पर्यवेक्षक और ब्रिटेन के केंद्रीय बैंक के प्रूडेंशियल विनियमन कमेटी के सदस्य भी रह चुके हैं। मंच को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की "प्रणाली शोध केंद्र" का हिस्सा बनाया गया है।

(4) केंद्रीय बैंकों के द्वारा सूचना संचार

सुप्रसिद्ध वित्तीय सलाहकार, बियागीओ बोस्सों, ने केंद्रीय बैंकों द्वारा किए जाने वाले सूचना संचार के बारे में महत्वपूर्ण विचार पेश किए हैं। पिछले दो दशकों से केंद्रीय बैंक पारदर्शिता के लिए प्रयत्नशील रहे हैं। परंतु जन-मानस में उनके द्वारा किए सूचना संचार को समझने में असमर्थता है। अर्थशास्त्र के अनुसार भविष्य को लेकर लोगों की अपेक्षाएं (महंगाई, रोजगार, उत्पाद आदि से संबन्धित) वास्तविक आर्थिक नतीजों पर ख़ासा प्रभाव रखते हैं। केंद्रीय बैंक उत्तम सूचना संचार के द्वारा इन अपेक्षाओं को आकार देने का प्रयास करते हैं – लेकिन रोचक न होने या जटिल होने के कारण जनता का रवैया उदासीनता का ही होता है। सूचना संचार को असरदार बनाने के लिए तीन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है – विचारपूर्वक रचना, प्रयोग सिद्धता और श्रोताओं का संज्ञान। जैसे - इंग्लैंड और कनाडा के केंद्रीय बैंकों ने संग्रहालय बनाए हैं जहाँ सूचना तकनीक की मदद से अर्थ-नीति के जटिल विषयों को आसानी से समझा जा सकता है। स्विट्ज़रलैंड और स्वीडन के केंद्रीय बैंकों ने ऐसी वेबसाइट बनाई है जिससे आर्थिक स्थिति दर्शाने वाले आंकड़ों को सुगम तरीके से समझा जा सकता है। नई तकनीकों (जैसे ट्विटर) के माध्यम से केंद्रीय बैंक आम नागरिकों से संवाद कर सकते है। इसका प्रयोग अमरीका, फ़्रांस, ब्राज़ील, इंडोनेशिया के केंद्रीय बैंक और यूरोपीय केंद्रीय बैंक बखूबी कर रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.) का प्रयोग करके भारत जैसे बहुभाषी देश में त्वरित अनुवाद करके हर भाषा में सूचना संचार संभव हो सकेगा। केवल अर्थशास्त्र पर्याप्त नहीं है। रचनात्मकता, तकनीक व मीडिया में दक्षता तथा व्यवहार-विज्ञान में निपुणता की भी आवश्यकता है।

(5) यूरोप में नई संपार्श्विक (collateral) प्रबंधन प्रणाली

यूरोप के 20 राष्ट्रों ने 'यूरो' को मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है। यूरोपीय केंद्रीय बैंक और इन 20 राष्ट्रों के केंद्रीय बैंक मिलकर 'यूरोसिसस्टम' बनाते हैं। यूरोसिसस्टम ने सदस्य राष्ट्रों की वित्तीय बाज़ार के मूलभूत ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यह कार्यक्रम विगत 10 वर्षों से चल रहा है। अब (जून माह में) इसमें एक विशेष इज़ाफ़ा किया गया है – एक संपार्श्विक प्रबंधन प्रणाली लाई गई है, जो 20 पृथक राष्ट्रीय प्रणालियों की जगह ले लेगी। अब सभी सदस्य देशों में संपार्श्विक प्रबंधन को एक ही तरीके से किया जा सकेगा, जिससे ऋण देने और लेने में सुविधा होगी। प्रणाली के विकास का कार्य जर्मनी, फ़्रांस, इटली और स्पेन के केंद्रीय बैंकों ने मिल कर किया है।

(6) केंद्रीय बैंक आखिर इतना सोना क्यों खरीद रहे हैं?

विश्व स्वर्ण परिषद ने केंद्रीय बैंकों के सर्वेक्षण में यह पाया कि अधिकतर केंद्रीय बैंक यह मान रहे हैं कि अगले 12 महीनों में मौद्रिक प्राधिकरण सोने की खरीद में इज़ाफा करेंगे। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 3 वर्षों में, केंद्रीय बैंकों ने प्रति वर्ष 1,000 टन से अधिक सोने का क्रय किया, जबकि उसके पूर्व के 10 वर्षों में यही आंकड़ा मात्र 400-500 टन था। अपने स्वर्ण-भंडार में कमी आने की संभावना से तो सभी ने इंकार किया। सर्वेक्षण ने पता लगाया कि केंद्रीय बैंक स्वर्ण का संचय क्यों करते है? इसके कारण हैं – (क) आर्थिक संकट के वक़्त सोने का मूल्य लुढ़कता नहीं है, (ख) वे देश की मौद्रिक संपदा को किसी एक ही आस्ति (जैसे अमरीकी डॉलर) में रखने के बजाय उसे अलग-अलग आस्तियों में रखते हैं, ताकि जोखिम प्रबंधन बेहतर हो सके और सोना एक विकल्प है, (ग) तजुर्बा रहा है कि जब विश्व अर्थ-व्यवस्था मंदीग्रस्त होती है, तो अन्य आस्तियों की तरह सोने का मोल गिरता नहीं, बल्कि बढ़ता है। यह भी अपेक्षा की जा रही है कि अमरीकी डॉलर की लोकप्रियता में कुछ कमी आएगी और अन्य मुद्राओं (येन या यूरो)

तथा सोने की महत्ता बढ़ेगी। विकासशील देशों के केंद्रीय बैंक भविष्य में महंगाई और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में तनावों की अपेक्षा कर रहे हैं। अतः वे सोने में निवेश कर रहे हैं। एक प्रश्न यह भी था कि केंद्रीय बैंक अपने सोने के भंडार को रखते कहाँ हैं? पता चला कि वर्षों से बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्वर्ण-भंडारण सेवा प्रचलित रही है। आज भी उसका बोलबाला है। लेकिन अधिकतर केंद्रीय बैंक अपने देशों में भी स्वर्ण-भंडारण की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं।

(7) बैंक ऑफ थाइलैंड में नए गवर्नर का चयन

थाइलैंड में सरकारी क्षेत्र के बैंक, गर्वमेंट सेविंग्स बैंक, के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री विताई रत्नकॉर्न का चयन देश के केंद्रीय बैंक के अगले गवर्नर के लिए हुआ है। उनका कार्यकाल 01 अक्तूबर, 2025 से प्रारम्भ होगा। वे अर्थशास्त्र में स्नातक तथा विधि व वित्त विषयों में स्नातकोत्तर हैं। वे बैंकिंग, वित्त और अर्थशास्त्र के अनुभवी और ज्ञाता माने जाते हैं। देश के वित्त मंत्रालय ने कुल 6 प्रत्याशियों के साक्षात्कार के बाद ही उन्हें चयनित किया। हाल के दिनों में उन्होंने ब्याज दरों में कमी लाने की बात कही थी और इसका कारण यह बताया था कि देश की अर्थव्यवस्था एक गहरी और लंबी मंदी के दौर से गुज़र रही है। थाइलैंड में महंगाई अत्यंत निचले स्तर पर है। देश पर अमरीका ने 36% आयात कर लगाने की घोषणा कर दी है, जिससे उत्पाद और निर्यात, दोनों पर गहरी चोट का अंदेशा है। देश के प्रतिनिधि अमरीकी सरकार के साथ व्यापार के लिए किसी समझौते पर आने के प्रयास में लगे हैं। परंतु यदि कोई समझौता नहीं हो सका तो केंद्रीय बैंक के लिए ब्याज दर को कम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। चयन से पूर्व, देश के वित्त मंत्री ने बताया था कि मौजूदा परिस्थितियों में ऐसा गवर्नर वांछनीय है जो कि सरकार के साथ सुचरू रूप से काम कर सके।

(8) पुर्तगाल में केंद्रीय बैंक के गवर्नर को लेकर विवाद

बैंक ऑफ पुर्तगाल के गवर्नर मारिओ सेंटीनों का कार्यकाल 19 जुलाई 2025 को समाप्त होना था। उनकी नियुक्ति के समय (जुलाई 2020) देश में सोशलिस्ट पार्टी सत्ता में थी परंतु अक्तूबर 2020 में हुए आम चुनाव में उस पार्टी की शिकस्त हो गयी। वहाँ कई बार केंद्रीय बैंक के गवर्नर की पुनर्नियुक्ति हुई है और इस बार भी सोशलिस्ट पार्टी पुनर्नियुक्ति के लिए प्रयत्नशील थी। लेकिन आम राय नहीं बन पा रही थी। श्री सेंटीनों की सेवानिवृत्ति के ठीक बाद यूरोपीय केंद्रीय बैंक की महत्वपूर्ण बैठक होनी थी और यदि उसमें केंद्रीय बैंक के गवर्नर उपस्थित न हों तो देश की तरफ से मतदान नहीं हो पाता। आवश्यकतावश सरकार ने अपने अधिकारों का प्रयोग कर श्री सेंटीनों का कार्यकाल कुछ समय के लिए बढ़ा दिया। बैठक के उपरांत सरकार ने अर्थशास्त्री अलवारो संतोस परेरा को अगले गवर्नर के लिए चयनित किया और इसका मुख्य कारण था कि वे किसी भी राजनैतिक पार्टी से संबन्धित नहीं हैं और स्वतंत्र नीति रखने में सक्षम माने जा रहे हैं। इस समय श्री परेरा विकसित देशों की संस्था ओ.ई.सी.डी. में मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर आसीन हैं।

(9) यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने अपने कर्मचारियों की काम-संबन्धित यात्रा पर नए आदेश जारी किए

यूरोपित केंद्रीय बैंक ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि वे जब भी कुछ खास शहरों के लिए काम के सिलसिले में यात्रा करेंगे, उन्हें कम प्रदूषण करने वाले साधनों का प्रयोग करना होगा। बैंक ने साफ किया है कि फ्रेंकफ़र्ट स्थित उसके कार्यालय से जर्मनी के किसी अन्य स्थान, या पेरिस, ब्रूसेल्स, बेसेल अथवा एम्स्टर्डम जाने की लिए रेलगाड़ी से यात्रा करना अनिवार्य होगा। परंतु यह भी सामने आया कि यह आदेश बैंक के कार्यपालक निदेशक मण्डल के सदस्यों पर लागू नहीं होगा। बैंक ने बताया कि वह प्रदूषण और विशेषकर कार्बन की मात्रा को कम करने किए लिए कमर कस रहा है और हवाई यात्रा कार्बन के उत्पादन का एक बड़ा स्रोत है। इसके अलावा, बैठकों को आमने-सामने करने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सम्पन्न करने को प्रचलित किया जा रहा है। ऐसी कोशिशें प्रोत्साहनीय तो लगती हैं, लेकिन यदा-कदा बात उल्टी भी पड़ जाती है। जैसे कि, अप्रैल 2025 में बैंक ने कार्यालय के शौचालयों में गर्म पानी देना बंद कर दिया - ईंधन कम जलाने के लिए, ताकि प्रदूषण कम हो सके। परंतु गर्म पानी की सुविधा से बैंक के कार्यपालक निदेशक मण्डल के सदस्यों को वंचित नहीं किया गया था। तब, बैंक की ख़ासी आलोचना भी हुई थी। लेकिन बैंक अडिग रहा।

(10) दक्षिण अफ्रीका में मुद्रास्फीति के लक्ष्य को लेकर चिंता

दक्षिण अफ्रीका की मौद्रिक नीति कमेटी ने 31 जुलाई, 2025, को यह ऐलान किया कि वहाँ ब्याज दर को 7.25% से घटाकर 7%

किया जाएगा। कमेटी के द्वारा जारी किए गए विवरण के अनुसार जून माह में हेडलाइन मुद्रास्फीति 3% रही और मूल (कोर) मुद्रास्फीति 2.9% रही। लेकिन आर्थिक वृद्धि की दर कमजोर रही। इसके अलावा, विवरण में बताया गया है कि इस वर्ष की शेष अवधि में यह पूर्वानुमान है कि मुद्रास्फीति 3.3% रहेगी और अगले वर्ष 3% रहेगी। आर्थिक वृद्धि के बारे में पूर्वानुमान है कि वह 1.2% के बजाए 1% तक ही सिमट जाएगी। कमेटी ने अपने वक्तव्य में यह भी कहा कि उसने यह भी निर्णय लिया है कि वह लक्षित मुद्रा प्रणाली के तहत 3% मुद्रास्फीति को लक्ष्य में रखेगी, जो कि देश की मुद्रास्फीति की लक्षित श्रेणी (3% से 6%) की निचली सीमा है। ध्यान में रहे कि देश की व्यवस्था के अनुसार मुद्रास्फीति की लक्षित श्रेणी को देश के वित्त मंत्री की पूर्व-अनुमति के बिना, अकेले केंद्रीय बैंक या मौद्रिक नीति कमेटी तय नहीं कर सकते हैं। देश के वित्त मंत्री ने अपने वक्तव्य में दो-टूक कहा कि मुद्रास्फीति की लक्षित श्रेणी को बदलने की विधिवत प्रक्रिया पूरी होनी बाकी है। विवाद को व्यापक होता देख देश के केंद्रीय बैंक ने तुरंत इस रिपोर्ट का खंडन किया कि मुद्रास्फीति की लक्षित श्रेणी को बदलने का निर्णय लिया गया है - बात यह है कि मौद्रिक नीति कमेटी 3% मुद्रास्फीति को अपने लक्ष्य में रखेगी, जो कि वर्तमान लक्षित श्रेणी (3% से 6%) के अंदर ही है। केंद्रीय बैंक के स्पष्टीकरण के बाद ही चिंताएँ दूर हो पायीं।

स्रोत :

(1) https://www.centralbanking.com/central-banks/financial-stability/7973408/thai-central-bank-issues-debt-relief-measures-for-conflict-zone?ref=search

And

https://www.centralbanking.com/central-banks/financial-stability/7973426/cambodia-tells-lenders-to-offer-relief-for-borrowers?ref=search

(2) https://www.centralbanking.com/central-banks/governance/people/7972998/obituary-stanley-fischer-1943%E2%80%932025?total=7&position=2&utm_campaign=Central%20Banking%20-%20Daily&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8mF4ab3MOxYanl6p66GLFd5DKsIljQKOy6e1paBpfqY6zjRTGbj2A2aZXJ83vbca0Hc3m_e6OSSbg6JN9LKIEgDE4jqQ&_hsmi=364411594&utm_content=364411594&utm_source=hs_email

(3) https://www.centralbanking.com/central-banks/financial-stability/7973198/central-bankers-launch-forum-to-share-supervisory-expertise

(4) https://www.centralbanking.com/ central-banks / monetary-policy/communication/7973110/ central-banks-must-rethink-how-they-speak

(5) https://www.centralbanking.com/fintech/7973109/eurosystem-launches-unified-collateral-management-system?total=8&position=3&utm_campaign=Central%20Banking%20-%20Daily&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8JH4OdYZEt5pasoCt81oCuKKVN16seQ1GclNap1dXWDT6UPdYyyxl8TVFIINSavYmEMDvCwvjBrfU5kJJQEbMHE-xUKw&_hsmi=367430704&utm_content=367430704&utm_source=hs_email

(6) https://www.centralbanking.com/central-banks/reserves/gold/7973101/central-banks-boost-gold-buying-to-diversify-reserves-%E2%80%93-survey?total=7&position=6&utm_campaign=Central%20Banking%20-%20Daily&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8NakpD0b49OnOMM9rK0B_4Hd42YgPBqk27mRRWW8LAqb2DO-cenbbsfRF3boo_-oHQjwA-zeCOY45GrNBovnV4tVql3g&_hsmi=367182571&utm_content=367182571&utm_source=hs_email (7) https://www.centralbanking.com/central-banks/governance/7973375/thailand-names-vitai-ratanakorn-as-central-bank-governor

(8) https://www.centralbanking.com/central-banks/governance/people/7973371/portugal%E2%80%99s-governor-remains-in-place-ahead-of-ecb-meeting?ref=search

And

https://www.centralbanking.com/central-banks/governance/people/7973405/portugal-names-oecd-chief-economist-as-new-governor?ref=search

(9) https://www.centralbanking.com/central-banks/governance/7973441/ecb-looks-to-cut-carbon-via-business-travel

(10) https://www.centralbanking.com/central-banks/monetary-policy/7973452/south-africa%e2%80%99s-central-bank-denies-reducing-inflation-target

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन / अप्रैल-सितंबर 2025
पंजीकरण संख्या: 47043/88